



मेरे भटकाव

प्रदीप कुमार : सम्पादक निदेशक-



पुस्तक मंडल प्रकाशन  
11, बंगला चौक, नई दिल्ली-110002

मेरे भटकाव

ISBN : 81-7037-038

.

## कुछ शब्द

चिन्तक-कथाकार जैनेन्द्र की यह कृति प्रकाशित करते हुए हमें विशेष गौरव का अनुभव हो रहा है। जैनेन्द्रजी का कथा-साहित्य में मूर्धन्य स्थान असंदिग्ध है। गत 50 वर्षों से वे निरन्तर सृजनशील हैं और अब भी उनसे उतनी ही आशाएं हैं।

भरे भटकाव की निमित्त में नेहरू संग्रहालय और उसके शोध विभाग के श्री हरदेव शर्मा का विशेष आभार स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने अपने रिकार्ड के लिए लम्बी भेंट बार्ता टेप की और वही पुस्तक का मूलाधार है। हम इस अनायास प्राप्तव्य के लिए संस्थान के परम कृतज्ञ हैं।

जैनेन्द्र का साहित्य नाना विधाओं में पाठकों के समक्ष आता ही रहा है। पर यह कृति स्वयं जैनेन्द्र को उसके अभावों, संघर्षों की गाथा को प्रस्तुत करती है। उन्होंने सन् 1923 के नागपुर भ्रष्टा सत्याग्रह में पहली बार जेल यात्रा की और अनन्तर भी राष्ट्रीय आन्दोलन में फिर दोबारा जेल गये। उसकी कथा फलश्रुति इस रचना में पाठक को प्राप्त होगी। इसका भी संकेत उसे मिलेगा कि कैसे उनमें राजनीतिक कर्म से एक प्रकार की विमुखता स्रष्ट हुई और किस प्रकार एक नई आस्था, आशा-एवं-आदर्शवादिता का उदय हुआ। विस्मय हो सकता है कि सक्रिय रूप से राजनीतिक आन्दोलन में भाग लेकर भी उनका साहित्य किन्हीं इतर सूक्ष्म मानवीय प्रश्नों को लेकर रचा जाता रहा है और कैसे वह साहित्य राष्ट्रगत और दूसरे प्रश्नों को किनारा देता गया है।

आशा है कि जैनेन्द्र के व्यक्तित्व और उनके साहित्य के अध्ययन में जिज्ञासुओं, शोधार्थियों को इस कृति से पर्याप्त सामग्री और सहायता मिलेगी और रचना पाठकों के योग्य सिद्ध हो सकेगी।



## प्रारम्भिक प्रभाव

—‘जंनेन्द्रजी, शुरू में आप पर किन-किन लोगों का प्रभाव पड़ा ?’

—‘अपने पर पड़े प्रभावों के बारे में अलग-अलग बताना बहुत मुश्किल होगा। जैसा बताया गया बाद में, मैं दो साल का पूरा नहीं हुआ था कि पिताजी की मृत्यु हो गयी। इससे पिताजी की तो याद तक नहीं है। माताजी रह गयी और माताजी के पास मैं पला। स्वभावतः उनका प्रभाव ही विशेष और गहरा रहा होगा। माताजी वधव्य पर फिर अपने भाई यानी मामा के पास आ गयीं। उस समय वे रेलवे में काम करते थे। हम लोग उनके साथ ही रहे। तब की इतनी याद है कि मेरी दो बहनों मामी और उनका लडका, यानी मेरा छोटा भाई, हम लोग सबके सब बहुत आनन्द से रहते थे। हमारे मामाजी की तनख्वाह 15 रुपये थी। पर कहीं किसी तरह की कमी नहीं थी और 15 रुपये ही पर्याप्त से अधिक होते थे। इसलिए प्रभाव की दृष्टि से माताजी का और उनके बाद हमारे मामा का प्रभाव रहा होगा। मामा भगवानदीनजी थे।

—‘आपका जन्म कब और किस स्थान पर हुआ ?’

—‘अलीगढ़ जिले मे गांव ही कहिए, कस्बा तो क्या, कोड़ियागंज। मेरा जन्म अनुमानतः 1905 में हुआ। अनुमानतः इसलिए कहना पड़ता है कि कोई जन्मपत्री है नहीं। इसलिए निश्चित कहना कठिन है। ठीक समय पता नहीं शायद तडका फूटने से पहले का सवेरा। यह अनुमान हुआ माताजी की लिखी एक कापी की पंक्ति से, उसमें जन्म का सन् 1905 लिखा था। इसलिए जन्म का सन् भर कह सकता हूं। जन्म की तिथि क्या? इसके बारे में सुनने को मिला कि जब मैं पैदा हुआ तो मुझे पास-पड़ोसियों ने ‘सकटुआ’ पुकारना शुरू किया। पिताजी सौटकर आये, बाहर गये हुए थे। उन्होंने कहा, ‘यह क्या बकवास है, सकटुआ। यह तो आनन्द की घड़ी है।’ इसलिए उन्होंने आनन्दी ही नाम दे दिया। ऐसे मैं



आनन्दी लाल हो गया। 1905 में सकट-चतुर्थी का पड़ती है इससे अनुमान लगाया जा सकता है। किसी ने हिसाब लगाकर देखा तो तिथि दो या तीन जनवरी की निकली।

—‘फिर बाद में आपने नाम कब बदला?’

—‘नाम मैंने नहीं बदला। हस्तिनापुर में हमारे महात्माजी (मामा) ने एक गुरुकुल खोला था सन् 1911 में। उस गुरुकुल में कुल पांच विद्यार्थी भरती हुए। एक मैं था और एक महात्माजी के साथी लाला गेंदन लालजी का लड़का था। दो-तीन और थे। वहाँ पर नाम बदले गए। अधिकांश नाम इंद्रात रखे गए। और मेरा जैनेन्द्र नाम हो गया। शायद दूसरा इंद्रासन बचा न होगा। जब मैं वहाँ से निकला तो ‘प्राइवेट मैट्रिक’ किया और मैंने वही अपना नाम आनन्दी लाल फार्म में भरा। लेकिन जब लिखना शुरू हुआ तो मैं यहाँ दिल्ली में मां के साथ ही था। माताजी जैनेन्द्र नाम से पुकारने की आदी थी, आस-पास के लोग भी जैनेन्द्र के नाम से जानते थे, इसलिए जैनेन्द्र नाम चल गया। जिस आनन्दी लाल को साथी जानते थे कालेज में, वह बनारस में ही छूट गया। वहाँ के साथियों को यह अनुमान भी न होगा कि जिस आनन्दी लाल को वे जानते थे वह ही जैनेन्द्र है। इसकी एक घटना सुनिए—सच्चिदानन्द वात्स्यायन जो अज्ञेय के नाम से प्रसिद्ध हैं, मेरठ में रहते थे। उन्होंने एक साहित्य परिषद् का आयोजन किया था। आए, मैंने पूछा कि कहिए, कौसी व्यवस्थाएं चल रही हैं? उन्होंने कहा कि एक जज साहब हैं, वे बहुत दिलचस्पी ले रहे और मदद कर रहे हैं। उनके कारण हमको धन इत्यादि की कोई असुविधा नहीं होगी। उन्होंने जानना चाहा था कि कौन-कौन आयेंगे। बताया गया कि जैनेन्द्र आयेंगे, निराला आयेंगे, यह आयेंगे, वह आयेंगे। ‘तो जैनेन्द्र नाम की गुहार पर जब मैं मच पर पहुंचा तो वह जज साहब एकदम उछल कर ऊपर आये, बोले, ‘अरे आनन्दी लात, तुम जैनेन्द्र?’ उनमें जैनेन्द्र के नाम पर उत्कंठा थी, पर अनुमान नहीं था कि जो हमारा आनन्दी लाल था वही जैनेन्द्र कुमार हो सकता है। असल बात यह थी कि आनन्दी लाल नाम का लड़का पास तो हो गया था ‘प्राइवेट मैट्रिक’ और कालेज में भी दाखिल हो गया था। पर उसने साइंस बगैरह कभी पढी नहीं थी, इसलिए ‘आर्ट्स कोर्स’ ले लिया था। आर्ट्स कोर्स में वह बैठा-बैठा सोचा करता कि इसमें पढ़ने को क्या है। जो बताई जा रही है वे सभी बातें ठीक ही ठीक हैं। वहाँ पढ़ने जैसा है क्या? उमर छोटी थी। समझना है कि 14 वर्ष ही रही होगी। जब कालेज के अहाते से बाहर जाते तो द्वार के पास रास्ते पर साइंस के ‘प्रीक्टिकल’ का रूम पड़ता था। शीशे के अन्दर से दीखता कि लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं। कभी उनके हाथ की ढीली में लाल रंग है तो कभी नीला है। तो उस आनन्दी ने सोचा

कि यह कुछ दिलचस्प चीज है। सो डेढ़-दो महीने के बाद इस लालच में उसने 'आर्ट्स कोर्स' बदला और साइंस ले लिया। साइंस क्लास में पहुँचा तो उसको खाक समझ में नहीं आया कि प्रोफेसर क्या कह रहे हैं? नतीजा यह हुआ कि 'फर्स्ट इयर' में फिजिक्स में 100 में से शायद उसके 12 नम्बर थे। 'प्रमोशन' मिल गया क्योंकि और सब्जेक्ट्स ठीक थे। उस समय उस आनन्दी लाल को डर एक ही था कि कहीं मां को यह न सुनना पड़े कि वह फेल हो गया। इस बात का बहुत डर था। वैसे तो वह लापरवाह था, उसे और किसी बात की फिक्र नहीं थी। हालात यह थी कि मां को इस लड़के पर बिलकुल भरोसा नहीं था। वह जानती थी कि इसको किसी प्रकार का शऊर तो है नहीं। यानी रूपयो का मनी-आर्डर उसके नाम नहीं आता था कालेज में। कालेज में एक थे दीपचन्द, जिनका गुरुकुल का नाम प्रतीन्द्र था। वह जीवित हैं और कैराना (उ० प्र०) में वकील हैं। उनको समझा जाता था मेरा अभिभावक। रूपया उनको भेजा जाता था। मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी जाकर अपनी फीस भी जमा की हो। फीस कैसे कहां जमा की जाती थी इस तक का मुझे पता नहीं था। जो मेरे अभिभावक-तुल्य थे, मुझसे एक साल सीनियर थे, वह फीस जमा करते और मेरा खर्च चलाते थे। 'बोर्डिंग' की जो 'मेस' थी उसमें 'बाई रोटेशन' मैनेजर बनाया जाता था। लेकिन किसी को यह कल्पना नहीं होती थी कि जैनेन्द्र, नही आनन्दी लाल कहना चाहिए, को कभी यह काम सौंपा जा सकता है। क्योंकि समझा जाता था यह तो है अल्हड़ इस पर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। इसी अपने अल्हड़ इकलौते को मां ऐसा प्यार करती थी कि वेटा, मां को तनिक भी निराशा भेलनी पड़े, इस विचार से ही बेहद डर जाता था।

—बनारस में हिन्दू विश्वविद्यालय में न ?

—यही समझिए। पर तब वह सेंट्रल हिन्दू कालिज था, कमन्स में।'

—'क्या कुछ पुस्तकों का प्रभाव भी आप पर पड़ा ?'

—मैं उस समय भी कुछ किस्से, कहानियों की किताबें पढ़ता था। अच्छी या सस्ती सभी किस्म की। कवि रवीन्द्र नाथ की कहानियां पढ़ता था, और इधर-उधर की भी। बस इतना ही। लिखने या लिखना सीखने की ओर कोई विशेष रुचि मुझमें नहीं थी। मैंने फिर कालेज छोड़ दिया। लोकमान्य तिलक की मृत्यु अगस्त, 1920 को हुई। उसी शाम होस्टल में एक सभा हुई। तदनंतर कलकत्ता में 'स्पेशल सेशन' हुआ कांग्रेस का। उसमें गांधी जी का असहयोग आन्दोलन का प्रस्ताव आया और मान्य हुआ। बड़ी कांग्रेस की सभा में उसे फिर स्वीकार किया जाना था। मैंने तब से समझ लिया कि मेरा कालेज छूट गया। मैंने पूछा अपने मामा से कि मैं 'क्या करूं?' उन्होंने बहुत डाट-डपट का पत्र लिखा कि तुम अभी पूछने ही बँठे हो, बजाय इसके कि खबर देते कि तुम यह पढ़ाई और कालेज

छोड़ चुके हो। बड़ी शर्म की बात है! ...कालेज छूटने के कुछ अरसे बाद, समझता हूँ कि शायद अगले वर्ष शुरू गर्मी में ही, मुझे नागपुर जाना पड़ा। नागपुर में हमारे मामा भगवानदीन असहयोग आन्दोलन में गिरफ्तार हो गये थे। हमारी मामी यही थीं माताजी के पास। मां ने कहा कि तुम मामी को ले जाओ नागपुर। हम लोग जबलपुर होते हुए नागपुर गये। जबलपुर में माखनलाल चतुर्वेदीजी थे और वही से उनका 'कर्मवीर' निकलता था। उनसे परिचय हुआ। वहाँ बहुत युवक थे जिन्होंने स्कूल-कालेज छोड़ा था। एक तरह से आश्रम-सा ही बन गया था। उस समय का अल्हड़ जैनेन्द्र काफी बाद में जाकर कलकत्ता के बड़े कांग्रेस अधिवेशन में माखनलाल जी के सामने पड़ गया। तब तक वह कुछ लिख तक बैठा था। कुछ नाम और इनाम पा गया था लेखक के रूप में। माखनलाल जी ने कहा, 'यह क्या हुआ?' मैंने अचरज से पूछा 'क्या।' बोले, 'तुम जब जबलपुर आये थे तो तुमको दिखाकर हम कहा करते थे कि कुछ लड़के ऐसे बुद्ध और भौंडू होते हैं कि जिनमें किसी तरह की भी संभावना नहीं होती। यह एकदम क्या हो गया? तुम तो साहित्यकार निकल पड़े।' मैंने कहा, 'क्या मैं स्वयं यह सवाल आपसे पूछ सकता हूँ?' ...तो यह हालत थी मेरी। इससे अन्दाजा हो सकता है कि मैं किम किस्म का फिसड्डी, आवारा, अल्हड़ और बेगाना था। याद है कि मैं जब दिल्ली में रहता था तो एक भी जगह नहीं थी कि घर से निकलूँ तो कहीं पानी भी पा सकूँ। इतना अपरिचित और अबोध किस्म का था। घर से सीधा लाइब्रेरी आता, पढ़ता और फिर घर वापस आ जाता था। यह सिर्फ भटकन मेरी दिनचर्या थी। तभी माखनलाल जी दिल्ली आये। भरतपुर में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हुआ, वे उमके अध्यक्ष थे। वहाँ से आये और चतुरमेन शाम्बी जी के साथ ठहरे। उनके दर्शन के लिए गया तो चतुरमेन जी ने मेरा परिचय हुआ। चतुरमेन जी एक बार पूछने लगे कि तुम पढ़ते हो, कुछ लिखने की भी शायद सोचते हो। बताओ किन लेखकों को जानते हो? यों जानने को एक को भी नहीं जानता था, मिर्क नाम जानता था। मैंने कुछ नाम लिए होंगे। चतुरमेन जी ने पूछा, 'प्रगादजी के बारे में क्या विचार है?' मैंने कहा, 'कौन प्रगाद?' वे अगमजग में पड़ गये। सोचते होंगे कि यह कस्ता सड़का है, प्रगाद का नाम भी नहीं जानता। तो मेरी यह निर्बोध दशा थी। इस समय तक, मुझे अचरज लगता है, कि मैं अनायास लिख कैसे बैठा। तब प्रश्न ही प्रश्न मेरे सामने थे। मैं इतना नासबुद्ध था अपनी मां का। पिताजी को मैंने जाना नहीं था। मा का सब धारणा-भरोसा मुझ पर था। मेरी उमर 20-21 को पार करने लगी। मैंने पाया कि मैं माताजी का महापरा होने के बजाय बौद्ध हूँ। मन बहुत ही दुःखी रहता था। माताजी बड़े प्यार में मेरा इन्तजार करती रहतीं कि शाम को आयेगा, गाना तैयार करने बंटी रहतीं। मुझे अपने निवर्तमान की

इतनी शरम चढ़ी रहती थी कि जितनी भी देर हो सकती, बाहर ही बाहर रहता था। मां की आंखों के सामने नहीं आना चाहता था। एक बार आया तो देर हो गयी थी। अंधेरा हो गया, रात आ उतरी। माता जी स्वयं तो पानी भी नहीं पीती थी अंधेरा होने पर। मेरे ऊपर भी ताक़ीद थी कि खाना नहीं मिलेगा रात को, संखाना नहीं मिला। लेकिन मेरी हालत यह थी कि अक्सर अंधेरा हो जाता और रात हो ही जाती थी। एकाध दिन तो वह अपना नियम सह गई। आगे उनका प्रेम बरदास्त नहीं कर सका कि मुझे भूखा रखें। इस तरह अपनी बेबसी और आचारगी से मैं बहुत ही दुःखी रहता था। सोचता था कि तुम किसी के लिए सहारा नहीं हो, सबके लिए बोझ हो। धरती पर ही बोझ हो। ऐसे रहने से क्या फायदा। अक्सर आत्मघात की बात मन में आती थी। फिर सोचता था कि तुम्हे तो छुट्टी मिल जायेगी इस तरह से, लेकिन मां का क्या होगा। इस दुविधा में मैं उधर कदम नहीं उठा सका। एक बार जाने मुझे क्या हुआ। मैं कलकत्ता भाग गया। सोचा था कि कलकत्ता इतनी बड़ी जगह है, वहां कुछ तो नौकरी हाथ आ ही जायेगी और मां को लिख दूंगा कि अब फिक्र न करो। हावडा स्टेशन पर एक धर्मशाला थी। मुझे भला कमरा-बमरा क्या नसीब होता। एक तौलिया था अपने पास और एकाध कुरता होगा उसमें। वह मैंने एक आले में रख दिया। तीन पैसे में तेल का परोठा मिलता था वहां, वह मेरे लिए सुबह और शाम दोनों वक्त के लिए काफी होता था। इस तरह से मैं सात रोज रहा और भटकता रहा। लेकिन 15 रुपये की नौकरी भी नहीं मिली। सोचा, मां उधर परेशान होगी। मेरे पास पैसा मुश्किल से इतना बचा है कि तीसरे दर्जे का टिकट लेकर वापस दिल्ली पहुंच सकूँ। मैं वापस दिल्ली चला आया। मेरा लिखना इस हालत में शुरू हुआ। यानी यों समझिये कि अपने में डूब रहना मेरे लिए लाजमी था। क्योंकि सामने जब मैं सूने आकाश को और सूने समय को देखता तो देख नहीं पाता था, सहम जाता था। नतीजा यह हुआ कि मेरे लिए जरूरी हुआ कि अपने लिए शगल ढूँढ़ और जैसे-तैसे अपने को भुलाए रखूँ। नहीं तो सामना नहीं हो पाता था भीतर-बाहर की शून्यता का। उस समय कागज-पैसिल उठायी। कभी कल्पना नहीं थी कि ऐसे लिखा हुआ कुछ छापे में आ जायेगा, किसी भी रोज, किसी भी संयोग से। सिर्फ अपने को खाली नहीं रहने देने के लिए कागज काला हुआ था। पर उसमें से कुछ छप गया और परमात्मा की करनी कि एक रास्ता-सा मिल गया।

—‘पहले कौन-सी चीज छपी थी आपकी?’

—‘मैं भंडा सत्याग्रह के वक्त नागपुर में था। वहाँ एक अवारी थे जो पीछे जनरल अवारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। वहाँ से दिल्ली आया तो कुछ काल बाद अखबार में पढ़ा कि अवारी गिरफ्तार हो गये। उन्होंने शस्त्र सत्याग्रह शुरू किया

था। खुली तलवार लेकर चलते थे और कहते थे कि हमारे भारतीयों का हक है कि तलवार रखें। मैं अहिंसा में विश्वास करता हूँ, तलवार के उपयोग में मैं विश्वास नहीं करना। लेकिन शस्त्र रखने के हक को मुझे कायम करना है। अवारी ने इस तरह अहिंसक शस्त्र सत्याग्रह शुरू किया और उसमें पकड़े गये। मैं इस दिल्ली में अवारा घूमता था। ख्याल आया कि एक तेरा साथी इस तरह से जूझ रहा है, चल रहा है, प्राणों पर खेल रहा है—और तू? तो इस आत्म-धिक्कार के अधीन मैंने कुछ लिखा और उसका शीर्षक दिया 'देश जाग उठा था'। चतुरसेन जी को दिखाया। चतुरसेन जी ने उस पर एक नोट लिखा माखनलाल जी के नाम कि—'आपने जिसका शारीरिक परिचय कराया अब मैं उसका आत्मिक परिचय आपको कराता हूँ। यह लेख यथा शीघ्र छपना चाहिए बड़े हाशिये के साथ।' लेकिन वह छपा मुझे दिखाई नहीं दिया। सबसे पहले लिखी चीज वही थी। बाद में एक बार गोरखपुर किसी गोष्ठी में बात कर रहा था तो किसी ने पूछा कि सबसे पहले क्या लिखा? मैंने यही बताया, 'देश जाग उठा'। वही एक सज्जन बोले कि लेख वह मेरे पास है। मैंने कह दिया कि यह कैसे हो सकता है। पर वह सचमुच उस लेख को ले आये। कागज जहाँ-तहाँ से फट गये थे। कुछ दीमक चाट गए थे। मैंने पूछा, 'तुम्हारे पास कैसे आया?' तो कहने लगे कि माखनलाल जी के पास हम जाते थे, वही एक बोरे की रद्दी को टटोला तो उसमें से यह पा गया। आज भी मेरे पास है वह 'देश जाग उठा'। वह नहीं छपा, लेकिन अवारी के बारे में मेरी भावनाएं जल्दी शान्त नहीं हुईं। चुनाचे फिर दूसरा लेख लिखा। चतुरसेन जी ने कहा, 'पत्र निकलता है कलकत्ता से 'विश्वमित्र' (साप्ताहिक) उसको भेज दिया है।' वह भी देखने को नहीं मिला। सबसे पहले जो रचना छपी वह थी जरूर मेरी, लेकिन मेरे नाम से नहीं छपी, चतुरसेन शास्त्री के नाम से छपी। वह थी 'देवी अहिंसे'। यह पहली छपी रचना है। यानी अहिंसा की देवी मानकर मैंने उसे संबोधित किया और पूछा कि तुम हो क्या? उसमें अवारी का नाम आता है। अवारी तुम्हें (अहिंसा को) देवी मानता है और वही हाथ में नगी तलवार लेकर चस रहा है, तो तुम सच क्या हो? गय काव्य कहिए। वही सबसे पहले छपा था। ऐसे ही एक बार चन्द्रगुप्त विद्यालवार साहौर में मुझसे मेरे आरम्भ की बात पूछ बैठे। मैंने यही रिस्सा सुनाया तो बोले कि पत्राव में बी० ए० टैवस्ट में अभी एक पुस्तक लगी है जिगमें चतुरसेन शास्त्री का लेख 'देवि अहिंसे' है। वहाँ 'अहिंसे' से बिन्दी तत्त्व हो गयी है, 'अहिंसे' छपा है। मैंने कहा, 'ठीक वही है।' साहौर में दिल्ली आने पर चतुरसेन जी ने मैंने कहा कि रचना बी० ए० के पाठ्य में आ गयी है, आप संशोधन करना चाहेंगे? ये टाल गये। काफी दिनों के बाद, एक असवार निकलता था 'अभ्युदय'। पद्मशान्त मालवीय उसे चलाते थे। ये आये और कहने

लगे, 'तुम हमारे 'अभ्युदय' को कुछ नहीं देते। अब कुछ न कुछ जरूर देना होगा।' बहुत आग्रह पर मैंने कहा, 'एक रचना है मेरी, लेकिन उसी को 'रिक्लेम' करने की आवश्यकता आ पड़ी है, चाहो तो ले लो।' उनको मामला रोचक लगा। उन्होंने कहा, 'लाओ।' मैंने कहा, 'पहले चतुरसेन जी से मिल लेना चाहिए, अनुमति लेनी चाहिए।' हम दोनों चतुरसेन जी के पास गये। वे चांदनी चौक में रहते थे। वे नहीं मिले और हम लौट आये। अगले दिन पद्मकान्त कहने लगे, 'अब तो हो भी आये, अब दे दो।' मैंने कहा, 'एक बार और सही।' दूसरी बार फिर नहीं मिले। फिर वह रचना ले ही गये और 'अभ्युदय' में पूरा 'डबल पेज हेडिंग' देकर 'चतुरसेन की चोरी' करके छापी। मैंने कहा था रचना छपे तो एक प्रति शास्त्री जी को जरूर भेज देना। मैंने समझा कि चतुरसेन जी को भेज दी गई होगी। एक बार उनके पास बैठा था। अनुमान हुआ कि उनको शायद मालूम नहीं रचना छपी है। मैंने उनसे कहा कि लेख ऐसे-ऐसे छपा है। बहुत नाराज हुए। लेख देखना चाहा और मैंने लाकर दिखा दिया। बहुत बिगड़े, बहुत गुस्सा हुए। पर कभी ठंडे, कभी गर्म। कहने लगे, 'क्या करना चाहिए?' मैंने कहा, 'आप देख लीजिए।' खैर, उन्होंने सम्पादक को पत्र लिखकर स्वीकार किया कि रचना उनकी नहीं थी। लेकिन जैनेंद्र को कलम पकड़ना नहीं आता था, सीखने मेरे पास आते थे, इत्यादि। मैंने भी उसी पत्र में लिख दिया कि चतुरसेन जी मेरे गुरु-तुल्य हैं। चोरी आदि की कल्पना भी असम्भव है। पर अखबार ने फिर मोटा शीर्षक देकर छापा, 'चतुरसेन ने चोरी मान ली।' इस प्रकार की अनेक अविश्वसनीय घटनाएं होती चली गयीं। अनेक सम्पर्क प्राप्त हुए। सबका मुझ पर प्रभाव पड़ा। पर अलग-अलग करके मैं पहचान नहीं सकता। इतना जरूर है कि कुछ लोगों के प्रति मेरे मन में गहरा आदर भाव हुआ। इससे अनुमान हो सकता है कि उनका प्रभाव अधिक पड़ा होगा। जैसे आरम्भ में रवीन्द्रनाथ की कथाएं मैंने पढ़ी थी, बाद में रूसी लेखक टाल्सटाय, दोस्तोयेवस्की पढ़े। उनका प्रभाव पड़ा ही होगा। धरतचन्द्र का भी प्रभाव पड़ा। अपने मामा महारत्ना भगदानदीन जी की मेरे मन पर बड़ी ही गहरी छाप है। माता जी तो अत्यंत विनक्षण महिला थी। उनके लिए आधार रूप कोई भी नहीं रह गया था, भाई घर-बार छोड़ बैठे थे। मेरे पिताजी का देहान्त हो ही चुका था। लेकिन माताजी अदम्य साहसी थीं। निराशा नहीं आने दी, बम्बई चली गयी। वहाँ थोड़ी कुछ पढ़ी-लिखी, लेकिन उसी के आधार पर वे बढ़ती गयीं। वे इन्दौर गयीं और वहाँ उनके ऊपर एक संस्था का भार छोड़ दिया गया। दिल्ली कभी-कभी वे आती थीं जैन महिलाओं के आमंत्रण पर। आग्रह पर एक बार दिल्ली आईं और उनके सहयोग से यहाँ जैन महिला आश्रम की स्थापना हुई।

आपने प्रभाव के बारे में पूछा तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार नाना प्रभाव मुझे शिक्षित और दीक्षित करते गये।'

—'आपकी शैली पर किस का प्रभाव पड़ा?'

—'वह मैं नहीं कह सकता। इतना मुझे याद है कि आरम्भ में मेरा लिखना शुरू हुआ तो चतुरसेन जी ही यहाँ उपलब्ध थे। उनकी एक रचना है 'अन्तस्तल।' वह मैंने पढ़ी तो रस मिला। देखा कि उन भावनाओं को चित्रवत् तो अंकित मैं नहीं कर सकता हूँ। फिर भी भावनाओं को अलग-अलग लेकर मैंने लिखना शुरू किया तो चित्रमयता वहाँ गायब लगी, उसकी जगह कुछ विश्लेषण-शीलता आ गयी। तो कहना चाहिए कि चतुरसेन जी का मुझ पर जोड़ा बहुत असर रहा।

वैसे में सबसे अधिक कायल हूँ दोस्तोयेवस्की का जो रूस देश में हुए। मानता हूँ कि उनके लिखने का स्तर नैतिक से भी आगे आध्यात्मिक है। टाल्सटाय की भूमिका मैं नैतिक कहूँगा, लेकिन दोस्तोयेवस्की जो आत्मा की संकुलता को पाप के बीच खोजते और दिखाते हैं वह मुझे बहुत प्रिय होता है। दोस्तोयेवस्की के वाद मुझे शरत्चन्द्र में भी दिखाई दिया कि वह पारम्परिक नैतिकता से तुष्ट नहीं हैं। उस स्तर से भी नीचे उनका संधान केन्द्र है। आध्यात्मिक शब्द जरा बड़ा है। अध्यात्म में कुछ ईश्वर का बोध आने लगता है। वह तो नहीं है, लेकिन गहराई की दृष्टि से मैं आध्यात्मिक कह भी सकता हूँ। कारण, प्रेम के लिए उन्हें किसी बाहरी समर्थन की आवश्यकता नहीं है। साहित्य में इन दोनों का प्रभाव मेरे मानस पर है। सबसे अधिक प्रभाव मैं समझता हूँ, मेरे ऊपर गांधी जी का कहना चाहिए। एक समग्र संयुक्त पुरुष का चित्र मैं आकना चाहूँ तो हठात् वह गांधी जी का रूप बन जाता है। इसलिए सर्वाधिक प्रभावित तो मैं गांधी जी के व्यक्तित्व से हूँ।'

—'अपने माता-पिता के बारे में बताएँ?'

—'मेरा जन्म 1905 में हुआ और दो वर्ष का पूरा नहीं था—1907 रहा होगा कि पिताजी का देहान्त हुआ, जैसा कि बताया जाता है। उनका नाम प्यारेलाल था और मामाजी के लेख से मालूम होता है कि उन्होंने पटवारी की परीक्षा पास की थी और वे कपड़े की पैंठ करते थे। यानी गाँवों की पैंठ में देहात का बना कपड़ा बेचते थे। मैंने मामाजी के लेख में यह भी पढ़ा कि उनको किस्से कहने में अच्छी महारत हासिल थी। मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे मामाजी ने यह अनुमान लगाया कि मैं कहानी लेखक बना तो यह प्रभाव पैतृक रूप से मिला होगा। सच यह है कि मेरी कहानियों में शायद किस्सा कोई है ही नहीं।'

माताजी की कुशलता का मुझमें सर्वथा अभाव है। यह क्यों हुआ? मैं तो माताजी से बिल्कुल उलटा हूँ। इस अर्थ में कि वे बड़ी दक्ष थी व्यवहार में और

उनमें परिवार को जुटाये रखने का, जन-समायोजन का अद्भुत गुण था। वह सब मुझमें एकदम नहीं हैं और मैं कभी-कभी सोचा करता हूँ क्या बात है कि इतनी व्यवहारकुशल माता का पुत्र होने पर भी मुझमें व्यवहारशीलता का अत्यंत अभाव है ?'

### प्रेमचन्द्र के संस्मरण

—'उनका देहान्त किस कारण हुआ ?'

—उनका देहान्त 1935 में हुआ। 1936 में प्रेमचन्द्र का देहान्त हुआ। एक वर्ष पहले उनका देहान्त जलोदर रोगसे हुआ और प्रेमचन्द्र का देहान्त भी जलोदर में ही हुआ। माताजी के देहान्त से कुछ पहले मेरे मन में यह आया था कि शहर का जीवन तुम्हें रुचता नहीं है, इसलिए तय किया था कि गांव में रहना होगा। सहारनपुर जिले का एक गांव प्रायः निश्चित भी हुआ था। उस निश्चय के साथ तीन-चार महीने के लिए देहरादून के पास राजपुर में सपरिवार ठहरा भी था। माताजी की बीमारी की बात सुनी तो दिल्ली आया। यह कहने योग्य बात नहीं कि प्राणांत के क्षण मेरा मन इस चिन्ता के बोझ से दबा था कि कफन कहा से आयेगा, अर्थात् कैसे उठेगी। देहान्त के बाद मेरी बहिन और उनके बच्चे वगैरह सब आये थे। मैंने फिर 15 नम्बर दरियागंज का मकान लिया जिसमें 7-8 कमरे थे। वह मकान आगरा होटल से लगा था और छत मिली हुई थी। वहां से एक-आध चीज चोरी चली गयी थी। इधर प्रेमचन्द्र बीमार पड़े और वे अपेक्षा में थे कि मैं पहुंचूंगा। कारण, शान्ति-निकेतन जाते समय उनको आश्वासन दे आया था कि आप किसी बात की चिन्ता न करें, जो भी काम-धाम है, मैं आ जाऊंगा, देखता रहूंगा, आप फिर में न पड़ें। निराला की भेंटवार्ता छपी कि प्रेमचन्द्र ने कहा जैनेन्द्र आते होंगे, मुझे कोई चिन्ता नहीं है। मैं पढ़कर सोच में पड़ गया। सोचा कि क्या करूं। परिवार के सारे सदस्य थे, बड़ा मकान असुरक्षित था, घर में पुरुष सदस्य मैं ही था। इसलिए मुझे एक छोटे मकान की जरूरत हुई जो पीछे की तरफ अत्यन्त सुरक्षित हो। ताकि मैं जाऊं तो महीने, साल या अधिक जितना भी प्रेमचन्द्र के पास रहना पड़े तो चिन्ता न हो। तब यह मकान जहां अब मैं बैठा हूं और आप बैठे हैं, लिया गया। यह पूरा बना भी न था। कहना चाहिए कि मेरे ही निमित्त मकान मालिक ने बनवाया था। इसमें सामान भी नहीं आया था सब कि मैं प्रेमचन्द्र के पास चला गया। ऐसे प्रेमचन्द्र की मृत्यु के समय मैं उनकी शय्या के पास ही था। सन् 1935 में माताजी की मृत्यु हुई, ठीक एक वर्ष बाद उसी रोग से प्रेमचन्द्र की मृत्यु हुई।'

—'माताजी का नाम क्या था ?'

—'माताजी का नाम था रामदेवी बाई।'



### प्रोग्रेसिव कांफ्रेंस

—“प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन’ से भी आपका सम्बन्ध रहा ?”

—‘प्रेमचन्द ने मुझसे जिफ्र किया था कि कुछ नौजवान लोग हैं तरक्की पसंद । वे लिखते हैं लेकिन मुस्लिम ‘कजरवेटिव ओपीनियन’ वाले उनको बहुत परेशान करते हैं । वे तुमसे मिलेंगे, उनकी मदद करना, होसला भरना । उसके बाद प्रेमचन्द का लखनऊ में तार आया कि तुम आये नहीं, ‘प्रोग्रेसिव कांफ्रेंस’ है । मैं लखनऊ पहुंचा और सर वजीर हसन साहब के बंगले पर ही प्रेमचन्द के साथ ठहरा । मजजाद जहीर सर हसन के साहबजादे थे । वहां प्रेमचन्द बोले कि तुम लेट आये हो, खैर, कोई बात नहीं, हमने सबेरे ‘मेनिफेस्टो’ स्वीकार कर लिया है, लो यह देखो । मैंने कहा कि अभी तो आपने बातचीत की होगी, कांफ्रेंस शुरू होने वाली है, ‘मेनिफेस्टो’ कब, कैसे बन गया ? कहने लगे कि भाई, किस चक्कर में पड़ते हो, ठीक है, काम हो रहा है, तुम इस पर ‘साइन’ कर दो । मैंने कहा कि मैं आपके साथ हूँ, इन लोगों के साथ हूँ । लेकिन दस्तखत इस पर कि ‘डिवोशनल लिटरेचर रिएक्शनरी’ है, मेरा मन तो यह नहीं कहता । कहने लगे कि तुम जाने किस फेर में हो, इन सब बातों में क्या रखा है । मैंने कहा कि नहीं रखा है तो या तो आप इसको ‘ओपन’ कर दीजिए बहस के लिए, नहीं तो मुझे माफ कर दीजिए । खैर, उसके बाद भी प्रगतिशील एक-दो कांफ्रेंस हुईं और मैं सम्मिलित होता रहा । लेकिन बहुत से लोग जो शुरू में शामिल थे धीरे-धीरे करके अलग होते गए । जैसे नरेन्द्र देव और दूसरे जो सोशलिस्ट भुकाव के थे वे । पीछे मालूम हुआ कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट इन दो धाराओं में अन्तर है और प्रोग्रेसिव’ में सोशलिस्ट नहीं आता । ऐसे मेरा भी सम्पर्क ढीला होता गया ।’

—‘फिर आप पीछे हट गये ?’

—‘आगे ही कब बढ़ा था मैं ? इससे पीछे हटने का सवाल नहीं था । ऐसा अवश्य मालूम हुआ कि सर्वथा उनकी तरह से सोचने वाला उन्होंने मुझे नहीं पाया और इसलिए धीरे-धीरे अपने से मुझे दूर जाने दिया । वैसे मेरे संस्कार भी अनुकूल नहीं थे । जब मैं पहली बार लखनऊ में शामिल हुआ तो ऐसा नहीं था कि मुझे सूर्यास्त से पहले भोजन का नियम हो । लेकिन 7 बजे के करीब भोजन होता था । अब वहां ठहरा तो 9 बजे, 10 बजे, 11 और साढ़े ग्यारह भी हो गए और मैं सोचता रहा । ले-देकर 12 के लगभग हम लोग भेज पर पहुंचे । पर मेरे खाने लायक कुछ था नहीं । बड़ी मुश्किल से चपाती और अरहर की दाल निकल पायी । दाल में भी प्याज वगैरह था । वाकी पूछिए नहीं । तो कुछ संस्कार से ही उन्होंने देखा, मैंने भी देखा, कि मैं बिल्कुल तरक्की वाला नहीं हूँ । मैंने प्रेमचन्द से कहा कि उन्हें मेरे कारण अमुबिधा होती होगी और अगले सबेरे ही मैं उस

कोठी में चला आया गंगा पुस्तक माला के दुलारे लाल भार्गव के पास । सवेरे 9 बजे कहीं उठ रहे है और बेड-टी आ रही है—इत्यादि क्रम मुझे अनुकूल नहीं हुआ । उन बन्धुओं को क्या मालूम था कि कोई मुझ-सा भी 'प्रोग्रेसिव' हो सकता है ।'

—'एक सवाल मैं और आप से पूछना चाहता हूँ । अक्सर यह कहा जाता है कि प्रेमचन्द मृत्यु से पहले साम्यवाद की तरफ झुक रहे थे । इसमें कितना सत्य है ।

—'मैं मानता हूँ कि साम्यवादी चिन्तन उन पर प्रभाव डाल रहा था । वे मानने लगे थे कि नैतिक आदर्शवाद वर्तमान परिस्थितियों में पूरा काम नहीं देगा । आर्थिक विषमता उनके लिखने और सोचने में मुख्य विषय थी ही । वे मान चले थे कि आदर्शवाद इस प्रश्न को भावात्मक स्तर पर छोड़ देता है । वह असर थोड़ा उन पर पड़ रहा था । लेकिन मैं यह नहीं मानता हूँ कि नैतिक झुकाव अन्त तक उनसे छूट पाया । कुल मिलाकर मैं यह कहूँगा कि गांधी जी को उन्होंने अन्त तक नहीं छोड़ा । लेनिन की और मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित जरूर हुए लेकिन इस कारण वे गांधी प्रभाव या नैतिक हल से छूट पाये, यह मैं नहीं स्वीकार करूँगा ।

—'जब आपने प्रेमचन्द जी से यह प्रश्न किया कि उनके उपन्यास और उनकी कहानियों में जो देशभक्ति थी और मजदूर और उसके संघर्ष की जो चीजें थीं वह इसलिए आती थीं कि वह उनको दूर से देखते थे तो उन्होंने इसका क्या उत्तर दिया ?'

—'नहीं, वे भी सोचते रह गये । मुझे याद आता है कि एक बार, इन्हीं दिनों की बात है, शायद सन् 1934 की होगी, जवाहरलालजी ने उसका जिक्र किया है अपनी पुस्तक में । वे काशी गये थे और मैं भी काशी में सयोग से था और प्रेमचन्द जी बोले, 'जैनेन्द्र, तुम कल आते तो बड़ा मजा आता ।' पूछा, 'क्यों ?' तो कहने लगे, टाउन हाल पार्क में एक पार्टी थी । तो उस पार्टी में जिस मेज पर हम थे, वही पर जवाहरलाल जी थे और कमला जी भी थी । उस अवसर पर निपुषत फोटोग्राफर ने फोटो लेने की तैयारी में कहा, 'प्लीज जेन्टलमैन—प्लीज जेन्टलमैन ।' जवाहरलाल जी थोड़ी देर तो सुनते रह गये । फिर जब उसने तीसरी बार 'प्लीज जेन्टलमैन' कहा तो जवाहरलाल जी भुल्ला के खड़े हुए, बोले, 'क्या 'प्लीज-प्लीज', करते क्यों नहीं अपना काम ?' वह बेचारा फिर अपना 'फोकस' जमाता रहा । फिर उसने जो 'प्लीज' कहा तो वह फिर उबल पड़े । कमला जी बंठी थी, बोलीं, 'आपको यह क्या हो रहा है ? आप क्यों फुदक रहे हैं ? बेचारे को काम करने दीजिए ।' जैनेन्द्र, कमला जी ने यह जो फुदकने की बात कही तो हमें बड़ा मजा आया ।' अगले रोज हिन्दी वालों की गोष्ठी थी, उसमें नेहरू जी

का स्वागत था। जवाहरलाल जी ने वहाँ कुछ नसीहतें दीं, जिनका जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक में किया है। उसके बाद पीछे कमरे में एक छोटी-सी चाय पार्टी थी। कोई दस-पन्द्रह जने होंगे। सम्पूर्णानन्द साथ आये थे, कमला जी थी, नेहरू जी थे और उसमें रामचन्द्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचन्द्र और संयोग की बात है कि मैं भी उस समय मौजूद था। तो मैं तो खर नया था। मेरा कोई अधिकार नहीं था। काशी के सभी शीर्ष साहित्यकार थे, अन्य नेता जन थे। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि सब बैठे हैं और बात नहीं हो रही है, करीब दो मिनट चप्पी सी रह गयी। न प्रेमचन्द्र जी बोल रहे हैं, न जयशंकर जी, न जवाहरलाल जी और न सम्पूर्णानन्द, न और कोई। एकाध मिनट असमजस ही ध्यापा रहा। उसका टूटना आवश्यक था। मैं बोलूँ न बोलूँ, यह सोच ही रहा था कि जवाहरलाल जी ने कुछ कहा। कहा कि साहित्यकार को यह करना चाहिए, वह करना चाहिए देश के प्रति, इत्यादि। तो साहस देखिए मेरा कि मैं बोल पड़ा कि साहब, साहित्यकारों को देश के प्रति यह-वह जो करना चाहिए, वह तो ठीक है। लेकिन प्रेमचन्द्र जी ने जो भी लिखा है उसमें देश को यहाँ से वहाँ तक फँलाकर रख दिया है। लेकिन आपकी लखनऊ कांग्रेस के मंत्री को यह भी पता है कि प्रेमचन्द्र ने धरन देने के लिए स्वयंसेवकों में अपना नाम लिखवाया था। वे धरना देने के लिए निकले थे। आपके देश के राजनीतियों का यह हाल है और हिन्दी के हमारे एक लेखक ने देश के प्रश्नों को यहाँ से वहाँ तक अपने सारे साहित्य पर सजा कर रख दिया है।

और मैं कुछ मानता हूँ कि प्रेमचन्द्र जी चलती हुई राष्ट्रीय प्रवृत्ति को समीक्षा नहीं सराहना के भाव से देखने के लिए इसलिए भी विवश थे कि वे उसके भ्रम नहीं थे, अंग ही नहीं पाये। जेल जाना चाहते थे, बँसा भाग्य नहीं पा सके। उनकी पत्नी अवश्य जेल गयी थी। उन्होंने मुझे लिखा भी था कि वे चली गयी हैं तो मैं कैसे जेल जा सकता हूँ, कोई तो घर में रहना चाहिए।

अगर वह जेल जाते तो शायद वह 'इत्यून' जो उन्होंने पाल रखा था उसमें 'डिसल्यूजनमेंट' आ जाता। बहरहाल जहाँ तक मेरा अपने लिखने का सम्बन्ध है वहाँ तक वह सारी की सारी आन्दोलन की प्रवृत्ति ज्यों की त्यों स्थान नहीं पा सकी। और मेरे मन में जो प्रश्न उठते थे भले वे सूक्ष्मता की ओर जाते हो, उन्हीं का उत्तर में अपनी रचनाओं में खोजने का प्रयास रहा।

— 'और जँसा कि कहा जाता है कि अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में प्रेमचन्द्र जी की आस्था मार्क्सवाद में ज्यादा होती चली गयी और गांधी जी का प्रभाव उन पर कम होता चला गया तो इस पर आप व्यक्तिगत प्रकाश डालेंगे ?'

— 'हाँ मैं जानता हूँ कि गांधी जी को लेकर एक भावुक आदर्शवाद का उदय प्रेमचन्द्र जी में हुआ था। समय बाद उनको लगा कि वह अपर्याप्त है।

जिसको मार्क्सवाद कहते हैं, यानी गरीब और अमीर में हित-विरोध, और हित-विरोध के आधार पर संघर्ष की अनिवार्यता—यहां तक तो मैं समझता हूँ प्रेमचन्द जी मार्क्सवाद से प्रभावित रहे। लेकिन उससे आगे उस श्रेणी युद्ध का औचित्य और उसका प्रतिपादन, इसके बारे में मानता हूँ कि अन्त तक भी प्रेमचन्द जी मार्क्स के अनन्य समर्थक नहीं बन सके। इस सम्बन्ध में गांधी जी के प्रभाव से अन्त तक भी नहीं छूट सके। ऐसा उनमें एक नैतिक भुकाव था, वह उनके हित-विग्रह तक तो पहुंचता था, लेकिन किसी वर्ग के विनाश तक मेरे स्थान में नहीं पहुंचता था।'

—'लक्ष्य और साधन के बारे में उनके कुछ विचारों में तबदीली आखरी दिनों में आई, आपको मालूम है?'

—'यह तो मैंने आपसे कहा कि गांधी जी मुद्रा-मूल्य को ही बदल देना चाहते थे। और उस मूल्य के बदल जाने पर तथाकथित पूंजीपति उनके लिए असह्य नहीं रह जाता था। वरन् सह्य और उपयोगी तक हो जाता था। क्योंकि अगर सिधका केवल विनिमय का साधन है, उसके कारण किसी को सामाजिक श्रेष्ठता नहीं मिल जाती है, संपत्ति पर अधिकार जैसा कुछ नहीं रहता है, तो पूंजी शोषण का साधन नहीं बनती, रचना और निर्माण का उपकरण भर रह जाती है। यह जो एक समग्र कल्पना थी वह प्रेमचन्द के मन पर प्रत्यक्ष नहीं हो पायी। इसलिए आर्थिक विषमता कानून के जरिये दूर की जाये, समाजवाद और साम्यवाद जैसी चीज कानून के जरिये लायी जाये, इसके प्रति उनमें आकर्षण था। मैं मानता हूँ कि गांधी जी इस रूप में समाधान नहीं देखते थे आर्थिक विषमता का। वे अर्थ को जीवन-मूल्य नहीं बनने देना चाहते थे। अर्थ-मूल्य न रहे, श्रम सामाजिक मूल्य बन जाये तो अर्थ जहां भी थोड़ा-बहुत संग्रहित होगा तो उससे समाज का अहित नहीं होगा, वे ऐसा मानते थे। तो यह चीज प्रेमचन्द जी के निकट इतनी स्पष्ट नहीं हो पाती थी। और मार्क्सवाद की स्थापना में जो हित-विग्रह और हित-विरोध की बात है, कानून के जोर से जो घनापहरण और राज्यगत सम्पत्तिवाद की बात है, वह उन्हें आकर्षक तथापि किंचित अनुचित लगती थी। पूंजी पर निजी अधिकार समाप्त होना चाहिए, समाज की ओर से राज्य के अधीन सब अधिकार आ जाना चाहिए या समाजवाद आना चाहिए, इस प्रकार की दृष्टि प्रेमचन्द की हो अवश्य चली थी।

—,आपके कहने का मतलब यह है कि वह एक तरह से दूसरी तरह के नतीजे पर नहीं पहुंचे ?

—'नहीं, मैं मानता हूँ कि उनको मार्क्सवादी पूरे तौर पर नहीं कहा जा सकता, गांधीवादी भी पूरे तरह से नहीं कहा जा सकता, और चूंकि कोई भी वादी उन्हें नहीं कहा जा सकता इसलिए मैं मानता हूँ कि वे मूल में मानव-मध्य

के साहित्यकार थे। यदि वे केवल वादी हो जाते, इधर या उधर झुकते, तो मनुष्य उनकी पकड़ से, उनकी दृष्टि से ओझल हो जाता, सिद्धान्त भर उनके हाथ में रह जाता। तो फिर उनके साहित्य में उतनी मर्म-स्पर्शिता, स्फूर्ति-प्रेरणा नहीं आ सकती थी।

### महात्मा भगवानदीन संस्मरण

—‘महात्मा भगवानदीन ने अपनी नौकरी कौन से सन् में छोड़ी और क्यों छोड़ी?’

—‘उन्होंने जैन शास्त्रों का कुछ स्वाध्याय शुरू किया था। इसमें उनके साथी थे फतहपुर म्युनिसिपल कमेटी के मेक्रेटरी लाला गेंदनलाल। मामा जी फतहपुर के स्टेशन पर थे और स्वाध्याय के परिणामस्वरूप इन्होंने कुछ प्रतिज्ञाएं लीं। जैसे चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, आदि। रेलवे स्टेशन पर काम करते देखते थे कि विशेष काम नहीं हो, कोई ट्रेन आने वाली न हो-तो रात में कुछ नींद भी ले ली जाती है। प्रतिज्ञा के बाद यह चोरी हो नहीं सकती थी। एक-दो दिन के अनुभव के अनंतर उन्होंने पाया कि या तो नौकरी रह सकती है या व्रत रह सकता है। तीसरे रोज उन्होंने निर्णय कर लिया कि नौकरी नहीं रह सकती और एकदम इस आशय का तार भेज दिया।’

—‘कौन से सन् में?’

—‘मैं समझता हूँ कि उन्नीस सौ नौ का अन्त या दस का आरम्भ रहा होगा। कारण, सन् 1911 में तो इन्होंने गुरुकुल की स्थापना कर दी हस्तिनापुर में। नौकरी छोड़ने के बाद एक वर्ष वे घूमते रहे। घूमने में पहले इन्होंने जैन तीर्थों की यात्रा की। उसके बाद हिमालयों में निकल गये। वापसी पर गुरुकुल कांगड़ी देखा हरिद्वार में। कांगड़ी देखने के बाद मन में सकल्प जमा कि ऐसा ही गुरुकुल खोला जाय और उसकी स्थापना की 1911 में ‘हस्तिनापुर ऋषभ ब्रह्मचर्याश्रम’ के नाम से।’

—‘सन् 1911 से 1920 तक वे वहीं रहे?’

—‘ये सरल विचारों के प्रयोगशील पुरुष थे। आश्रम जैन धर्म और समाज की प्रमुख समस्या के रूप में शीघ्र फल-फूल उठा। वहां आलू नहीं खाया जाता था, न खिलाया जाता था। वे स्वयं भी आलू नहीं खाते थे। लेकिन तत्वाध्ययन और मनन के बाद इनको लगा कि यह परिपाटी है, इसमें धर्म का प्रश्न उत्तना नहीं है। समस्या के धर्माध्यापक से भी चर्चा की। अन्त में कंद-मूल के त्याग को उन्होंने त्याग दिया। जब स्वयं आलू अखाद्य नहीं माना तो सोचा कि जो वचित रखने का अधिकार नहीं है। तो बन्धों के लिए भी आलू बनने इस पर जैन समाज में द्रोह उठा, हो-हुल्ला मचा और उस संघर्ष में इन्होंने

तय किया कि उन्हें हट जाना चाहिए, वर-विद्वेष का निमित्त नहीं बनना चाहिए। इस वितंडा के कारण अपने स्थापित गुरुकुल से उन्हें विदा ले लेनी हुई।'

— 'फिर असहयोग में भाग लेने से पहले के सालों में उनकी क्या गति—विधियाँ थीं?'

— 'मैं समझता हूँ कि असहयोग आन्दोलन तो खुलकर आया सन् 1920 के बाद। लेकिन सन् 1918 में युद्ध समाप्त हुआ कि तभी से खिलाफत का प्रश्न उठ खड़ा हुआ था। शायद असहयोग की बात खिलाफत कांग्रेस में सबसे पहले आयी थी। उस समय से राष्ट्रीय नवजागरण की शुरुआत हो गयी थी और मामा जी इस प्रवाह में शुरू से जुड़ गये। मैं समझता हूँ कि असहयोग काल में सबसे पहली गिरफ्तारी शायद भगवानदीन जी की हुई है पानीपत में। जैनियों का एक उत्सव था, इन्होंने वहाँ पर भाषण दिया था और उस पर वारंट निकला; वारंट पर क्या करना चाहिए इस पर मशविरा करने के लिए ये गांधी जी से मिले अहमदाबाद में। इनके मन में भी था और गांधी जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि वारंट से बचने का प्रश्न नहीं है। मैं समझता हूँ कि यह 1919 के आरम्भ की बात होगी। तब तक गिरफ्तारियाँ शुरू भी नहीं हुई थी। उसके बाद मैं समझता हूँ कि आश्रम छोड़कर ये वर्धा रहे थे। वर्धा में सेठ चिरंजीलाल एक कार्यकर्ता थे जो पीछे जमनालाल जी के यहाँ काम करते रहे। वहाँ कोई जैन 'बोर्डिंग हाउस' खुला था।'

'—शुरू में इनका कार्यक्षेत्र पानीपत था?'

— 'नहीं, इनका कार्यक्षेत्र पानीपत नहीं था, पानीपत में तो एक जैन उत्सव था, उसमें वे चले गये थे। कार्यक्षेत्र इनका हस्तिनापुर के बाद वर्धा कहा जा सकता है।'

ये मौलिक सूझ-बूझ वाले थे, किसी की कापी नहीं थे। गांधी जी उधर रहे, उनमें ही इनके जीवन में विशेष मोड़ आया सो नहीं। बल्कि ये अपने प्रवाह में चले जा रहे थे और ऐसा लगा कि इनका जीवन प्रवाह और गांधी जी के आन्दोलन का जो प्रवाह था—ये दोनों दिशाएं अनायास मिल जाती थी।'

**असहयोग आन्दोलन (1920) : जैनेन्द्र का राजनीति में आना**

— 'जैनेन्द्रजी, क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि आपने बनारस हिन्दी विश्वविद्यालय से किन-किन कारणों से असहयोग किया?'

— 'सन् 1920 की बात है। गांधी जी ने असहयोग की बात उठाई। कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में कांग्रेस ने इस चीज को पास कर दिया था। एक वातावरण बन गया था और लड़के कालेज छोड़ रहे थे। तो मैंने अपने मामा महात्मा भगवानदीन जी से लिखकर पूछा कि क्या मुझे कालेज छोड़ देना चाहिए?'

उनका पत्र मिला कि बड़े अफसोस की बात है, शर्म की बात है कि तुम मुझे पूछने के लिए बैठे हो। मुझे तो तुम्हें राबर देनी चाहिए थी कि कालेज भी पढ़ाई तुम छोड़ चके हो। वग यह उनका पत्र आना था कि मैंने कालेज छोड़ दिया। कालेज छोड़ने के बाद क्या करना है? जब यह प्रश्न उठा तो एकाएक कुछ गमभी मे नदी आया। उमंगें थोड़े दिनों बाद महात्मा भगवानदीन जी तो गिरपतार हो गये। उनके असाया मेरे अपने घर-परिवार में कोई था नहीं जो रास्ता दिखलाता। अपनी मा का मैं इकलौता नडका था, और मम्बन्धी दूमरा था नहीं। कुछ दिनों के लिए मैं ताहीर चला गया। वहा सासा लाजपतराम ने 'तिलक स्कूल आफ पोलीटिक्म' गोला था। वहा गया और कुछ ममय बाद वसा आया। लेरिन मन् 1921 मे ही, नागपुर काग्रेस के बाद, मुझे नागपुर जाने का अवसर मिला। महात्मा भगवानदीन जी गिरपतार हो गये थे और मामी को बहा पहचाने मुझे साथ भेजा गया। मध्य प्रदेश मे काग्रेस के कार्य के लिए जबलपुर होते हुए नागपुर जाना था। जबनपुर मे मालनलाल चतुर्वेदी मे परिचय हुआ और स्टेशन पर सयोग मे पंडित सुन्दरलालजी भी मिल गये थे। इन दोनो महानुभावों मिलना हुआ और कहना चाहिए कि थोड़ी-बहुत साहित्यिक आदर्शों के प्रति, मूल्या के प्रति रुचि उनके विशेषकर मालनलाल जी के, कारण हुई होगी। जबलपुर मे उस समय स्कूल-कालेज मे निकले बहुत से लडके थे। एक आश्रम-सा बन गया था और वहा सुभद्रा कुमारी चौहान थी। सुभद्रा चौहान कवयित्री के रूप मे प्रतिष्ठित हो चुकी थी और मेरा उनसे परिचय ऐसा था जैसे तल मे खडे आदमी का शिलर मे हो। खैर, मैं नागपुर असहयोग आश्रम मे आ गया। कुछ ही बाद मालनलाल चतुर्वेदी गिरपतार हो गये। उनका मुकदमा विलामपुर मे चलना था और मैं भी वहां पहुंचा। सुभद्रा चौहान भी विलामपुर गयी थी, हमलोग असहयोग के काम में लग गये थे। गाव जाते थे, लोगो से मिलते-बताते थे और देहात मे कुछ कांग्रेस के सदस्य बनाते थे। सन् 1921 की बात है। इसी दौर में छिदवाडा और काग्रेस के सदस्य बनाने का काम किया। उस साल के अन्त मे अहमदाबाद मे कांग्रेस अधिवेशन हुआ और माता जी मेरी बहुत के साथ दिल्ली से वहा पहुंची। उनके साथ मैं भी वापस दिल्ली आ गया। उसके बाद सोचता हू कि सन् 1922 होगा कि महात्मा भगवानदीन बैतूल जेल से छूटे। रिहाई के वकत मा के साथ मैं बैतूल पहुंच गया था। वह समय ही अजीब था! माता जी वहा के अप्रेज कलेक्टर को राखी बांधने पहुंच गयी और उसने भी भाई की तरह रस्म निभाई। तभी महात्मा जी ने कहा कि तुम यहा कांग्रेस का काम क्यों नही करते हो? कुछ देश का काम करो। और मैं वही रह गया।

अब भी मुझे याद है, यद्यपि काफी दिनों की बात है, ताप्ती नदी के किनारे एक गाव था छोटा-सा। वहां हम लोगो ने तय किया कि कांग्रेस का प्रांतीय

मम्मेलन करेंगे। मैं समझिए मुख्य प्रस्तावक था। उस समय गांव भर में बड़ा उत्साह था, कोई घर ऐसा न था जहां चरखा न हो। सारे गांव ने तय किया कि कपडा पंडाल में नहीं लगाया जायेगा, सिर्फ हरे पत्ते हर रोज नये लाये जायेंगे। कैसा सुन्दर लगेगा, छाया रहेगी और बचाव भी रहेगा। तभी गया मे कांग्रेस होने वाली थी। और वैतूल मे मैं वहां गया। मुझे काम सौंपा गया कि प्रांतीय कांग्रेस अधिवेशन के लिए अध्यक्ष पक्का करके आऊं। गया में कांग्रेस में दो दल बन गये। कुछ लोग कौंसिलों को उपयोगी और आवश्यक मानते थे और गांधी जी के कार्यक्रम मे कौंसिलों के बायकाट का सवाल था। तो गया में परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के दरमियान काफी संघर्ष रहा। यह 1922 के अंत की बात है। पंडित सुन्दरलाल उस समय महाकौशल की प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। ई० राघवेन्द्र राव उनसे पहले अध्यक्ष थे। उन दोनों के पक्षों में काफी खीचतान चलती थी। मैं वैतूल से प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य बना। पर मुझे तो इन दलों से कोई लेना-देना था नहीं और मैं अपना मत स्वतन्त्र और निरपेक्ष भाव से रखता और देता था। बाकी मैं समझता था कि यह दलबन्दी कुछ शुभ और सहायक वस्तु नहीं है। पंडित सुन्दरलाल ने मुझसे कहा कि देखो, तुम्हें हमारे अनुकूल चलना होगा। मैंने कहा कि आपके प्रति मेरा पूज्य भाव है। आप मेरे अभिभावक है। लेकिन जो मुझे भीतर से उचित लगे उसके सिवाय मैं दूसरा क्या कह सकता हूं? यह हो सकता है कि आप चाहें तो मैं वह जगह ही छोड़ दू।...सक्षेप यह कि मैं फिर वापस वैतूल गया नहीं, गया की अधिवेशन से सीधा दिल्ली आ गया। मन को बड़ा सदमा और धक्का लगा। दलगत राजनीति या शक्ति की राजनीति खोलली चीज लगी।

### नागपुर भ्रष्टा सत्याग्रह (1923)

उसके बाद सन् 1923 आता है। उस सन् मे नागपुर में भ्रष्टा सत्याग्रह शुरू हुआ। सिविल लाइन्स मे भ्रष्टे के जुलूस को लेकर जाने नहीं दिया गया था। इस पर तय हुआ कि सत्याग्रह किया जाना चाहिए। मैं उस समय दिल्ली में था। महात्मा भगवानदीन जी के पास से बुलावे का तार आया। मैं गया और नागपुर सत्याग्रह के प्रचार के बाग मे मुझे लगा दिया गया। नागपुर सत्याग्रह मे सुभद्रा चौहान भी आ गयी थी, उनके पति लक्ष्मण सिंह जी भी काम करते थे। एक छोटी-सी कमेटी थी, पांच आदमियों की। उनमें प्रकाशन आदि का काम माखन-लाल जी के सुपुर्द किया गया और वहां से वह मुझे सौंपा गया। मैं अनेकानेक पत्रों के सम्पादकता के रूप मे कार्य करता रहा। तो अब यह इतिहास की बात है कि लोग बड़ी सख्या मे जेल गये और अन्त में समझौता हुआ। सरदार पटेल आ गये थे और उनके साथ सरकार की सधिवात्ता हुई। तय हुआ कि सिविल लाइन्स



मे भण्डे के जुलूस ले जाये जा सकते है और भण्डा सत्याग्रह की समाप्ति हुई । उस सत्याग्रह के समय काफी लोग ऐसे थे जिनकी याद की जा सकती है । छासतौर से हमारे हस्तम जी अवारी । वे एक पारमी सज्जन थे, उन्होंने नौकरी छोड दी थी मिल से और तब से वरावर आन्दोलन का काम करने लग गये थे । जेल में उनके साथ वेहद सक्तियां हुई लेकिन उनकी हिम्मत को और उनकी लगन को कोई कुछ मन्द नहीं कर सका । अन्य प्रमुखों मे थे महात्मा भगवानदीन जी, विनोबाजी और जमानलाल बजाज । सरदार पटेल वाद मे आये । ये तो जन थे ही लेकिन उनसे दूसरी पक्ति मे भी कुछ लोग थे जिनका योग इतना ही महत्वपूर्ण था । जैसे नीलकठ राव और आविद अली आदि । मैं भी अन्त मे गिरपतार हो गया । गिर-पतारी के समय की बात याद आती है । मुझे सम्मन मिला था कि कचहरी मे अमुक दिन दस बजे हाजिर होऊ । अब आप देखिए सन् 1923 की यह स्थिति । सम्मन के कागज के पीठ पीछे मैंने लिख दिया कि उस तारीख को आ तो सकता हू, लेकिन अगर आप अमुविधा न मानें तो तीन बजे मेरी उपस्थिति हो सकेगी । इस प्रकार के विश्वस्त सम्बन्ध आपस मे बन गये थे । जो मैजिस्ट्रेट मुझे दड देने वाला था उमी मैजिस्ट्रेट को, अग्रेज होते भी, विलकुल अनौपचारिक रूप से कह दिया जा सकता था कि मैं अमुक समय आऊगा । मैं मुख्यतया सम्वाददाता का काम करता था । उस हैसियत से सरकारी अधिकारियों से मिलना-जुलना, आना-जाना रहता था । 'बोम्बे क्रोनिकल' के एक विशेष सम्वाददाता थे श्री राघवन । वे सत्याग्रह मे योग देने के लिए बुलाये गये । एक बार की बात है कि जिलाधीश श्री गोवन के कमरे में मैं और राघवन बैठे हुए थे । तब राघवन ने कहा कि इनको आप जानते हैं ? वे बोले कि जानता क्यों नहीं वरावर तो मिलना रहता है । एक बार श्री गोवन ने सम्वाददाताओ की मीटिंग बुलाई थी और कहा कि जो आपकी 'रिपोर्ट्स' हों वे हमको दिखाकर आप भेजिए तो वे प्रमाणिक होगी । मैंने कहा कि यह व्यावहारिक और सम्भव न होगा । कुछ अप्रमाणिक हो हमारी 'रिपोर्ट्स' में तो आप खण्डन कर सकते है या वाद मे बता सकते है । ऐसा लगता है कि उस कारण मैं कुछ उनकी निगाह में चुभ गया । अर्थात् उनकी निगाह में एक अनमना-पन साफ था । तब राघवन ने बताया कि यह महात्मा भगवानदीनजी के भाजे हैं । यह सम्बन्ध उनको मालूम नहीं था । मानते होंगे कि मैं केवल एक सम्वाददाता हूँ । बस यह था कि अगले दिन ही सम्मन आ गये और भटपट सजा भी मिल गयी । पहले नागपुर जेल में रहे, उनके बाद फिर होशंगाबाद जेल लाये गये । लेकिन फिर समझौता हो गया और जेल से हमको छोड दिया गया । यह 1923 की क्या है ।'

—'भण्डा सत्याग्रह में जो लोग भाग लेते थे, उसमें कौन-कौन से तबके के लोग ज्यादा थे ?'

—‘चारों तरफ से और सब तरह के ही लोग आते थे—सामान्य, गुणी और प्रतिष्ठित सभी—हिन्दू-मुस्लिम, पारसी। गुजरात से बहुत बड़ा जत्था आया था और उसमें शंकरलाल द्वारकादास पारिख और हरिलाल हरजीवनदास नारियलवाला के नाम मुझे याद हैं। नारियलवाला उस वक़्त असैम्बली के सदस्य थे। रविशंकर महाराज भी शायद थे। एन० एस० वरदाचारी और के० सन्तानम दक्षिण से आये थे। मुझे लगता है कि उस सत्याग्रह में भाग लेने वालों में शायद पूरा का पूरा सोसायटी का ‘स्पैक्ट्रम’ आ जाता था। शायद ही कोई वर्ग बचा हो। सेतीहर थे, मजदूर थे, डाक्टर थे, वकील थे और अच्छे व्यापारी भी थे। चारों ओर से लोग उमड़ पड़े थे। मैंने स्वयंसेवक एकत्र करने का काम थोड़ा-बहुत किया था इस समय में, जैसे मैं इनके लिए बैतूल गया और देखा कि यदि सो स्वयंसेवकों की आवश्यकता है तो दुगुने, चौगुने प्रस्तुत थे कि हमको भी अवसर दिया जाये। उत्साह का यह हात था।’

—‘जब आप लोगों को भर्ती करते थे तो क्या तथ्य आप लोगों के सामने रहते थे?’

—‘भ्रूण्डे के बारे में स्थिति थोड़ी ही। लेकिन जो लोगों का जत्था जाता था सिविल लाइन्स में भ्रूण्डा लेकर तो सिरे पर ही पुलिस के सिपाही मिलते और उन्हें गिरफ्तार कर लेते। गिरफ्तारी के लिए जाने वाले लोगों को समझाया जाता था कि देखो, जेल में कष्ट हो सकता है, गोली भी चल सकती है, फांसी भी लग सकती है, क्या हो सकता है इसका कोई अनुमान नहीं है। पर हमारा हक है कि हम अपने नगर में अपना भ्रूण्डा ले जा सकें। अगर इस हक को नहीं माना जाता है तो जीवन नाहक हो जाता है। उस हक को जान देकर भी प्रतिष्ठित करना है। यह हमारी लड़ाई है। इसमें अगर तुमको पक्का विश्वास हो और तुम स्वेच्छा से सब कष्टों को स्वीकार कर सको, बरदाशत कर सको, तब तुमको जाना चाहिए। अन्यथा पीछे रह कर भी दूसरी तरह के काम कर सकते हो। यह स्पष्टतया सबको बतला दिया जाता था।’

मुझे याद है कि पंजाब वाले के० सन्तानम आए थे। उन्होंने एक व्यक्ति की बहुत प्रशंसा की। कहा कि इसको कुछ भी कहने-समझाने की आवश्यकता नहीं है। नाम उनका नहीं बता सकूंगा, वे अभी है। पर जेल जाने पर भाफी मांगने वालों में दिखाई दिए। यह सब था, पर कुछ लोग, खासकर वहां महाराष्ट्रीय जन जैसे माधव श्रीहरि अणे, मोरेश्वर वासुदेव अभ्यंकर, चोलकर, मुंजे आदि विरोध में थे। श्री अभ्यंकर और अणे से मेरी बात हुई, और वे काफी हल्के ढंग से इस बारे में सोचते थे। एक बात और शायद उल्लेखनीय मान ली जाए। डा० केशव बलिराम हेडगेवार जो बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक बने, मन् 1921 में कांग्रेस में थे। मुझे याद है कि मेरे प्रति बहुत अच्छे भाव रखते थे

और मिलकर हम सभाओं में जाया करते थे। माधव सदाशिवराव गोलवलकर (गुरुजी) को सब जानते हैं। एक धार की बात है कि गोलवलकर उमी हवाई जहाज से दिल्ली से नागपुर जा रहे थे जिससे मुझे जाना था। यह तब की बात है जब वायुयान आरम्भ हो हुई थी। मैं जा रहा था हैदराबाद। बीच में वे उठकर मेरे पास आ गए। बैठे और कहा, 'जैनेन्द्र, मेरा तुम्हारा परिचय है।' मैंने कहा कि परिचय तो अभी लाला हंसराज जी ने कराया है। बोले, 'यह परिचय नहीं, पुराना परिचय है।' मैं विस्मय में पड़ा तो उन्होंने बतलाया कि हेडगेवार डायरी लिखा करते थे और उनकी डायरी में तुम्हारा कई जगह जिक्र आता है। उन दिनों भी डाक्टर हेडगेवार के चित्त में कुछ अपने विचार थे कि किस प्रकार देश संगठित होना चाहिए। किन्तु कार्य कांग्रेस में करते थे। आगे जाकर कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व से उनको कुछ अमन्तोष हुआ और उन्होंने अपना नया मार्ग धारण किया।'

### महात्मा गांधी : जैनेन्द्र की दृष्टि में

—'अणे और अम्यंकर भण्डा सत्याग्रह के पक्ष में नहीं थे। तो जब उनसे आपकी बातचीत हुई तो उनके क्या तर्क थे उसके विरुद्ध ?'

'तर्क-वितर्क को क्या कहीं दूँडने जाना होता है? वे तो गांधीजी को ही कुछ महत्व देने को तैयार नहीं थे। मजाक उड़ाते थे। जैसे कि गणेश श्री कृष्ण खापडे साहब। एक बार मुभाप बस रेलगाड़ी से उधर से गुजरे। मैं संवाददाता था ही, हर जगह पहुँच सकता था। स्टेशन पर मैं उस डब्बे में गया तो वहाँ ये लोग भी थे। अम्यंकर थे, अणे भी थे। यह काफी दिनों की बात है। सन् 1923 में, मैं तो छोटा ही रहा हूँगा। समझिए कि कोई 17-18 वर्ष का। इसलिए बढ़कर उनके साथ तर्क तो नहीं कर सकता था, लेकिन सत्याग्रह के महत्व पर उनका ध्यान नहीं था। वे समझते थे कि यह एक तमाशा है।'

—'अणे और अन्य लोगों का जो विरोध था, क्या वह इसलिए था कि गांधी जी के लोग भण्डा सत्याग्रह चला रहे थे ?'

—'मूलतः विचारधारा का अन्तर था। गांधी जी के ढंग से सोचने वाले इसके पक्ष में थे लेकिन दूसरे तरीके से सोचने वाले, जिसको तिलक का तरीका कहा जा सकता है, वे लोग प्रभावित नहीं थे। सत्याग्रह इत्यादि में शायद उतनी आस्था नहीं रखते थे। यही कारण रहा होगा, मैं सोचता हूँ।'

## हिन्दू-मुसलमानों के आपसी सम्बन्ध (1922 के बाद)

'उसके बाद सन् 1923 में भण्डा सत्याग्रह की सफल समाप्ति पर हम दिल्ली आ गए। होशंगाबाद जेल में रिहाई पर वापस नागपुर बगैरह कही जाने का सवाल नहीं आया। दिल्ली में हिन्दू-मुस्लिम भगडा हुआ। कुछ हत्यायें हुईं। बहुत से लोग जख्मी हुए और गांधी जी ने अपना उपवास किया पहला, यही दिल्ली में। मौलाना मुहम्मद अली की जगह पर उनके उपवास का प्रारम्भ हुआ और उस उपवास के परिणामस्वरूप यहा एक 'यूनिटी कांफ्रेंस' की गयी थी, काफी बड़े पैमाने पर, और उसका प्रभाव अच्छा पड़ा। गांधी जी का उपवास टूटा। मुझे उस समय गांधी जी के पास कई बार उपस्थित होने का अवसर मिला।

आर्य समाज का अपना एक सीचने का ढंग था। उनमें मुसलमानों के लिए मान्यता थी कि मुख्यता से इनके विचार, इनकी आस्था, इनकी वफादारी अधिक साम्प्रदायिक है, बाहर विदेश में, यानी अपने स्वदेश भारतवर्ष से बाहर, इनका मन रहता है और इसलिए इनसे कोई मेल नहीं हो सकता है। गांधी जी ने आर्य-समाज के सम्बन्ध में कुछ लिखा था जो उनको प्रिय नहीं हुआ था। आर्यसमाज के नेतागण उनके पास पहुंचे और अपनी शिकायतें रखी, विशेषकर स्वामी दयानन्द और 'सत्यार्थ प्रकाश' पर उनकी टीका के बारे में। गांधी जी ने इतना ही कहा कि मैं बहस तो क्या कर सकता हूँ। लेकिन मेरे मन पर जां छाप पड़ी उसके हिसाब से मैंने लिखा है। मैंने देखा कि गांधी जी में नम्रता बेहद थी, लेकिन सत्य के प्रति उनका आग्रह और उसके सम्बन्ध में दृढ़ता और अटलता भी पूरी थी। पर नम्रता समीक्षा को कटु नहीं बनने देती थी। परस्परता के सूत्र को टूटने नहीं देती थी। नम्रता रहती, साथ दृढ़ता भी निभती थी। यह अनुभव था तब का।'

—'जब आपने कालेज छोड़ा तो उस वक्त आपके साथ और विद्यार्थियों ने भी छोड़ा या आप अकेले ही थे?'

'—नहीं, असल में बहुत से विद्यार्थियों ने छोड़ा। आचार्य कृपलानी उन दिनों सेंट्रल हिन्दू कालेज, बनारस में पढ़ाते थे। बनारस यूनिवर्सिटी तभी बनी थी, उनके साथ बहुत से लोगों ने छोड़ा। खास तौर से गांधी आश्रम के जो प्रमुख कार्यकर्त्ता बने वे सबके सब बनारस के छोड़े हुए थे, जैसे कि विचित्र नारायण, कपिल, राजाराम भाई, धीरेन्द्र भाई। यह सब लोग वही के असहयोगी हैं। लेकिन मेरी स्थिति कुछ विचित्र थी। कुछ मैं उम्र में भी कम था और मुझ में हीनभाव बेहद था। इसलिए कृपलानी के समुदाय में नहीं मिल सका, कुछ अकेला-अकेला-सा ही रहा। लाल बहादुर शास्त्री ने भी बनारस से ...

खयाल मे टी० एन० सिंह भी वही थे । लाल बहादुर शाहद उस समय स्कूल में थे, मैं कालेज में था । गांधी आश्रम की स्थापना लगभग वहीं हो गई । जिन लड़को ने छोड़ा उनको लेकर आचार्य कृपलानी बैठ गये और वहीं एक संस्था का निर्माण हो गया । काशी के सेठ शिवप्रसाद गुप्त मे बहुत उत्कट राष्ट्रीय भावना थी और मानना चाहिए कि काशी विद्यापीठ का सूत्रपात वही से हुआ । विद्यार्थी लोग जूट गये और एक संस्था का निर्माण हो गया ।

—'विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय छोड़ने के लिए जो प्रोत्साहन मिला उसमें कृपलानी जी का भी कुछ हाथ था ?'

कृपलानी जी का काफी कुछ हाथ था । लेकिन गांधी जी जब आये तो मुझे याद है लड़के उनके पास पहुंचे । मामूली तौर पर गांधी जी का यह कहना था कि यह शिक्षण तो विपरीत है । इस शिक्षण से हमें अलग हट जाना चाहिए, इसे त्याग देना चाहिए । लेकिन जब उनसे व्यक्तिशः विद्यार्थी पूछने जाते थे तो वे कहते थे कि भाई मालवीय जी से पूछ लो । यानी मालवीय जी के विरुद्ध चलो, ऐसा संकेत वे कभी नहीं देते थे । यद्यपि उनका विचार था कि कालेज छोड़ना चाहिए विद्यार्थियों को । लेकिन व्यक्तिशः पूछे जाने पर वे कहते थे कि महामना मालवीय जी से मिलो और फिर जैसा तुम उचित समझो, करो । उनकी बात रख सकते हो तो रखो ।

—'आप लोगों ने कासेज गांधी जी के कहने पर छोड़ा या याकई आप लोगों ने समझा कि ऐसा करने से देश का उद्धार होगा ?'

—'यह तो बहुत मुश्किल है—अपने सम्बन्ध में स्वयं अपने मन का विश्लेषण कर पाना । लेकिन जहां तक मैं अपनी बात कहता हूं उसके जो फलितार्थ थे, वे शायद उतने स्पष्ट मेरे मन में नहीं थे । एक जोश था, एक हवा बनी और उसमें लगा कि ऐसा ही करना चाहिए । सासतौर से महात्मा भगवानदीन जो एक पत्र आया कि शर्म की बात है कि तुम पढ़ने बैठे हो, सगा कि अब इसमें बाकी कुछ बचा ही नहीं देना है ।

—‘जब आपने गांधी जी को पहली बार देखा और उनका भाषण सुना उस वक़्त वे इक्यावन वर्ष के थे, उनके भाषण बहुत जोशीले नहीं होते थे, हिन्दी टूटी फूटी बोलते थे। तो क्या चीज नौजवानों को उनकी तरफ आकर्षित करती थी?’

—‘जोशीले तो खैर उनके भाषण इक्यावन वर्ष की उम्र में क्या, पीछे या पहले भी नहीं हुए होंगे। उनकी भाषा संतुलित रहती थी, उसमें कभी आवेश नहीं रहता था, लेकिन सच्चाई की दमक कुछ ऐसी थी, जो छू जाती थी और जिसको आवेश वाला जोश कहते हैं, वह नहीं होता था, लेकिन तो भी इतनी जबरदस्त चूनोती रहती थी, एक प्रकार की अदम्यता रहती थी कि सामने वाला उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। उसका विश्लेषण कर सकना बहुत कठिन है। गांधीजी के पास पहुँचकर एक बात जो मैंने अनुभव की, और जिसका तर्क बिलकुल हाथ नहीं आता है, वह यह कि यदि जैनेन्द्र उनके पास जाए तो लौटने पर अनुभव होता था कि वह सवा जैनेन्द्र बन गया है। हर कोई जितना जाता उससे बढ़कर लौटता था। मान लीजिए कोई जैन है तो और पक्का जैन होकर लौटता। लेकिन मान लीजिए कि कोई मुसलमान जाता है तो वह उतना ही पक्का मुसलमान बनकर लौटता था। प्रत्येक व्यक्ति जो पास जाता था, अपने को बढ़ा हुआ अनुभव करता था, और मैं मानता हूँ कि यह चमत्कार एक ऐसा चमत्कार था उसके बाद मैंने तो किसी भी व्यक्ति में वह बात देखी नहीं। और मैं इस विशेषता को बहुत समझने की कोशिश करता हूँ, उसके तर्क को, तुक को, तो समझ नहीं पाता हूँ कि यह कैसे सम्भव होता है। तो गांधी जी का जादू कुछ यह था। मुझमें विमुख कोई जायेगा, वह भी वहाँ से अपने को बढ़ा-चढ़ा अनुभव करके लौटेगा, मैं जाऊँगा तो मैं अपने में सवाया-ड्योड़ा अनुभव करता हुआ लौटूँगा। यानी हरेक के व्यक्तित्व में, उस उपस्थिति में ऐसा कुछ उभार, उन्मेष भर आता था कि आदमी हमेशा के लिए अपने से भी अधिक उनका हो जाता था। अधिकांश नेतागण हैं कि जिनके पास पहुँचकर आप अपने को छोटा अनुभव करते हैं। यदि ऐसा होता है तो हाँ आकर्षण कैसे निर्माण पा सकता है? गांधीजी के पास होकर मानो आपके अन्दर की सब सम्भावनाएँ जी और जाग जाती थीं। ऐसा मालूम होता था कि कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। जैसे उनकी आत्मशक्ति आप में बह आती हो। इसको मैं एक अनोखी प्रक्रिया ही कहता हूँ, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आता है कि यह कैसे सम्भव है। यह सम्भव तभी हो सकता है जबकि पुरप नितान्त, निःस्व और प्रेमल हो जाये। निज में इतना विमुक्त हो जाये कि दूसरे के स्व में अनायास डल जाये। यह उनके लिए सम्भव हो सकता है जिगको मुक्त-आत्मा कहते हैं। इसे एक दैवी विशेषता ही कहिए।’

—‘गांधीजी के भाषण जो आपने सुने, शायद वे दिमाग को इतना ज्यादा अपील नहीं करते थे, जितना दिल को करते थे और शायद दिल से अधिक आत्मा को। वे क्या उसको बड़ी गहराई से झिझोड़ देते थे?’

—‘यह बात विल्कुल ठीक है। मैं तो बल्कि कहता हूँ कि विनोबा जी बोलते हैं तो लगता है उपनिषद् ही बोल रहा है, उसमें ‘पञ्चब्रह्मणस्’ तक ज्यो-की-त्यो मौजूद हैं। यानी शास्त्र बोल रहा है। और गांधीजी जब बोलते थे तो लगता था कि यह कुछ ऐसी निर्गुण वाणी है जो सुनने वाले और कहने वाले के बीच संवादित्वा स्थापित कर स्वयं गायब हो गई है। यानी पुस्तक नहीं है, उसमें स्वतंत्र रूप नहीं है। उसको ‘रिकार्ड’ करें तो लगता है कि पुस्तक नहीं बनती है; उसमें व्याकरण नहीं होता, शुद्धता नहीं होती। आप उसको हृदय की भाषा कहना चाहें तो कहें। लेकिन मैं मानता हूँ कि हृदय की तो वह थी ही, लेकिन भाषा में उनकी आत्म-व्यथा इस तरह से ध्वनित और व्यंजित होती थी कि भाषा बोली जा रही है, यह सुनने वाले को पता ही नहीं रहता था। यानी भाषा का अस्तित्व समाप्त हो जाता था और एक अभेद सुनने और बोलने वाले के बीच में बनने लग जाता था। गांधीजी के बारे में यह अद्भुत अनुभव आता था। भाषा के मिस व्यक्ति जैसे एक-दूसरे को प्राप्त कर रहा हो, ऐसा लगता था।’

—‘सन् 1919 में एक ऐसा तूफान आया और सब वर्गों के लोग गांधीजी की ओर खिंचते चले गये। आपके विचार में इसका क्या कारण हो सकता है?’

—‘कारण समझने को शेष रह ही जाता है। राजनीति के क्षेत्र में बुद्धि और प्रतिभा की प्रखरता और वाग्मिता से तो लोगों का परिचय था। गांधीजी के विषय में प्रतीत हुआ कि उस परम्परा में वे कहीं आते ही नहीं हैं। विल्कुल जैसे एक नया तत्व लोगों के सामने आया हो, ऐसा भारतवर्ष को लगा और इस प्रचंड आकर्षण को किसी प्रकार के प्राचीर रोक नहीं सके। ऊँचे ने ऊँचे बुद्धिवादी वाग्मी नेता, आलोचक और कानून के पण्डित, सबके सब खिंचते चले आये। कारण यही कि ऐसा विलक्षण, आश्चर्यजनक ‘फिनोमिना’ सामने था जिसने विश्लेषण का अवकाश न दिया। सच यह कि उनसे एक असह्य चुनौती आदमी को मिली। लोगों को लगा कि जैसे उनका अन्तःकरण ही उनके रूप में स्वरूप ले उठा है, मानो अतस्य भगवान ही उनके सामने आ खड़े हुए हैं। उस प्रेम की फटकार और ललकार के समक्ष सब में एक आत्मस्फूर्ति जगी। आत्मानुभूति कौंधी कि हम खुद अपनी तरफ नहीं चल रहे थे, अपने से दूर भटकते हुए चले जा रहे थे। अब शायद अपने को हम पा रहे हैं तो आरम-लाभ का-सा आनन्द और उप-सन्धि राष्ट्र को अनुभव हुई। मैं मानता हूँ कि यह कारण रहा होगा कि हर प्रकार

के आदमी झुक पड़े गांधीजी के इस आन्दोलन में।

—‘आपने अभी कहा कि वे जब विद्यार्थियों से विश्वविद्यालय में मिले, हिंदू विश्वविद्यालय में, तो उन्होंने कहा कि मालवीय जी से आप मिलिये। तो क्या आपको उस वक़्त ऐसा लगा या अभी ऐसा लगता है कि ऐसी बात करने में केवल शिष्टता ही नहीं थी बल्कि गहरी राजनीति भी थी। वे अपने आलोचकों को बहुत ज्यादा दूर नहीं करते थे, बल्कि और ज्यादा नजदीक लाने की कोशिश करते थे?’

—‘अब आपको कहना पड़ रहा है कि गहरी राजनीति थी। तो यह गहरी क्यों कहना पड़ रहा है? मतलब यह है कि कोरमकोर राजनीतिक निपुणता और शिष्टता नहीं थी, बल्कि वह उससे कुछ गहरी चीज थी। और मैं मानता हूँ कि गांधीजी की सकलता का सचमुच एक भेद यह है कि वे अपने से अलग, यहाँ तक कि विरोधी विचार रखने वालों के प्रति भी मन में वही प्रीति और आदर का भाव रखते थे। बल्कि कुछ अधिक। यह केवल औपचारिकता नहीं थी, बल्कि उनके व्यक्तित्व में रची-रमी सत्यता थी। जगत भर के लिए आदर उनमें उतना गहरा रमा हुआ था। इसी का परिणाम था कि उनके विरोधी भी उनसे बिछुड़े नहीं रह पाये। अन्त तक जो उनके दुश्मन ही रहे सो इसलिए कि दूर-दूर से गांधी जी के बारे में उन्होंने अपनी कल्पना बनाई और उससे डर का नाता जोड़ा। कहिए कि उस भय ने आकर्षण को विकर्षण का रूप दे दिया। उनकी बात मनो-विज्ञान के लिए छोड़ दीजिए। और मैं मानता हूँ कि गोडसे का अगर यह भाग्य होता कि वे गांधी जी के निकट सम्पर्क में आ पाते तो गांधी जी को मारते ही उन्हें पता चल जाता कि असली गांधी और है, यह वह आदमी नहीं है। जो दूर-दूर रहे, गांधी जी से निकट सम्पर्क से बचे रहे, उन्होंने कल्पना में जाने क्या-क्या रूप बना लिए। उन्हीं भूतों को फिर मारना चाहा या कोसना चाहा। लेकिन गांधी जी के स्पर्श में जो एक दफा आ गये, उन्होंने देखा कि यह अपने किसी मतवाद में बन्द आदमी नहीं है। इसकी सहानुभूति खुली है और विरोधी से भी विरोधी के प्रति उसके मन में गहरा सवेदन और स्नेह है। यह पूर्णतः सच है कि अवसर आता तो अपने प्रचण्ड-से-प्रचण्ड विरोधी के लिए भी अपनी जान निछावर कर देने में उनको तनिक सोच या विलम्ब न होता। इतनी उनमें एकात्मक भावना थी। बिना किसी शर्त के, बिना किसी माँग के प्रत्येक व्यक्ति के लिए वह जीवनोत्सर्ग को उद्यत तथा लालायित थे। उनकी इस आन्तरिक सच्चाई का बाहर बृहत् परिणाम हुआ। मुझे किसी ने बताया था और मैं इसका विश्वास करता हूँ। पंजाब के ‘मार्शल ला’ में बहुत जानें गयीं। मालवीय जी पहुँचे। मालवीय जी तो बहुत ही सहृदय और कोमल चित्त के पुरुष थे। उनके उमड़े आँसू रकते न थे।





खतरे में है। क्या आम मुसलमान भी ऐसा मानते थे ?'

'हां, यह बात मैं मानता हूँ। मानना होगा कि खिलाफत आन्दोलन के लिए उस समय आम मुसलमान गहरा अहसास रखता था। यह सन् 1921 की ही बात होगी। मैं खुद सदर बाजार में रहता था। वहाँ कांग्रेस कमेटी बनी। उस समय सदर बाजार में मुसलमान कारवारी ज्यादा थे। शायद 80 फीसदी कांग्रेस कमेटी के लोग खिलाफत आन्दोलन के मुस्लिम थे। उस जमाने में खिलाफत आन्दोलन और राष्ट्र की स्वतंत्रता का, स्वराज्य का आन्दोलन, ये जैसे दो अलग-अलग धाराएँ ही नहीं रह गयी थीं। मुसलमानों में खिलाफत के लिए तीव्र भावना थी। खिलाफत के आन्दोलन के लिए औचित्य कितना था, कितना वह टिक सकता था इत्यादि प्रश्न दूसरा है। किन्तु गांधीजी ने माना कि यह मेरा मजहबी प्रश्न नहीं है, यह तो मुसलमानों का अपना प्रश्न है। लेकिन मुसलमानों में इस बारे में इतनी तीव्र भावना है, इतना मेरे लिए पर्याप्त है कि मैं उसे अपना मान लूँ। यह तर्क धार्मिक व्यक्ति की दृष्टि से बिल्कुल ठीक ही था। मुसलमानों में उस समय काफी क्षोभ था अपने खिलाफत को लेकर, यह सच बात है।

'उस समय की कहानी तो आप जानते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद पर सबसे प्रमुख आर्य समाजी स्वामी श्रद्धानन्द जी को ले जाया गया, और जहाँ पर इमाम ही बैठ सकता है, वाज करता है, वहाँ से उनको बुलवाया गया। यह उस समय की भावना थी।'

'—तीन साल के हिन्दू मुस्लिम भाईचारे के बाद सन् 1923 में दिल्ली और मुल्तान में हिन्दू-मुस्लिम दंगे हुए। यह एकता क्यों टूटी ?'

'—मैं मानता हूँ कि आप जिस तरह से देखते हैं कि एकता टूटी, तो मैं कहता हूँ कि अनेकता जो चली आ रही थी वह हमारी नसों में पैबस्त थी बहुत दूर तक। एकता थी कहा, जिसको हम टूटी कहते हैं, वह हमारे भीतर समाया हुआ शकोमुबह का जहर था जो फूटा। मैं मानता हूँ कि पुराने जमाने से हिन्दू और मुस्लिम इन दोनों शब्दों को इस तरह से पकड़कर अलग-अलग बिठाया गया कि एक संशय हमारी नसों में, खून में घुल गया था। बहुत से सन्त लोग आये कि जिन्होंने इस विषय को काटना चाहा, लेकिन विषय तो सदियों से बनता रहा था और हमारे अन्दर पैबस्त होता रहा था, वह सहमा कट नहीं सकता था। फिर वह दुई अंग्रेज के फायदे की थी। उसने इसकी बुनियादों को मजबूत करने की खूब चालें चलीं। गांधी जी ने जो प्रयत्न किया और उसके जो परिणाम उनको दिखलायी दिये, उस पर तो विस्मय होना चाहिए। किन्तु मैं मानता हूँ कि शायद एक गांधी काफी नहीं है, इस विषय को हजम करने के लिए और भी गांधियों की आवश्यकता हो सकती है।'

विधवा आती जिसने अपना पति खोया था, मां आती थी जिसके बच्चे चले गये थे। तो उन मर्दके लिए उनकी आंखों में आंसू वह आते थे, वे विह्वल हो जाते थे। गांधीजी गये। दुःखी उनके पास आता तो सम्बेदना का एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता था। बल्कि कहते थे 'अच्छा' तुम्हारे दो बेटे गये। और कोई है? उसको भी तैयार करो।' उनके सम्बोधन में शोक-विपाद नहीं रहता था। लेकिन अतरंग में तडप ऐसी थी, दूरवीरता से भरी कि पंजाब उन पर लट्टू हो गया, उनके पीछे दीवाना बन गया। आंखों में आंसू एक नहीं, लेकिन हृदय इतना विदग्ध, यद्यपि प्रणवान, कि सामने वाला व्यक्ति स्वयं अपने शोक को भूल रहता और फिर उर्म से शक्ति उपजा आता था। तो यह जो चीज है, इतनी एक गहन संवेदन और व्यथा जो प्रकट होने की आवश्यकता में नहीं रहती, प्रत्युत प्रगट पराक्रम के रूप में होती है - यह थी जो गांधी जी की विशेषता थी।'

### हिन्दू-मुस्लिम यूनिट कांफ्रेंस (1924)

—'शुरू में गांधीजी का भुकाव ज्यादा मुसलमानों की तरफ था। इसका आप क्या कारण समझते हैं?'

—'गांधी जी असल में धर्म के व्यक्ति थे। उन्होंने कहा भी है कि बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे कि जो धार्मिक दीखते हैं। लेकिन असल में अन्दर से वे राजनीतिज्ञ हैं। मैं राजनीति के क्षेत्र में दिखाई देता हूँ लेकिन मैं अपने बारे में मानता हूँ कि धार्मिक हूँ। तो यह जो एक दूसरे के प्रति संशय है, अविश्वास है, यह उनको चुभता था। भारतीय जीवन में धर्म के कारण जो यह भेद पड़ गया है उनको सर्वथा अनर्थ मालूम होता था, अधर्म मालूम होता था। हिन्दू-मुस्लिम एकता, जिसमें शेष सम्प्रदाय के लोग भी गभित हो जाते हैं, उनके कार्यक्रम का एक विशेष स्तम्भ थी। मैं मानता हूँ कि यह उनकी कोई योजना नहीं थी, उनके कुल व्यक्तित्व की प्रकृति ही ऐसी थी। यह उनके लिए असह्य था कि धर्म के कारण आपसी वैमनस्य हो। संशय और अविश्वास के वातावरण को वे सह नहीं सकते थे। जब गांधी जी भारतवर्ष के राजकारण के क्षेत्र में आये तब से कहना चाहिए कि मारे राजकरण का नैतिकीकरण हुआ, यानी वह कुछ आध्यात्मिक होता गया। और यदि ऐसा होना था तो जो दो मुख्य वर्ग थे, हिन्दू और मुस्लिम, उनके बीच में पूरा ऐक्य हो, यह उनके कार्यक्रम का ध्रुव बने बिना कैसे रहता?'

—'जैसा उस वक़्त आमतौर पर कहा जाता था कि मुसलमान खिलाफत के बारे में बहुत क्षुब्ध थे और इसलिए गांधी जी ने उस पर बहुत जोर दिया। मुसलमान सचमुच क्षुब्ध थे कि खिलाफत खत्म की जा रही है और उनका धर्म

खतरे में है। क्या आम मुसलमान भी ऐसा मानते थे ?'

'हां, यह बात मैं मानता हूँ। मानना होगा कि खिलाफत आन्दोलन के लिए उस समय आम मुसलमान गहरा अहसास रखता था। यह सन् 1921 की ही बात होगी। मैं खुद सदर बाजार में रहता था। वहाँ कांग्रेस कमेटी बनी। उस समय सदर बाजार में मुसलमान कारवारी ज्यादा थे। शायद 80 फीसदी कांग्रेस कमेटी के लोग खिलाफत आन्दोलन के मुस्लिम थे। उस जमाने में खिलाफत आन्दोलन और राष्ट्र की स्वतंत्रता का, स्वराज्य का आन्दोलन, ये जैसे दो अलग-अलग धाराएँ ही नहीं रह गयी थी। मुसलमानों में खिलाफत के लिए तीव्र भावना थी। खिलाफत के आन्दोलन के लिए औचित्य कितना था, कितना वह टिक सकता था इत्यादि प्रश्न दूसरा है। किन्तु गांधीजी ने माना कि यह मेरा मजहबी प्रश्न नहीं है, यह तो मुसलमानों का अपना प्रश्न है। लेकिन मुसलमानों में इस बारे में इतनी तीव्र भावना है, इतना मेरे लिए पर्याप्त है कि मैं उसे अपना मान लूँ। यह तर्क धार्मिक व्यक्ति की दृष्टि से बिल्कुल ठीक ही था। मुसलमानों में उस समय काफी क्षोभ था अपने खिलाफत को लेकर, यह सच बात है।

'उस समय की कहानी तो आप जानते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद पर सबसे प्रमुख आये समाजी स्वामी श्रद्धानन्द जी को ले जाया गया, और जहाँ पर इमाम ही बैठ सकता है, वाज करता है, वहाँ से उनको बुलवाया गया। यह उस समय की भावना थी।'

'—तीन साल के हिन्दू मुस्लिम भाईचारे के बाद सन् 1923 में दिल्ली और मुलतान में हिन्दू-मुस्लिम दंगे हुए। यह एकता क्यों टूटी ?'

—'मैं मानता हूँ कि आप जिस तरह से देखते हैं कि एकता टूटी, तो मैं कहता हूँ कि अनेकता जो चली आ रही थी वह हमारी नसों में पैबस्त थी बहुत दूर तक। एकता थी कहां, जिसको हम टूटी कहते हैं, वह हमारे भीतर समाया हुआ शकोमुबह का जहर था जो फूटा। मैं मानता हूँ कि पुराने जमाने से हिन्दू और मुस्लिम इन दोनों शब्दों को इस तरह से पकड़कर अलग-अलग बिठाया गया कि एक सशय हमारी नसों में, खून में घुल गया था। बहुत से सन्त लोग आये कि जिन्होंने इस विष को काटना चाहा, लेकिन विष तो सदियों से बनता रहा था और हमारे अन्दर पैबस्त होता रहा था, वह सहसा कट नहीं सकता था। फिर वह दुई अंग्रेज के फायदे की थी। उसने इसकी बुनियादों को मजबूत करने की खूब चाले चली। गांधी जी ने जो प्रयत्न किया और उसके जो परिणाम उनको दिखलायी दिये, उस पर तो विस्मय होना चाहिए। किन्तु मैं मानता हूँ कि शायद एक गांधी काफी नहीं है, इस विष को हजम करने के लिए और भी गांधियों की आवश्यकता हो सकती है।'

—'जैसा आपने कहा कि 'हिन्दू-मुस्लिम यूनिटी कांफ्रेंस' हुई थी जब गांधी जी ने 21 दिन का व्रत रखा, उसके बारे में आपके क्या कुछ संस्मरण हैं ?'

—'एक संस्मरण यह है कि कुछ लोग इस विचार के थे कि मजहब मदा लडाता है। हिन्दुत्व और इस्लाम रहेंगे तो तकरार भी रहेगी। मेल के लिए नास्तिकता का आधार अच्छा रहेगा। सरोजनी नायडू, डा० भगवान दास, पंडित सुन्दरलाल और इस तरह के कुछ और लोग जमा हुए जिन्होंने कहा कि नामजहबीयत शुरू करनी चाहिए। उसके आधार पर फिर इंसानियत को खड़ा किया जा सकता है। यह जो मजहबी जुनून पैदा हो जाता है घमविश, उसके लिए कोई मौका रहेगा ही नहीं। यानी नितांत सेक्युलरिज्म रह जाए। उन्होंने दो बैठकें की। वह नास्तिकता मुझको थोड़ी दिलचस्प चीज मालूम हुई थी। जब यह चीज कुछ आगे बढ़ी तो डा० भगवान दास का ठीक 'रिमाक' तो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम कहते हो कि खुदा नहीं है। लेकिन जो है वह हमारे नहीं कहने में नहीं तो हो नहीं जायेगा, पर आप चाहते हैं तो कोशिश कर देखिये। फिर वह कोशिश बर नहीं आयी। लेकिन यह मुझको एक सचिकर रूख लगा, गांधी जी से बरअकम, जो पास ही थे। संगम थियेटर में, जो आजकल जगत सिनेमा है, इममें हुई थी यह 'यूनिटी काफ्रेंस'। और पास ही से मौलाना मुहम्मद अली साहब का अखबार 'हमदर्द' निकलता था। यह जगह ज्यादा दूर नहीं थी। वही गांधी जी थे। उपवास के वक्त गांधी जी सिमटे-मुकड़े से पड़े रहते थे, शायद तीन 'स्क्वेयर फीट' से ज्यादा जगह में वे नहीं थे। बहुत दुबले हो गए थे और फुसफुमाकर बोलते थे। 'मैट्रोपोलिटन आफ इंडिया भी आये थे तो उस समय यह 'यूनिटी काफ्रेंस' सफल 'काफ्रेंस' हुई थी, यही मानना चाहिए। क्योंकि सब लोगो ने आपस में मिलकर एक सहमति पत्र को स्वीकृत किया और उस पर सब के हस्ताक्षर हुए।

'एक उल्लेखनीय बात यह है कि उसी समय जमुना में बड़ी जबरदस्त बाढ़ आयी हुई थी और लोग 'काफ्रेंस' से उठकर जमुना पुल पर गये थे। उस बाढ़ में बहुत से लोग छप्पर पर बैठे बहते चले जाते दीखते थे। उसमें पशु होते थे, जहरोले साँप होते थे और मनुष्य भी। लेकिन बीच का भय विरोध सब खत्म था। बहुत जबरदस्त बाढ़ थी। उस समय जो 'यूनिटी काफ्रेंस' में आये हुए थे उनमें बहुत से लोगो ने हिम्मत के साथ आगे बढ़कर उस रक्षा के काम में भाग भी लिया। हम लोग तो थे ही वालीन्टियर्स के तौर पर। वंह दृश्य काफी दर्दनाक होता था, कि जब ऊपर से रस्सा लटकाते और वह हाथ न आता और हमारे देखते-देखते लोग, बच्चे, औरतें, बूढ़े, बाढ़ में बहते आगे निकल जाते। 'यूनिटी काफ्रेंस' में आये लोगो ने उसमें काफी भाग लिया और साबित होता है कि इंसान

मुसावत में एक होता है।

—'अभी आपने जफरअली खां के बारे में कहा कि वे बाद में मुस्लिम लीग हो गये थे। अबसर मुसलमान जो पहले कांग्रेस में थे जैसे जफरअली खां मौलाना शोकतअली, मौलाना मुहम्मदअली, मौलाना हसरत मोहानी। इन लोगों का भुकाव बाद में मुस्लिम लीग की तरफ हो गया था। तो क्या आप कुछ कारणों पर प्रकाश डाल सकेंगे कि यह क्यों हुआ?'

—'मैं इसका मुख्य कारण यह मानता हूँ कि गांधी जी हिन्दू-मुस्लिम ऐक्व के नीचे धर्म-भाव की भूमिका चाहते थे। लेकिन शेष कांग्रेसजन उस धर्म-भाव से कोई सम्बन्ध नहीं रखते थे, वे राजनीतिक और लौकिक भूमिका से संतुष्ट थे। मैं मानता हूँ कि 'मुस्लिम मास कंटैन्ट', यानी हिन्दू-मुस्लिम मेल के लिए व्यापक मुस्लिम-सम्पर्क का जो एक मुहिम चलाया गया, उसमें लौकिक और राजनीतिक भावना विशेष थी। उस प्रचार की तीव्र प्रतिक्रिया हुई। गांधी जी जो मेल-मिलाप की भूमिका में धर्म-भाव चाहते थे उसका अवकाश कम रह गया। परिणाम यह हुआ कि मुस्लिम मानस का नेतृत्व लीग के हाथ में पहुँच गया, मजहबी जमीयत के हाथ नहीं रहा। जमीयतुलउलमा वह मस्यौ थी जो अन्त तक राष्ट्रीयता पर थोड़ी टिकी रही। कारण, दुनिया से अधिक उसका दीन के साथ सम्बन्ध था। लेकिन मामला दुनियावी वदावदी का बना तो नेतृत्व जिन्ना या मुस्लिम लीग के हाथ में चला गया। जिन्ना साहब के सम्बन्ध में मैं नहीं कह सकता कि वह नमाज अरबी में अदा कर सकते थे या नहीं। कुरान जानते थे या नहीं जानते थे। लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि उनका नेतृत्व धर्म प्रधान नहीं था, धर्माचरण पर उनका ज़रा जोर नहीं था। कांग्रेस और गांधी की मनोभूमि के इस अन्तर से हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न दयानत का नहीं रहा, सियासत का बन गया। परिणाम कि हिन्दू और मुसलमान दो अलग-अलग सम्प्रदाय के रंग में ही नहीं बल्कि दोनों विरोधी जमातों के रूप में आमने-सामने खड़े हो आये और बटवारा ही उपाय रह गया। मुस्लिम लीग में उतनी ही ताकत आ गई जितनी कांग्रेस ने बलिदान द्वारा अपने लिए प्राप्त की थी। दावित ने प्रतिशक्ति को जन्म दिया। प्रतिक्रिया के होने से वह ताकत बराबर की बन आई। ऐसा अपने आप हो जाता है। अंग्रेज तसफीए को आए तो नतीजा हुआ कि 'पेरिटी' की नीति पर कांग्रेस और लीग के साथ उन्होंने व्यवहार किया और कांग्रेस को इस मम-संतुसन को मानना पड़ गया। गांधी जी पारस्परिक और धार्मिक भूमिका हिन्दू-मुस्लिम ऐक्व के नीचे आवश्यक मानते थे। बाहरी और तीसरा पक्ष इस भूमिका में संबंध असंगत पड़ जाता है। लेकिन हमारे कांग्रेसी नेता धर्म-भाव से दूरी थे। वे केवल राजनीतिक और लौकिक रूप में ही विचार करते थे। इस ऊपरी

‘सेवयूलरिज्म’ का परिणाम आया कि ‘कम्पूनलिज्म’ पनपा और मजबूत हुआ और मताघता ने जोर पकड़ा।’

### 1930 के आन्दोलन के संस्मरण

—‘उसके बाद गांधी जी का दूसरा आन्दोलन सन् 1930 में चला उसके कुछ संस्मरण — आप किस तरह से जेल गये और किस तरह से आपने नमक का कानून तोड़ा— आप हमें कुछ बतला सकेंगे ?’

—‘सन् 1930 में गांधी जी का सत्याग्रह आन्दोलन शुरू हुआ और दिल्ली में धूम-धाम मची इस आन्दोलन की। उस समय की स्थिति याद करता हूँ तो विलक्षण मालूम होता है। प्रेमचन्द जी ने मुझको तार दिया कि ‘हंस’ के विशेषांक के लिए कहानी भेजो। मैंने प्रयत्न किया, लेकिन कहानी नहीं बनी। तीन-चार रोज सोचता रहा, लेकिन नहीं लिख सका, नहीं लिख सका। कारण जब मैंने खोजा तो मालूम हुआ कि बाहर जो उथल-पुथल मच रही है, इससे सर्वथा अगर मैं नि.संग बना हुआ रहूँ, तो मेरा मन लिख नहीं पायेगा। तत्काल मैंने यहाँ के कांग्रेस दफ्तर को लिख दिया कि अमुक तारीख से आप अपने स्वयंसेवकों की ‘लिस्ट’ में मेरा नाम लिख लीजिए। बस उस पत्र का लिखना था कि फिर कहानी आसानी से लिख गयी और मैंने प्रेमचन्द जी को भेज दी। तो इस अनसोचे ढंग से मैं आन्दोलन में आया।’

### दिल्ली के सत्याग्रह का नेतृत्व

‘संयोग की बात है कि जमुना के किनारे सत्याग्रहियों का एक ‘कैम्प’ लगा तो मुझे वहाँ सत्याग्रह में शामिल होने वाले स्वयंसेवकों के जत्थे का ‘हैड’ चुन दिया गया। तब हुआ कि पहला जत्था जायेगा सत्याग्रह के लिए, उसका नेतृत्व मैं करूँगा। मैंने कहा कि यह मेरा अधिकार नहीं है। मैं स्वयंसेवक हूँ लेकिन पहले जत्थे का प्रमुख कोई जाना-माना नागरिक, मान्य नेता होना चाहिए। सब उसे जानते होंगे तो उसका प्रभाव होगा, मैं उस पद का अधिकारी नहीं हूँ। मैं नहीं कह सकता कि क्या कारण हुआ, लेकिन व्यवस्थापक वर्ग यानी कांग्रेस के अधिकारी वर्ग को यह सुझाव पसन्द नहीं आया। माना गया कि मैं विद्रोह उकसा रहा हूँ। मैंने कहा कि जत्थे का मुझे एक साधारण ‘वालंटियर’ रहने दीजिए, नेता पद का गौरव कांग्रेस के किसी विशिष्ट पदाधिकारी का होना चाहिए। ‘कैम्प’ के सारे ‘वालंटियर्स’ ने भी इसमें मेरा साथ दिया। सबका आग्रह था कि ‘डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी’ का अध्यक्ष प्रमुख बनना चाहिए या सगठन के प्रमुखों में से किसी को आगे आना चाहिए। देवदास गांधी -

बीच में पड़े। मैंने उनको अपना दृष्टिकोण समझाया। परिणाम यह कि मैंने कहा, 'मैं किसी प्रकार की असुविधा आपके लिए नहीं पैदा करना चाहता हूँ। लेकिन मैं अपने को गौरव का अधिकारी नहीं मानता हूँ।' इसलिए स्थिति को सम्भाले रखने के लिए मैं उससे अलग हो गया।'

### दिल्ली में नौजवान भारत सभा (1930)

'उसी समय नौजवान भारत सभा और उमकी सेना बनी थी, जिसमें वे क्रांतिकारी तत्व थे, जो गांधी जी के मार्ग को पसन्द नहीं करते थे। उनका केन्द्र यों लाहौर था, पर इस प्रवृत्ति का आरम्भ दिल्ली में ही हुआ। सयोग कि यहाँ चमनलाल जी भी थे जो 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के सवाददाता थे। नौजवान भारत सभा की स्थापना के लिए एक मीटिंग हुई जिसमें पाया कि मैं भी उपस्थित हूँ। मुझे उसमें सम्मिलित मान लिया गया और कुछ पद भी शायद दे दिया गया। चमनलाल जी, जो पीछे चौद्ध भिक्षु हुए, सेक्रेटरी बने। मैं उन दिनों पहाड़ी धीरज पर रहता था, तो वहाँ पर एक नौजवान भारत सेना खड़ी हो गयी। 6 अप्रैल 1930 की बात है कि बहुत बड़ा जुलूस निकला और उसमें नौजवान भारत सेना वाले भी शामिल हुए। इन जवानों में बड़ी उतावली थी। उन्होंने कहा कि हम तो जुलूस के आगे रहेंगे। परिणाम यह हुआ कि जुलूस में सबने आगे यदि महिलाएँ थी तो उमके पीछे नौजवान भारत सेना के लोग रके गये। मैं जुलूस की पंक्ति में नहीं चल रहा था, क्योंकि मैं स्वयंसेवक के बजाय 'चीफ' समझा जाता था। इसलिए मैं पंक्ति से स्वतन्त्र था। कश्मीरी गेट पर मालूम हुआ कि गोली चल गयी और लाठी चार्ज हो रहा है। मैं कश्मीरी गेट पहुंचा, वहाँ मालूम हुआ कि नौजवान भारत सेना के लोग और आगे निकल गये हैं और मैं तेजी से उधर बढ़ा। कश्मीरी गेट के डाकखाने तक आया तो पुल के नीचे से दिखाई दिया कि घुडसवार दौड़े चले आ रहे हैं लाठी घुमाते हुए। किसी के पास बल्लम भी थे और वह दाएं-बाएं भागते लोगों को मारते हुए चले आ रहे हैं। जगह-जगह लोग गिरे हुए हैं, घायल पड़े हैं, कुछ जल्मी मर भी गये हैं। देखकर मैं एकाएक वही का वही सड़ा रह गया। वहाँ जहाँ दोनों ओर की सड़कों के बीच घान का 'प्लाट' था।'

### जनेन्द्र के मन में भय

'मैंने अनुभव किया कि मन में एक दहशत-भी पैदा हुई है। यद्यपि मैं गया नहीं, चला नहीं, हटा नहीं, बल्कि अपनी जगह पर खड़ा रहा। लेकिन मन एक भय-भा हुआ। उम संपर्क में मेरे खयाल में नौजवान भारत सेना के



चार या अधिक भाई काम आ गए थे। पचासों, सैकड़ों की संख्या में घायल हुए थे। उन सबकी सुधूपा का पहाड़ी धीरज पर हमने इन्तज़ाम किया। लेकिन उस दिन मैंने अनुभव किया कि मैं नेतृत्व के योग्य नहीं हूँ। कारण, भय मेरे भीतर है और भय रखकर मैं कोई ऐसी जिम्मेदारी का पद लूँ तो बहुत भयकर बात है। भारत नौजवान सेना के लोग ज़रूमी हुए, मरे, घाहीद हुए, भुगतना तो उन्हें पडा। मैं जो प्रमुख और प्रधान था, उस पर कोई चोट नहीं आयी। दो-एक लाठिया मुझ पर पडी तो मैं मजे में सह गया, शायद मुस्कराया भी होऊ, पर अन्दर डर था। यह अनुताप मेरे मन में होता रहा, और मैं थोड़ी देर बिलकुल शान्त बैठ गया। उसके दाद कृष्णन नायर आये और कहा कि हमारे ग्राम का कार्य बहुत शिथिल है, व्यवस्थित नहीं है, लोग जाते हैं, कुछ कर भी रहे हैं लेकिन वहाँ ग्राम में चेतना पैदा नहीं हो पाती है। तो इसमें तुम कुछ योग दो। मैंने कहा कि ठीक, उस काम में अवश्य अपना समय और योग थोड़ा-बहुत दूंगा, लेकिन नेतृत्व मेरे हाथ में नहीं होगा। इस शर्त के साथ फिर मैं कुछ गावों में गया। काफी उत्साह वहाँ पैदा हुआ। लेकिन थोड़े दिन बाद ही 'वारन्ट' निकला, गिरफ्तार हुआ और जेल भेज दिया गया। इस तरह से 1930 में मैं जेल गया। दिल्ली जेल में मुझे 'बी क्लास' दी गयी तो मैंने कह दिया कि मैं 'सी क्लास' में अपने सब साथियों के साथ रहूंगा। मैं क्लास-ब्लास नहीं मानता हूँ। गौरा बैरक में 'स्पेशल क्लास' के कैदी रहते थे, 'बी' और 'ए' क्लास के। तो गौरा बैरक में एकाएक मैं नहीं गया। लेकिन फिर मालूम हुआ कि जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं शारीरिक 'वाएलेंस' का अवसर पैदा करूंगा। अन्त में मैं बलात् गौरा बैरक ले जाया गया और उससे अगले ही रोज हम सब क्लास वालों को गुजरात (पंजाब) स्पेशल जेल में भेज दिया गया। वहाँ दिल्ली के, पंजाब और सीमा प्रांत के विशेष बन्दी एकत्र थे। खान अब्दुल गफ्फार खा थे, डा० किचलू थे, डा० असारी थे, जफर अली खां थे, सत्यपाल, आसफ अली सभी लोग वहाँ थे। तो सन् 1930 में जेल जाने की यह गाथा है।'

### सन् 1920-1930 के आन्दोलनों में अन्तर और उनके प्रभाव

—सन् 1930 में जैसा आपने कहा कि दिल्ली में नौजवान सभा बनी थी और अक्सर नौजवान सभा के बारे में कहा जाता है, खासकर यशपालजी से लोग कहते हैं कि भगतसिंह और उनके जो साथी थे वे अधिकांश मार्क्सवादी थे। या दूसरे भानों में कहिए साम्यवादी थे। आप उनकी पहली सभा में मौजूद थे। क्या आप इस बात की पुष्टि करेंगे कि उनका दृष्टिकोण वैसा ही था ?'

—'मैं दिल्ली की नौजवान भारत सभा में सम्मिलित हुआ था। और यह

आन्दोलन आरम्भ हुआ था लाहौर से। मैं मानता हूँ कि इन लोगों का झुकाव जरूर मार्क्सवादी विचारधारा की तरफ था, लेकिन अभी बहुत स्पष्टता नहीं हो पायी थी। क्रांतिकारियों की परम्परा में जो एक धार्मिक भाव था—पहले के सभी क्रांतिकारियों में, अरविन्द, हरदयाल आदि में—उस परम्परा से थोड़ी विच्छिन्नता जरूर आ रही थी। धर्मनिरपेक्ष और भौतिक विचारधारा उनको अधिक प्रभावित करती थी।

एक बार नौजवान भारत सभा के प्रतिनिधि की हैसियत में मुझे लाहौर जाना पड़ा। जो वहाँ बैठक में मिले, घन्वन्तरि, एहसान इलाही आदि, उस वर्ग से मेरा कोई परिचय था ही नहीं। जब वहाँ चर्चा शुरू हुई तो मेरी बातें सुनकर बड़े विस्मित हुए। क्योंकि मेरे मन में उस समय भी अहिंसा का विश्वास था, गांधी जी की विचारधारा मुझे कहीं अधिक समर्थ और उपयुक्त मालूम होती थी। वे मेरी तरफ अचरच से देखा किये। चर्चा में हमें मालूम हुआ कि हमारे बीच तो बहुत फासला है। शायद उनको लगा कि यह आदमी नौजवान भारत सभा में कैसे आ गया। आपने मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में पूछा है। तो उसके जितने फलितार्थ हैं उन सबका शायद भान उनको था या नहीं था, यह विश्वास से मैं नहीं कह सकता। लेकिन झुकाव उनका उस तरफ था और अहिंसा की अक्षमता के बारे में उनके मन में पूरा विश्वास था। गांधी मार्ग के प्रति उनको विलकुल श्रद्धा नहीं थी, बल्कि उपहास था, और हिंसक साधनों से ही देश का काम चल सकेगा, आजादी आयेगी, ऐसा उनको लगता था। इस बारे में मुझमें भ्रम नहीं है। मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में उनका झुकाव था किन्तु उसकी 'इंफ्लिकेडन्स' के सम्बन्ध में उतना अध्ययन और उतनी स्पष्टता शायद नहीं थी।

### क्रान्तिकारी आन्दोलन की असफलता

—आपने अभी कहा कि नौजवान सभा के नेताओं का गांधी जी के कार्यक्रम और कार्यपद्धति में विश्वास नहीं था और शायद वे समझते थे कि उनका रास्ता आजादी के लिए काफी नहीं है। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि गांधी जी के प्रति उनको कुछ द्वेष था ?

—हां, असहमति थी और इतनी घोर असहमति थी कि कुछ अवज्ञा का भाव भी उसमें मिल जाता था। एक कांग्रेस उनको लाहौर में कांग्रेस के 'सेशन' के साथ ही हुई थी। गांधी विरोध था वहाँ, बहुत तीव्र, कांग्रेस विरोध भी कहा जा सकता है। लेकिन जवाहरलाल जी इत्यादि के प्रति वह विरोध उतना नहीं था, मुख्यतः वह गांधी जी के प्रति था। उसमें मैं उपस्थित

अब मुझे सही याद नहीं है कि प्रस्ताव की ठीक भाषा क्या थी, लेकिन मैं उससे सहमत न था। जाने मुझमें क्या मूर्खता समायी कि मैंने उस प्रस्ताव की भाषा देखी और मैं बोलने के लिए खड़ा हो गया। मेरे वक्तव्य में गांधी जी का विरोध तो था ही नहीं, बल्कि एक प्रकार का समर्थन था। मैं बोला और बोलकर बैठा कि पास के एक सज्जन, बहुत घबराए दीखे। वे सी० टी० वलेचा नाम के कोई सज्जन थे, पीछे उनका क्या हुआ मुझे नहीं पता। वे एक वकील थे सिध के। सी० टी० वलेचा ने मुझे कहा कि यह तुमने क्या किया? तुमको खयाल नहीं आया कि तुम यहां 'लिच' कर दिये जा सकते हो? तुम मार डाले जाओगे। तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? मैंने कहा कि मुझे यह कुछ नहीं मालूम। बोले, गनीमत है कि तुम्हारा नाम अभी इतना परिचित नहीं है। यानी माहौल सच इतना गर्म था कि मुझे वही खत्म भी कर दिया जा सकता था। मेरी बात एक आदमी की है जो गिनती के लायक नहीं है। इसलिए सुन ली गयी है, बरदाश्त भी शायद कर ली गई है। लेकिन इस तरह की मूर्खता तुम्हें कभी करनी नहीं चाहिए, इत्यादि-इत्यादि। तो धीरे हिंसक पराक्रम की आवश्यकता है, ऐसा वे लोग अनुभव करते थे। यह मेरी धारणा है।

—'आप इस बात का विवेचन करेंगे कि हिन्दुस्तान का क्रान्तिकारी आन्दोलन इस कारण सफल नहीं हो सका क्योंकि हिन्दुस्तान के इतिहास और दर्शन में अहिंसा की परम्परा है?'

—'असल में क्रान्तिकारी आन्दोलन के साथ एक पोषीदगी का भाव रहता था। इस पोषीदगी के आलम में, पराक्रम के स्रोत में, भय भी रहता है। इसलिए बड़े जन-आन्दोलन नहीं बन सकता था और नहीं बन सका। मैं यह मानता हूँ कि आन्दोलन यदि बड़े पैमाने पर सफल हो तो तभी हो सकता है जब उसको जन-आन्दोलन का रूप मिले। किन्तु क्रान्तिकारी प्रवृत्तियाँ जितनी हूयीं, जन-आन्दोलन का रूप वे नहीं पकड़ पायीं। थोड़ा बहुत कुछ विद्रोह हुआ था या उससे पहले 1857 में 'गदर' हुआ था, उस समय तो उसका जन-आन्दोलन का रूप था और मैं यह मानता हूँ कि चाहे हिंसा साधन हो किन्तु यह एक बड़े पैमाने पर 'मासेज' के द्वारा अपना लिया जाये तो शायद उसका कुछ परिणाम होता भी है, किन्तु जिस उमर से बंगाल का क्रान्तिकारी आन्दोलन शुरू हुआ, उमर में पोषीदगी का माहा था, उसके कारण वह जन-आन्दोलन नहीं बन सकता था। मैं मानता हूँ कि यदि वह सफलता तक नहीं पहुंचा तो उमर का कारण यह भी है कि उमर में खुला पराक्रम नहीं था, बचाव-छिपाव था। यह भी सही है कि उमर में व्यापक लोक शिक्षण नहीं मिलता और उमर में राज्यनर में व्यापक तौर पर किये जाने वाले हिंसक दमन को समर्थन मिल जाता है।'

—'इसके अलावा कुछ लोग चुक-छिपकर क्रान्तिकारियों का साथ देते थे, मगर खुले तौर पर उनका साथ नहीं देते थे। तो क्या आपने ऐसा कभी अनुभव किया कि वहाँ ज्यादा भय था, न कि हिंसा के प्रति एक नफरत ?'

—'गांधी जी की नीति विरोधी पक्ष को सर्वथा पराजित, हतप्रभ करने की नहीं रहती थी। वे जिस मुद्दे को लेकर सत्याग्रह चलाते थे, उसकी वही सीमा रहती थी, उससे आगे जाना वे आवश्यक नहीं मानते थे। जब-जब सत्याग्रह की समाप्ति हो और सत्याग्रह को 'वाइण्ड-अप' किया जाये, उसके लिए शर्त के तौर पर जो मुख्य मुद्दा लेकर चला गया था, उसको फैलाने में वे समझते थे कि अनीति है। शक्ति या जय के वेग में वे अपनी माँगें बढ़ाते नहीं थे। किसी एक मुहिम की जीत में राष्ट्रीय स्वराज को ही संधि का मुद्दा बना लिया जाए, शायद दूसरे नेता ऐसा करने की सोचते, लेकिन गांधी जी की वह नीति नहीं थी। गांधी जी जिस मुद्दे को, जिस लक्ष्य को लेकर सत्याग्रह का आन्दोलन आरम्भ करते थे, समझौते के समय उस मुद्दे से आगे जाने की बात नहीं सोचते थे, ठीक उतने ही मुद्दे की बात पर दृढ़ रहते थे। उनको प्रतिपक्षी अगर मान लेता है तो वह मान लेते थे कि मेरे लिए हृदय परिवर्तन का उतना ही संकेत पर्याप्त है। मैं समझता हूँ कि यह 'पोलिटीकल स्ट्रेटिजी' कि प्रतिपक्षी यदि कमजोर पड़ता है तो उसे ज्यादा झुका डालो, उनकी नहीं थी। उनका राष्ट्रीय अथवा मानव व्यापार में चलने का तरीका ही वह था। मैं तो पर्याप्त कारण देखता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि इससे प्रतिपक्षी के मन में एक निश्चिन्ता बनी रहती है, वह नहीं मानता कि यह किसी अवसर का लाभ मुझसे लेगा। हार के और बदले के भाव का मूल ही इस तरह कटता है। दुश्मनी मिटती है, दुश्मन मित्र बनता है। युद्ध, जिसमें पक्ष और प्रतिपक्ष हुआ करते हैं, उनमें एक विशेष प्रकार की स्वच्छता बनी रहती है, परस्पर का विश्वास उगता है।'

### गांधी इविन समझौता (1931)

'मैं तो मानता हूँ कि गांधी जी ने जिस मुद्दे को जहाँ से उठाया था, वही तक सीमित रखा। यानी नमक के सम्बन्ध में कानून के 'रिपील' होने का, रद्द होने का, जो उन्होंने मुद्दा रखा, और 'गांधी-इविन पैक्ट' को वही तक सीमित रखा तो उस सम्बन्ध में मेरे मन में कोई असन्तोष नहीं है। यद्यपि भगतसिंह की फाँसी को रद्द करने की शर्त न रखने के कारण देश में गांधी-इविन पैक्ट के प्रति गहरी शिकायत के भाव बराबर बने रहे हैं।'

—'आपने कहा था कि जब आप किसी एक जुलूस को देख रहे थे कि वहाँ बहुत से आदमी मारे गये और उस परिस्थिति में आपने हिंसा नहीं लियी, फिर

भी आपके मन में बहुत भय रहता था, इसलिए आपने बहुत बार नेतृत्व सेने से इन्कार कर दिया—क्या आप यह बना सकेंगे कि भय का क्या कारण था, जो आपके मन में उत्पन्न हुआ ?'

### भय, अहिंसा और आस्तिकता

—'भय तो एक प्रकृत भाव है। किन्तु मैंने जिक्र किया था कि अन्दर मैंने भय अनुभव किया, लेकिन उस भय में से कोई पलायन इत्यादि नहीं निकला था और मैं मानता हूँ कि जब तक परिपूर्ण शत-प्रतिशत आस्तिकता व्यक्ति में न आ जाये, तब तक भय अनिवार्य रहेगा। मारा भय ईश्वर का रखिए तो संसार और शरीर का भय समाप्त हो जायेगा। हिंसक पराक्रम भय में से ही निकला करता है। इसलिए भय पाप का, और परमात्मा के प्रति, सबका सब अपित न हो जाये, तब तक भय भीतर विद्यमान रहने ही वाला है। अतः मैं मानता हूँ कि अहिंसक युद्ध की प्रक्रिया में अनिवार्य है कि व्यक्ति परमात्मा में पूरा भरोसा रखे और मरते-मरते भी माने कि जो उसे मार रहा है ईश्वरीय लीला का निमित्त मात्र है। उसको दोषी न माने, दुष्ट न माने। यह दर्शन प्राप्त हो सकता है सौ फीसदी आस्तिकता में से ही। इसलिए यदि मुझमें भय था तो यह नहीं कि मैंने माना, मैं सर्वथा अपाय हूँ, किन्तु माना यह कि आस्तिकता शत-प्रतिशत मुझ में दृढ़ नहीं हो सकी है और नेतृत्व अहिंसक मुहिम का मुझमें नहीं हो सकता है।'

—'आपने अभी कहा कि भय तभी दूर हो सकता है जब ईश्वर में विश्वास हो और सत्याग्रही यह माने कि जो उसको मार रहा है, यह दुष्ट नहीं है। आपने जिन-जिन मघपों में हिंसा लिया, उसमें जितने लोगों ने काम किया था जो उसमें जेल जाते थे, उसमें आप सम्मते हैं कि सारे के सारे या लगभग पचास फीसदी से ज्यादा तो इस तरह के सत्याग्रही थे जो मारने वालों से प्रेम रखते थे, जैसा कि गांधीजी अक्सर कहा करते थे ?'

—'नहीं, ऐसा तो नहीं था। इतना ही नहीं, बल्कि मानता हूँ कि अहिंसा का पालन ऊपर में हुआ, अन्दर में अधिकांश के मन में हिंसा भी रही हो तो मुझे निश्चय नहीं होगा और यह भी मानता हूँ कि स्वराज मिलने के बाद जो संकट पैदा हुआ उगवा एक कारण यह भी है कि अहिंसा हममें बहुत गहराई में नहीं उतरती थी। इस कारण उगवो हमने एक सामयिक नीति के रूप में ही अपनाया, लेकिन जो उगवा गहरा अभिप्राय था, उगवो नहीं समझा था, आपस में नहीं उतरा था। परिणाम भाव देना ही रहे है। अहिंसा के द्वारा लिए हुए स्वराज में मैं हिंसा पट्ट नहीं है !'

जनेन्द्र का सन् 1932 के आन्दोलन के समय तोसरा 'डिक्टेटर' बनाना  
और जेल जाना

—'सन् 1930 के सत्याग्रह के बाद जब गांधी-इविन समझौता हो गया तो गांधी जी को सन् 1932 में फिर सत्याग्रह करने की जरूरत महसूस हुई। क्या आप ऐसा नहीं समझते हैं कि जो समझौता था, वह इतना देश के हितों के लिए खराब था कि गांधी जी को दो साल के बाद फिर संघर्ष जारी करना पड़ा?'

—'हाँ, गांधी-इविन समझौते में जो यह आशा की गई, बहुतों ने की होगी, मैं नहीं कह सकता कि गांधी जी ने की या नहीं, कि विलायत की सरकार का और साम्राज्यवाद का हृदय परिवर्तन हुआ है। सन् 1932 में ऐसा मालूम हुआ कि वह बात झूठी पड़ गई। समझौते के बाद गांधी जी विलायत गये, 'राउट टेबल कॉफ़ेस' में शामिल हुए, लेकिन जब तक वह भारत की धरती के किनारे पहुंचे तब तक तो संघर्ष फिर शुरू हो गया था। जवाहरलाल जी गिरफ्तार किए जा चुके थे और किसान आन्दोलन के सम्बन्ध में सरकार का रुख खुलकर दमन का हो गया था। तो उस समझौते में से यह परिणाम तो अवश्य नहीं निकाला जा सकता है कि साम्राज्यवाद में कोई हृदय परिवर्तन हुआ था। इस दृष्टि से तो आप कह सकते हैं कि समझौता पर्याप्त न था। लेकिन सत्याग्रह जो आरम्भ हुआ वह इतने बड़े प्रश्न को लेकर था भी नहीं। वह तो कानून में अगर हम लचक पैदा कर लेते हैं और औसत आदमी को आवश्यकता को इतना अनुभव करते हैं कि उसकी पूर्ति के लिए गलत कानून की रद्द कर देते हैं, यानी नमक का कानून टूट जाता है, तो इतने में उसकी पूर्ति हो जाती है; अर्थात् सत्याग्रह की सार्थकता बन जाती है। इसलिए गांधी-इविन समझौते को अपने आप में गलत कहने की हिम्मत मुझ में नहीं है। अधूरा था, यानी अपर्याप्त था स्वराज की दृष्टि से, यह अवश्य कहा जा सकता है।'

1932 की जेल यात्रा के बाद राजनीति से सम्बन्ध

—'सन् 1932 में जो किसानों की दशा उत्तर प्रदेश में थी, उसके बारे में कुछ बताइए।'

—'मैं उस समय उत्तर प्रदेश में नहीं था, दिल्ली में ही था। उसका मैं कोई प्रत्यक्ष विवरण तो नहीं दे सकता हूँ। किन्तु गांधी जी के लंदन से आते ही आन्दोलन ने अखिल भारतीय रूप पकड़ लिया। सन् 1932 के आन्दोलन में भी मैं पड़ा और मुझको जेल भेज दिया गया। सन् 1932 में सायद स्पेशल जेल नहीं

थी, मुझे मुलतान सेंट्रल जेल भेजा गया था। इसलिए धरती के और किसानों के आन्दोलन के प्रत्यक्ष विवरण में मैं अधिकार भाव से विशेष नहीं जा सकता हूँ।

—‘सन 1937 में जब सूबों में मंत्रिमंडल बने, तो आप उनके विरोध में क्या पक्ष में?’

—‘मैं राजनीतिक प्रश्नों के बारे में सीधी और स्वतंत्र राय बनाने की आवश्यकता नहीं देखता था। फिर विचार आता था तो मालूम होता था कि गांधीजी का निर्णय ही सही है। उसकी वारीकियों में मैं नहीं जाता था। उस पर जितने तक होते थे उन सबके पीछे भी नहीं पड़ता था। चीज सही मालूम पड़ती थी तो इसलिए कि पीछे की मूल दृष्टि सही थी। दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था। उसमें प्रश्न सामने आया था कि मन्त्रालय लेना या नहीं लेना और लेना तो किस विधि और नीति से लेना? सारा यह प्रश्न उलझन का था और सच में तो मनोवृत्तियों का विवाद था। जो सरकार और कांग्रेस के बीच ‘जैन्टलमैन एग्रीमेंट’ की बात तय हुई वह गांधी जी के रूख में से आई थी। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी से हम हट नहीं सकते। लेकिन अगर जिम्मेदारी निभाने का हमको पूरा अवसर न हो तो लेने से क्या फायदा है? कौंसिलों में जाकर जनहित के दायित्व का काम नहीं करना है, बल्कि भीतर से सरकार के दुर्ग को ही तोड़ना है, यह नीति उनको रुचिकर नहीं थी। किन्तु रचनात्मक कुछ किया जा सके, इस प्रकार का अवसर मिलने वाला हो तो कौंसिलों में जाना, वह सुविधा नहीं मिलने वाली हो तो व्यर्थ पद भार लेने से कोई लाभ नहीं है। इस तरह ‘जैन्टलमैन एग्रीमेंट’ वाली बात आई थी कि सरकार से साफ हो जाए कि मिनिस्ट्रों के काम में अड़चन और अड़गा नहीं डाला जायेगा। उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ, विश्वास के साथ काम करने दिया जायेगा। इस आधार पर मिनिस्ट्रियाँ हमको स्वीकार होनी चाहिए, उससे हटने का अवकाश नहीं है। कुछ लोग जरूर ऐसे थे जो कहते थे कि यह सब जान है, हमको उसमें नहीं फँसना चाहिए। ऐसे लोग भी थे कांग्रेस में, काफी संख्या उन लोगों की थी, जो मानते थे कि जाना तो हमको चाहिए लेकिन क्रान्तिकारी मनोवृत्ति लेकर जाना चाहिए। यानी सरकार को हमें तोड़ना चाहिए, सरकार को ‘कोरनर’ करना चाहिए, परेशान करना चाहिए। श्री एम० एन० राय उस ‘कन्वेंशन’ में शामिल थे। वे इतने असन्तुष्ट हुए कि अन्त में उसके बाद तो शायद उन्होंने कांग्रेस से अपना सम्बन्ध ही तोड़ दिया। एम० एन० राय से उसके बाद सयोगवश मेरा भी मिलना हुआ लेकिन वह दूसरी बात है।’

—‘जब कांग्रेसी मंत्रियों ने सन् 1939 में युद्ध होने के बाद इस्तोफे दे दिये

इस बिना पर कि उनको, सारे भारत को युद्ध का हिस्सा बनाया गया और उनसे पूछा नहीं गया तो गांधी जी ने उस वक़्त यह कहा कि लड़ाई से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है और अहिंसा के बल पर उन्होंने जोर दिया कि सब लड़ाइयाँ बुरी हैं। इस पृष्ठ-भूमि में उनका खल जो पहली जंग की तरफ था उसमें आपको विरोध नहीं मालूम देता है ?

—हाँ, देखने में तो कुछ थोड़ा विरोध दिखता है दोनों स्थितियों में। लेकिन शायद उसको विरोधाभास माना जा सकता है। गांधी जी की अहिंसा और स्वयं गांधी जी दोनों गतिशील, विकासशील रहे। पहले युद्ध में उन्होंने रंगरूटों की भरती में पूरा भाग लिया। लेकिन अपनी अहिंसा के सम्बन्ध में वे उससे कम दृढ़ थे जैसे बाद में रहे, ऐसा उनका मानना नहीं है। उन्होंने कहा कि जो युद्ध में विश्वास रखते हैं वे ऐसे समय युद्ध से बचें तो यह प्रमाद है, कायरता है। उसके लिए कोई कारण बचने का नहीं है। इस नाते उन्होंने उन रंगरूटों को जो कि युद्ध के सम्बन्ध में निषेध-वृत्ति रखते ही नहीं थे, उनको कहा कि नहीं, तुम्हारा धर्म है कि तुम सहायता में खड़े हो और लड़ो। दूसरे युद्ध के बारे में उनकी स्थिति थी कि भारत को यदि युद्ध में योग देना हो तो वह योग नैतिक रूप का होगा। नैतिक समर्थन, नैतिक बल का योग दिया जा सकेगा। जनबल, धनबल का प्रश्न नहीं उठता। नैतिक बल का योग दे सकते हैं, किन्तु सिद्ध होना चाहिए कि बर्तानिया का पक्ष नैतिक पक्ष है भी। अगर ऐसा हो तो हम नैतिक समर्थन अवश्य देंगे। किन्तु सबूत मिलना चाहिए, और सबूत इसमें है कि भारत-वर्ष के साथ वह किस तरह से व्यवहार करता है। अगर भारत के प्रति उसकी नीयत साफ है तो वह नीयत प्रगट होनी चाहिए। जब तक अपने नैतिक आधार को वे पुष्ट नहीं बनाते है तब तक हम कैसे पक्ष समर्थन उनका कर सकते हैं ? यह गांधी जी का कहना था, कांग्रेस का यह मतव्य नहीं था।

कांग्रेस में उस वक़्त दो राय थीं : जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि जर्मनी इंग्लैंड के मुकाबले में खराब है, इसलिए इन युद्ध में हमें किसी प्रकार अंग्रेजों का समर्थन करना चाहिए। गांधीजी का रुख था कि युद्ध में हमें अंग्रेजों को कुछ भी सहायता नहीं करनी चाहिए। फिर उन्होंने यह भी कहा कि जब 'हाऊस आफ कामन्स' पर बम पड़े और वह नष्ट हो जाये तो दुनिया की कत्ता का नाश होगा इन दोनों में क्या विरोधाभास नहीं है ?

—आपने विरोधाभास कहा तो विरोध का आभास तो अवश्य दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि 'हाऊस आफ कामन्स' है, बकिंगम पैलेस है, इसकी मैं कल्पना करूँ कि बम से वे ध्वस्त हो जाये तो मेरे मन को इतना ही कष्ट होगा जितना कि भारतवर्ष में नाश हो, प्रलय हो, उससे होगा। लेकिन फॉसिस्ट पक्ष के विरोध



में जिस पक्ष का मैं समर्थन करूँ, मालूम तो होना चाहिए कि वह नैतिक भूमिका पर निश्चित रूप से खड़ा हुआ है। उसकी भूमिका निश्चित रूप से नैतिक है जबकि दूसरी ओर अनैतिक है, ऐसा हो जाए तब तो मैं समर्थन करता हूँ। किन्तु समर्थन की भी एक सीमा है, भारतवर्ष अपना नैतिक समर्थन दे सकेगा। दूसरे लोग मानते थे, जैसा आपने कहा कि फासिस्ट के मुकाबले में हर तरह दूसरा पक्ष समर्थनीय है ही और हमारी कौसी भी अवस्था क्यों न हो हमको उसका समर्थन करना चाहिए, यानी कि मित्र पक्ष का समर्थन करना चाहिए। ऐसी उनकी मान्यता थी। इस स्थिति में गांधीजी क्या करें? गांधीजी अहिंसा के यती होकर चुप बैठे रहे, यह भी सम्भव नहीं था। इसलिए ध्वजितगत सत्याग्रह का रूप निकला, जहाँ सत्य-श्रद्धा का 'विडिकेशन' भी पूरा होता था और अहिंसा को अपनी नीति, कि प्रतिपक्षी को असमंजस्य में नहीं डालना है, वह भी निभती थी। प्रतिपक्षी जान जोखिम में डालकर लड़ रहा है, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, तो इस परिस्थिति का लाभ भी उठाया नहीं जायेगा, इसकी भी हमें चिंता रखनी है। इसलिए बड़े पैमाने पर सत्याग्रह न करके उन्होंने ध्वजितगत सत्याग्रह का रूप निकाला।

—'1940 के बाद 1942 में जब उन्होंने 'भारत छोड़ो', और 'करो या मरो' का नारा दिया तो उस वक्त भी जग जारी थी। तो आप ऐसा नहीं सोचते ज कि 'भारत छोड़ो' आन्दोलन से अंग्रेजों के जो युद्ध के लिए काम थे उनमें काफी हकावट पैदा हो सकती थी और एक बड़ा धक्का प्रजातंत्र को लग सकता था?'

—'गांधी जी मानते थे, जब उन्होंने 'करो या मरो' की आवाज दी और 'भारत छोड़ो' का आन्दोलन छेड़ा, कि भारत यदि अंग्रेजों का मित्र रहना चाहता है और उनकी सहायता करना चाहता है तो मित्रता और सहायता सच्ची तभी हो सकती है जब वह अधीन देश न रहे, न ग्रेट ब्रिटेन अधिशासक रहे। तब मित्रता अनायास होगी। यदि वह बलात् होती है तो ब्रिटेन के पक्ष को, नैतिक दृष्टि से बलिष्ठ नहीं, दुर्बल करेगी। युद्ध की अवस्था ऐसी थी कि आवश्यक था कि सब मित्र देश उसकी मदद करें। यानी सब देश मित्रवत् ही हैं जो इतिहास के संयोग से बर्तानिया के सम्पर्क में आए हैं। यानी यह सहज-भाईचारे का तकाजा है। लेकिन जब तक गुलाम बना रहेगा भारत तब तक मित्रता का निर्वाह ही नहीं सकता। तो गांधी जी ने सोचा कि अब स्थिति ऐसी आ गई है कि हमको इंग्लैंड की मदद करनी चाहिए, लेकिन गुलाम भारत को तो इंग्लैंड की दुश्मनी ही शुरू सकती है, वह मदद कर ही नहीं सकता है। मन में उसके लिए भाव वह पैदा होगा ही नहीं। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि तुम भारत पर अगर मालिक की तरह

बैठे रहने तो तुम कमजोर बनोगे और हिन्दुस्तान में जो तुम उन्नत करते हो कि वह तुम्हारे मदद करे तो मदद भी हृदय से वह तभी कर सकेगा जब तुम उसके मानिक नहीं रहोगे। उब वह स्वतः सच्चे मित्र के रूप में मदद करने आये जायेगा। इन्निर् मैं मानता हूँ कि उनके 'करो या मरो' के सत्याग्रह छोड़ने के मौदर भी मून आगम उनका नहीं रहा कि युद्ध में अंग्रेजों की मदद की जा सके। मदद का आदरनकता है, मदद करनी चाहिए। लेकिन भारतवर्ष की जनता के मन में डेप, क्रोध, शत्रुता का भाव रहे, निरंक इसीलिए कि वे मानिक बने बैठे हैं, और उनकी मदद करने में असमर्थ बना रह जाय, तो यह उनको सहा नहीं था। इसी-लिए वे चाहते थे कि जल्दी-से-जल्दी मानिक के रूप में अंग्रेज यहाँ से हट जाय और इच्छे ही भारत की जनता में मदद का भाव अनायास नीचे से प्रस्फुटित हो आए। इस ढंग से मैं मानता हूँ कि उनकी स्थिति और नीति अंग्रेज के प्रति मित्रता और अहिंसा दोनों ही दृष्टियों से समर्थनीय हो जाती है।'

### एम० एन० राय के संस्मरण

—'आपका एम० एन० राय के साथ कुछ सम्बन्ध रहा है। साम्यवादी पार्टी को छोड़कर, जिसका रूल रूस की वजह से इस आन्दोलन की तरफ बबसा था और लड़ाई की तरफ काफी बदल चुका था, एम० एन० राय उन लोगों में से थे जिनका रूल भी इस आन्दोलन के प्रति और युद्ध के प्रति गांधी जी और कांग्रेस से भिन्न था। कभी आपकी उनसे इस बारे में बातचीत हुई?'

—'हां, मेरा सम्बन्ध विशेष रहा है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। मिसने का अवसर जरूर आया और उसका कारण यह हुआ कि जवाहरलाल जी की पुस्तक निकली थी 'मेरी कहानी'। तो उस पर मुझे एक समीक्षा लिखनी थी। एक मित्र संपादक थे, उन्होंने आग्रह किया तो समीक्षा लिखी गयी। यह छपी। जरा विस्तृत-सी थी। छपने के बाद उसका अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया। अनुवाद में देख नहीं पाया था, इसलिए वह प्रकाशित नहीं हुआ। फिर दिन भीत गए तो वह पड़ा रह गया। उस अंग्रेजी अनुवाद के पृष्ठ किसी तरह से क्षाप में आये एम० एन० राय के। मुझे बताया गया कि एम० एन० राय उन पृष्ठों को पढ़कर दंग रह गये। उन्होंने जानना चाहा कि यह क्यों व्यवित है? मैं मिलाता चाहता हूँ इस आदमी से। तो इस ढंग से मेरा मिलावा हुआ। समीक्षा में जवाहरलाल जी के व्यक्तित्व का जो एक 'समिग अप' था, उस सम्बन्ध में जो विवेचन था, उससे वह प्रभावित हुए थे। कारण, उसमें स्तुति नहीं थी, विवेचना, समीक्षा अधिक थी। उन्होंने कहलाया कि इस लेख को अपने पत्र में छापने की मेरी है, लेकिन मेरा पत्र उनके प्रतिभूत सम्भ्रा जाता है। इसलिए लेख का

हो जायेगा। छपा तो नहीं, लेकिन उम नाते दिल्ली में उनसे मिलना ही गया। डेढ़-दो घंटे बात हुई। कहना चाहिए कि हम दोनों ही एक-दूसरे के सम्बन्ध में बहुत विस्मित हुए। वह मुझसे बात करने से पहले जाने क्या आशा रखते होंगे। लेकिन बात करने के बाद मुझसे उनकी सारी आशाएं कदाचित् भंग हो गयीं। वे समझते थे कि मैं कुछ विद्रोही, श्रान्तिकारी प्रवृत्ति का हूँ। आलोचक हूँ, समीक्षक हूँ। थड़ा, आस्था और आस्तिकता इन सब जड़-बाधाओं से बरी होना चाहिए मुझको। जरूर बरी हूँ ऐसा उन्होंने माना होगा। लेकिन जब बात करने से तो मालूम हुआ कि हम दोनों में तो कहीं किसी तरह के मेल की भूमि ही नहीं है। दो घंटे की बातचीत में नहीं मालूम हुआ कि किसी भी बिन्दु पर हम सहमत हैं, सिवाय इसके कि जवाहरलाल जी के प्रति अनुगत का नहीं बल्कि तटस्थ विवेचन का दृष्टिकोण उनको रुचिकर हुआ था। उसके अतिरिक्त हमने पाया कि दोनों के बीच कोई भी सामान्य भूमिका नहीं है। ऐसा अनुभव आया और उसके बाद फिर मिलने का अवसर क्या आना था। राज दृष्टि और राजनीति की अपर्याप्तता उन्हें प्रतीत होने लगी थी, लेकिन समाज से आगे समष्टि-रूप किसी अकल्पनीय की कल्पना उन्हें मिथ्या भावुकता लगती थी। स्वीकार करता हूँ कि उनकी धरती ठोस थी जबकि मेरी आस्था उनके निकट निरी अतर्क्य भावुकता भर थी।

—‘जब आप श्री एम० एन० राय से मिले तो जैसा आपने उनके बारे में देखा होगा कि वे एक जगह किसी भी दर्शन पर चाहे वह जीवन का दर्शन हो या राजनीति का, टिक नहीं सके—क्या इसका आपको कुछ आभास उनसे बातचीत करते समय हुआ?’

—‘मैं मानता हूँ कि बौद्धिक व्यक्ति, जो उत्कटता से बौद्धिक हो, कहीं भी अन्त तक टिकेगा नहीं। कारण वह अपने स्व पर टिका होता है। अन्त में परिणाम यह आता है कि उसकी भाषा, उसका ‘स्टैंड’ उसका दृष्टिकोण इतना अवसरानुकूल, अंततः स्वानुकूल होता है कि हर भाषा उसके काम आने लग जाती है। वह अपनी स्थिति को इतनी जल्दी बदल सकता है कि दूसरे लोग समझते रहे कि बदला है, लेकिन वह तर्क से अपनी पहली स्थिति के साथ उसे पूरी तरह समर्थित करता रहेगा। श्री मानवेन्द्रनाथ राय मुझे तीव्र बुद्धिशाली पुरुष मालूम हुए और मैं मानता हूँ कि बुद्धिशाली व्यक्ति को शब्दों में पकड़ा नहीं जा सकता। उसको आप नहीं कह सकते कि वह अविरोधी रहे। वह समर्पण अपने भीतर से पा लेता है, और अन्त में उसका स्वत्व ही उसके लिए सबसे प्रधान बना रहता है। एम० एन० राय के बारे में मेरी धारणा है कि वे बड़े बुद्धिशाली और प्रतिभाशाली आदमी थे। लेकिन बुद्धि से ऊपर किमी प्रकार की थड़-स्पर्श उन्हें आवश्यक नहीं था। इसलिए इससे उनकी

उनकी सीमा भी हो जाती थी।

### मेरी दृष्टि में : जवाहर लाल नेहरू

—‘आपने जवाहर लाल जी की ‘मेरी कहानी’ की जो समीक्षा लिखी थी उसमें आपने उनके सम्बन्ध में लिखा था कि ‘जवाहरलाल इज ए नोबिल पीस आफ ट्रेजिडी’। उससे आपका क्या मतलब था?’

—‘अब उसके मतलब की व्याख्या मैं मैं क्या जाऊँ? मैं समझता हूँ कि वे शब्द काफी स्पष्ट हैं। मुझे लगता था कि जवाहरलाल जी के मन में इतिहास का एक चित्रपट उपस्थित रहता है। उनको अनुभव होता रहता है कि वे इतिहास के पट पर जी रहे, काम कर रहे और चल रहे हैं और इस चेतना के अधीन जो वे स्वयं हैं, वह उतना नहीं रह पाते, जितना एक ‘हिस्ट्री’ के ‘कनवास’ पर चलने वाले एक चरित्र बन जाते हैं। रह-रहकर उनमें होता है कि जांचे, इतिहास में महापुरुषों की पंक्ति में वे कहां हैं, क्या ‘रोल’ अदा कर रहे हैं। इसकी चेतना उन्हें सचेत रखती है, और वे अपनी निजता को, प्रकृति को, स्वभाव को पूरी तरह से जी नहीं पाते हैं। ‘पाट’ जीते हैं, खुद को नहीं जीते हैं। पग-पग पर उन्हें ‘सेकंड थाट’ आवश्यक होता है। इसीलिए मैंने जो कहा कि ‘जवाहरलाल इज ए पीस आफ ट्रेजिडी’ उनका आशय यही था। क्या उनको होना चाहिए, इतिहास में क्या उनका स्थान होना चाहिए, इस विषय की चेतना को दिमाग से परे शायद ही वे रख पाते हैं। उस कारण कुल मिलाकर एक ‘नोबल पीस आफ ट्रेजिडी’ हो आते हैं। स्वयं में उनकी सार्थकता नहीं रहती, इतिहास में हो आती है। इस तरह का कुछ आशय था।’

—‘जैसा अभी आपने कहा कि उनको इस बात की सूझ रहती थी कि उनका इतिहास के महापुरुषों में क्या स्थान है और अपना जो निजीपन था, उसको छो देते थे, क्या इससे आपको ऐसा लगता है कि उनका इसमें विरोध था, इस तरह के सोचने में। इससे उनकी राजनीति पर क्या असर पड़ा?’

—‘राजनीति पर सीधा प्रभाव यह दीखता है कि महत्वाकांक्षा में से उनकी नीति बनी, जिसमें कि भारत को तात्कालिक स्थिति का उतना विचार नहीं भी रहा। हमारी योजनाओं का, हमारी वैदेशिक नीति का प्रधान लक्ष्य यह रहा कि भारत अन्तरराष्ट्रीय प्रवृत्तियों में खूब भाग ले, ऊंचा जाए, महान बने। ये सारी की सारी बातें भारत के लिए कुछ महंगी पड़ी, काफी महंगी पड़ी। जैसे कि हमारे राज-दूतावास ही है। आवश्यक हुआ कि राजदूत अन्यान्य अन्तरराष्ट्रीय और राजनयिक लोगों के समक्ष समान स्तर रखें। उनका रुतबा, रुआब कम नहीं रहना चाहिए, ऐसा उनके मन को लगता था। गांधी जी कहते थे कि हमारा देश जैसा है, अगर गरीब है तो उसके मुताबिक हमारा प्रतिनिधि रहता है तो उसमें क्या

घबराहट है ? बल्कि ऐसे वह सच्चा प्रतिनिधि बनता है । लेकिन वह दृष्टिकोण जवाहरलाल जी को जंचा नहीं । वे भारत की आन रक्षना चाहते थे, शान चाहते थे, चाहते थे कि भारत का जो अपस बाहर पहुँचे वह चमकदार हो, देश के गर्व को बढ़ाने वाला हो । तो यह जो तमाम दृष्टिकोण उनका रहा, अन्तरिक व्यवस्था के सम्बन्ध में जो उनकी योजनाएं बनी, वैदेशिक नीति में भारत को आन-वान बनाये रखने को महत्व मिला, अन्तरराष्ट्रीय कार्यों में भारत को आगे बढ़कर भाग और दायित्व लेना चाहिए यह जो निश्चय हुआ—सो सब परिणाम—क्या कहूँ—उनके अपने 'रोमान्टिक' दृष्टिकोण का हुआ । मैं मानता हूँ कि भारत के हित में वह बहुत महगा साबित हुआ और हो रहा है ।'

### मेरी दृष्टि में : गांधी जी

—'गांधी जी और पंडित जी के दृष्टिकोण में बहुत अन्तर था, इसी तरह से उन दोनों के व्यक्तित्व में भी बहुत भारी अन्तर नजर आता है । गांधी जी ईश्वर में विश्वास रखते थे और पंडित जी शायद उतनी गहराई से नहीं रखते थे । पण्डित जी ने शायद एक बार कहा था कि उनको सपने भी अंग्रेजों में आते हैं । गांधी जी शायद ऐसा नहीं कह सकते थे, फिर भी गांधी जी ने उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया । उन्होंने कहा कि मेरे जाने के बाद जवाहरलाल मेरी भाषा बोलेगा । इसके क्या कारण थे ?'

—'मुझे लगता है कि गांधी जी के जो सीधे अनुयायी थे वे अनुगत थे, जैसे राजेन्द्र बाबू, वल्लभ भाई, और कुछ राजा भी । जवाहरलाल जी के सम्बन्ध में उन्होंने देखा कि यह पुरुष अनुयायी नहीं है । और नहीं है, इस यथार्थता को मेरे प्रति पूरे और खुले तौर पर प्रकट करने में सकोच नहीं करता है । इसलिए ईमानदार और खरा आदमी है, सच्चा आदमी है । इसमें अपना निजत्व है, वह मौलिक है । और मैं मानता हूँ कि गांधी जी अनुयायी और अनुगत नहीं चाहते थे, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति से चाहते थे कि अपना निजत्व ढूँढ़े और आत्मवान बने । तो मेरे खयाल में गांधी का उत्तराधिकार उन्हें मिलने में यह कारण था । यो जवाहरलाल जी कांग्रेस की कार्यसमिति में हमेशा ही अल्पमत में रहे । गांधी जी के अनुयायी सदा बहुमत में थे । लेकिन गांधी जी आगे बढ़कर अपने अनुयायियों की परवाह न करते हुए, जवाहरलाल जी को ही कांग्रेस के शीर्ष पर बार-बार रखते रहे । उसका कारण मैं यह मानता हूँ कि उनको सहमति उतनी नहीं चाहिए थी जितनी कि सच्चाई और ईमानदारी चाहिए थी । जवाहरलाल जी में उन्होंने यह देखा । अब जो उन्होंने कहा कि मेरे बाद जवाहरलाल मेरी भाषा बोलेगा, सो आशा पूरी नहीं हुई । पर आशा उनकी अकारण नहीं थी । क्योंकि आदमी में कितनी भी बुद्धि हो, कितना भी गुमान क्यों न हो, हृदय भी अवश्य होता है ।

और गांधी जी मानते थे कि अगर मेरा व्यवहार जीवन भर जैसा रहा, मेरा प्रेम सच्चा रहा, तो उसका असर जवाहरलाल के दिल पर, दिमाग से ज्यादा दिल पर, जरूर पड़ता रहा होगा। तो मेरे जाने के बाद वह फल लायेगा, वह 'आपरेट' करेगा। तो दिमाग की भाषा छूट जायेगी, दिल की भाषा आ जायेगी। मैं समझता हूँ कि यह आशा थी और निराधार नहीं थी। लेकिन वह बात पूरी होने में नहीं आई। शायद गांधी जी की जो इस सम्बन्ध में धारणा थी, जो अनुमान था, वह सही नहीं उतरा। क्योंकि राजनीति में वे दिल से काम ले सकें, दिमाग के ऊपर दिल आ जाय, ऐसा अवसर जवाहरलाल जी ने जैसे हठात् आने दिया नहीं। अगर जवाहरलाल थोड़ा-मा भी राजनीति से तटस्थ रह पाते, कुछ देर के लिए भी, तो मैं मानता हूँ कि वह अवसर आ जाता। तब उनके दिल के भीतर का बसा गांधी ज्यादा काम करता। और वह वक्त आया, पर तब देर हो चुकी थी। बाधक्य आ गया था और नेहरू शिथिल हो चुके थे। लेकिन स्वराज आते ही समस्याएं इतनी ज्यादा उलझती चली गयीं, इतने ज्यादा 'चैलेंजिज', चुनौतियां आती चली गयीं कि जवाहरलाल जी को अपने ही गहरे में जानी, वहां की बात सुनने का अवकाश नहीं मिला। चुनौतियां बहुत ज्यादा आती रही और तत्कालिक प्रश्न नेहरू को उद्दीप्त किये रहे। सहृदय और मननशील नेहरू की बारी नहीं आई। इंप्लिसिट 'एवशनिष्ट' नेहरू को फुसंत नहीं मिलने दी गयी। और आप जानते हैं कि हरेक का विचार अलग-अलग होता है और जब तक वह काम करता रहा तब तक जवाहरलाल जी गांधी जी की भाषा अपना सकते ही नहीं थे, वह सम्भव भी नहीं था। प्रेम आदमी को जिस जगह छूता है व्यक्तित्व के उस स्तर को उदय में आने का मौका नहीं आया, और आया तो वक्त गुजर चुका था।'

— '1947 में जब देश का बंटवारा होने लगा तब गांधी जी की राय यकीनी तौर पर यह नहीं थी कि देश का बंटवारा हो और ऐसा अक्सर कहा जाता है कि कांग्रेस का जो नेतावर्ग था खासकर जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और दूसरे लोग इन्होंने गांधी जी को बंटवारे के बारे में पूरा बताया नहीं और उनके विरोध के बावजूद बंटवारे को इन्होंने मान लिया। तो 1946 और 47 में यह जो खाई गांधी जी के और उनके दूसरे अनुयायियों के बीच में पड़ी इसका आप क्या कारण समझते हैं? या सत्ता का लोभ इसमें मुख्य कारण था?'

— 'सत्ता का लोभ' शब्द तो बहुत स्थूल है, बहुत हल्का है। मैं समझता हूँ कि उस समय जो मनोभाव काम कर रहे थे हमारे कांग्रेसी नेताओं में, वे उनकी समझ से सूक्ष्म थे और वजनी थे। वे थे कि सारे देश ने जो लड़ाई लड़ी, इतना बलिदान किया, परिणामस्वरूप देश में अब स्वराज आया है तो देश हमारी तरफ देख रहा है नेतृत्व के लिए। अब क्या हम अपनी जिम्मेदारी से भाग

जायें ? क्या करें, पीछे हटें ? तो यह भाषा उनके दिमाग ने पैदा की कि मोर्चे से भागने का अवसर हमारे लिए नहीं है। राजनीति के क्षेत्र में हमने जनता का नेतृत्व किया है। अब स्वराज आया है तो जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेने से इन्कार कर दें, तो अपनी जनता के साथ विश्वासघात होगा। यह भाषा और यह भाव हमारे नेतृत्व के मन में रहा। अब इसको सत्ता के लोभ का 'रेशनलाइजेशन' कहा जा सकता है या नहीं, इस मनोविज्ञान में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि नेता लोग जेलों में रहे, सारे कष्ट बरदाश्त किये, उससे ऊब गये थे। कष्ट का ही कोई फलसफा हो तो वह उन्हें मंजूर न था। इसलिए उनको सत्ता चाहिए थी अपने लिए ऐसी बात तो नहीं थी। लेकिन गांधी जी की वह भाषा, वह श्रद्धा जहाँ कि- विसर्जन स्वयं अपने आप में मूल्य हो आता है, प्रयोजनाश्रित विसर्जन नहीं, स्वयं विसर्जन, तो वहाँ तक हमारे कांग्रेस नेतृत्व का विश्वास पहुँचा नहीं था। इसलिये गांधी जी ने जो विकल्प सुझाये वे उनको जंच नहीं सके। गांधी जी ने तो यहाँ तक सुझाया था कि अगर अंग्रेज जाते वक्त कहते हैं कि हम किस को सौंप जाये सारी राज-व्यवस्था ? कांग्रेस को अकेले तो कैसे सौंपी जाय ? कांग्रेस और लीग को मिलाकर सौंपते हैं तो दोनों में बनती नहीं है। यह सवाल अगर तुम्हारे सामने रखते हैं अंग्रेज लोग तो उनसे कह दो कि हा, हममें और लीग में बनती नहीं है, लेकिन आप चले जाइये, हम आपमें भुगतते रहेगे। नहीं तो लीग को ही सम्भला दीजिए। हाँ, तो लीग को ही सम्भाल लेने दो, कोई बात नहीं। अंग्रेज को तो निकल ही जाने दो। तीसरा और बाहरी आदमी निकल जायेगा, तो दोनों आपस में कुछ लड़ेंगे-झगड़ेंगे, आखिर कुछ-न-कुछ बनाव बनेंग और बँर ठंडा होगा। फलह स्थायी-होती ही नहीं है। लेकिन यह बात कांग्रेस नेतृत्व को नहीं जमी। मैं मानता हूँ कि यह मूलभूत अन्तर दृष्टि का उम समय अत्यन्त स्पष्ट हो आया था। लीग की तरफ से कांग्रेस आजिज आ गयी थी; यहाँ तक कि गांधी जी के प्रति अविश्वास का भाव हो आया उनमें और इसलिए उन्होंने सारी चीजों की खबर गांधी से चोरी रखकर उन्हें नहीं दी, उनका मशवरा नहीं लिया, तो यह तो नहीं रहा होगा। लेकिन यह जरूर रहा होगा कि अन्तर बीच में इतना आ गया था, रुख इतना पलट गया था, कि उन्हें लगा कि अब शायद गांधी जी को कष्ट देना होगा अपनी राज-व्यवस्था की बातों को उनके पास से जाना।

यह सही है कि गांधी जी ने कहा था कि बटवारा होगा तो मेरी जान पर से होगा, मेरी मारा के ऊपर से होगा। यानी मेरे जीते जी नहीं होगा। लेकिन बटवारा हुआ और 'आल इंडिया कांग्रेस कमेटी' से बटवारे को स्वीकार कराने में गांधी जी की मदद हुई, उन्होंने नेतृत्व को समर्थन दिया। गांधी जी के

कारण ही 'आल इंडिया कांग्रेस कमेटी' समर्थन दे सकी, अन्यथा मालूम नहीं क्या होने वाला था। यह सब जो हुआ उसको समझने में थोड़ी कठिनाई अवश्य है। माना जाता है कि गांधी जी भी बंटवारे में एक भाग रहे, जबकि दूसरी तरफ वे कहते रहे कि बंटवारा होगा तो मैं जान पर खेल जाऊंगा, मुझको मारकर बंटवारा होगा। यह दोनों बातें कैसे हुईं? तो मैं मानता हूँ, मुझे लगता है कि ईसा को जो सूली लगी थी, कीलों से उनको ठोका गया कि कष्ट और अधिक हो, तो यही सूली गांधी जी को लग रही थी जब वे कांग्रेस से नेता लोगों को वह समर्थन दिला रहे थे। ऐसी मेरी मान्यता है। क्योंकि क्या ईसा मसीह ने अपने सलीब को अपने कंधों आप ही नहीं ढोया था ?

— 'एक तरफ उनका बंटवारे की तरफ तीव्र विरोध और दूसरी तरफ जैसा आपने कहा कि 'आल इंडिया कांग्रेस कमेटी' में उनकी वजह से ही भारत के बंटवारे का प्रस्ताव पास हुआ तो क्या कारण हो सकते हैं कि गांधी जी ने बंटवारे को न केवल सहन ही किया बल्कि बंटवारे का प्रस्ताव पास कराने में मदद भी की ?'

— 'कारण इस आत्माहुति का क्या बताया जाए? नेतृत्व ने बंटवारा स्वीकार कर लिया था। वायसराय को बचन दे दिया गया था। कांग्रेस के ही अन्दर तत्व थे जो बंटवारे को मानने को तैयार नहीं थे। उन सबसे, एक-एक से गांधी जी ने बात की। सबके सामने सीधा प्रश्न उन्होंने रखा कि अगर कांग्रेस की जनता तुम्हारी बात माने और तुम्हें विश्वास सौंपे तो तुम अपनी 'वकिंग कमेटी' बनाने को तैयार हो, इन नेताओं से अलग? कोई एक भी इसके लिए तैयार नहीं निकला। जो लोग बंटवारे के विरोध में खड़े होने पर उद्यत थे उन्होंने हिम्मत नहीं बताई। नहीं कहा कि हाँ, हम नहीं मानते हैं विभाजन। अगर राष्ट्र इसमें हमारा साथ देता है तो ठीक है, हम राष्ट्रीय कांग्रेस का दायित्व सम्भालेंगे। व्यक्तिगतः प्रत्येक से उन्होंने पूछा, पर कोई समर्थन न निकला। गांधी जी ने देश के राजनीतिक नेतृत्व का दायित्व अपना कभी नहीं माना था। कांग्रेस में कोई तत्व तैयार थे नहीं जो बंटवारे के खिलाफ कांग्रेस का नेतृत्व करें। लोग सोचते हैं कि गांधी तब खड़े हो जाते तो क्या दिक्कत थी? और यही से सब भ्रांति खड़ी होती है। कोई नहीं मानेगा कि गांधी में शक्ति नहीं थी। वे उठते तो नेहरू वगैरह सब राजनीतिक नेताओं के विरोध में कांग्रेस जरूर उनके साथ होती। और यहीं गांधी को समझना मुश्किल होता है। पर मेरी दृष्टि में गांधी जी राजनीतिक नेतृत्व को कांग्रेस का जिम्मा मानते थे, अपना धर्म नहीं मानते थे। उनका स्वधर्म राजकरण था ही नहीं। इसलिए जब कांग्रेस का कोई व्यक्ति तैयार नहीं निकला इंग्लैंड में देश और कांग्रेस को से जाने के लिए, तब क्या करते गांधी? कांग्रेस से अपने आपको तोड़ लें ?



विद्रोह का झण्डा उठाये ? तो इस तरह की बात वे कर नहीं सकते थे । क्योंकि उनके निकट देश का राजनीतिक नेतृत्व कांग्रेस का दायित्व था, उसको कांग्रेस का ही रहने देना था । वह धर्मपुरुष थे, राजपुरुष होने की उद्दीपना, संभावना उनमें न थी ।

सवाल होता है जिन लोगों ने स्वीकार किया बंटवारा, वे उनके अपने ही बनाये हुए तो थे । क्या उन्होंने ही उन्हें वहाँ नहीं बिठाया था ? उन्होंने मानो कहा कि हाँ, मैं चाहूँ तो वे मेरे बनाये हुए लोग हैं, मैं उनको हटा भी सकता हूँ । लेकिन फिर मैं करूँगा क्या ? नए नेता खड़े करूँगा ? आप यों समझ लीजिए कि जिस प्रकार क्राइस्ट ने 'क्राम' को अपने कंधों पर वहन किया, उमी तरह से गांधी जी ने खुद अपने को नीचे झुका कर और कंधा देकर वह 'त्रास' अपने ऊपर लिया और कांग्रेस में बटवारे के समर्थन के प्रस्ताव को पारित कराया, और फिर वहाँ से पूरे राजकारण से ही वह दूर चले गये ।

मैं मानता हूँ कि परमधर्म ने, जिसकी परिभाषा थी प्रेम और अहिंसा, उनसे ऐसा आचरण कराया । अपने बनाये लोगों पर भी अपने को थोपा नहीं । उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम जियो, तुम्हारी राह में मुझे मरना पड़े तो मरने दो । कहा और एकाकी अपने रास्ते पर चले गये । मैं समझता हूँ कि यह बलिदान-धर्म मूल कारण इस अतक्य व्यवहार का है । इसमें आत्मा की अन्तरंगता के अध्ययन और विश्लेषण की आवश्यकता होगी । अन्यथा पहली पहली ही बनी रहेगी, कभी खुल नहीं सकेगी ।

आप तो जानते हैं कि गांधी जी को मारना जिसने पुण्यकृत्य और धर्मद्वेष समझा उनके मन में था कि सारे बंटवारे और देश की तबाही का पाप एक गांधी पर है, उस पापी को जीने नहीं दिया जा सकता । कांग्रेसी नेताओं की तो हस्ती क्या है, वे तो गांधी के बनाए हुए हैं । ऐसा मानकर उन्हीं को मारा, बाकी सबको बड़शा और माना कि देश की और उसके (सनातन) धर्म की इस तरह उसने रक्षा की है ।

—तो मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि इस अपनी हार में उन्होंने अपने स्वधर्म पर विजय साधी ?

—'मालूम नहीं कि स्वधर्म क्या होता है, धर्म ही क्या होता है ? लेकिन प्रेम से अलग किमी मिद्धान्तवादिता को तो धर्म कहते मुझसे नहीं बनता । धर्मों का सार प्रेम है और मैं समझता हूँ कि प्रेम में जो उत्सर्ग होता है वह भ्रतः मे धर्माचरण ही सिद्ध है । यह मोह नहीं है । ईश्वर प्रेम और मनुष्य के प्रेम में विग्रह हो आया करता है । अधिकांश ईश्वर के प्रेम में मनुष्य का प्रेम बाधक होता है । लेकिन गांधी जी के ईश्वर-प्रेम, यानि सत्य-प्रेम और मानव-प्रेम में अगर ऐसा

हो कि मानव-प्रेम की उन्होंने रक्षा की और सत्य-प्रेम की हत्या हो जाने दी तो मैं मान लूंगा कि मोह जीता और सत्य हारा। पर मैं नहीं मानूँ पाता हूँ कि गांधी जी के साथ ऐसा हुआ। आप जानते हैं कि गांधी जी का जीवन उसके बाद जिस ढंग से बीता उसमें सत्य-आग्रह और सत्य-वर्तन का जितना तीव्र, प्रचंड 'विद्वेषन' हमें दिखाई देता है उतना पहले शायद नहीं दिखाई दिया। जब वे फाँच पर और कदम पर से पाँव-प्यादे चले, चप्पल तक छोड़ दी, अकेले रहे, अपने माथियों को भी विदा किया, यह सब जो गुजरा उससे क्या यह कहा जायेगा कि मानव-प्रेम की रक्षा में ईश्वर प्रेम की उन्होंने कीमत में तज दिया? इसलिए मैं उसे मोह की विजय नहीं मानूँगा, उसको धर्म की पराजय नहीं, धर्म की विजय ही मानूँगा।

—गांधीजी अक्सर कहा करते थे कि उनकी इच्छा 125 साल तक जीने की है, और जहाँ तक मैंने सुना है और पढ़ा है, आखिर के दिनों में वे बहुत दुःखी थे और यह कहना भी शायद गलत नहीं होगा कि वे निराश ही मरे। इसका कारण क्या हो सकता है कि उन्होंने 125 साल तक जीने की इच्छा भी छोड़ दी थी?

—मैं समझता हूँ कि यह विरोध प्रत्येक अवतारी जीवन में, अन्त में प्रकट होता ही है। ईसा अन्त समय में रो पड़े, उनके आँसू आ गये। जो व्यक्ति ईश्वर से, उसके सत्य से और विधान से तद्गत हो गया है उसको दुःख-शोक की क्या आवश्यकता है? लेकिन जब तक व्यक्ति सदेह है, रूपाकारयुक्त है, तब तक ईश्वर से किंचित व्यवधान और अन्तर बीच में रहता ही चला जाता है। मोह-भंग का अवकाश दोष रहता ही है। सचमुच मोह-भंग हुआ और 125 वर्ष तक रहने की जो उनकी भावना थी, जिसको परमेश्वर का विधान मानते थे, परमेश्वर के नियमों के अनुसार जो जिये उसे 125 वर्ष से पहले जाना नहीं है, विधान ऐसा है और इसलिए 125 वर्ष तक उनको जीना है, वह भावना जाती रही। मालूम हुआ कि उनका संसार जिस विधि से चल रहा है उस सबके बीच 125 वर्ष तक जीने की इच्छा भी मोह है। मोह-भंग हुआ महात्मा गांधी का, और होना था। प्रत्येक उस पुरुष के जीवन में, जो अपने जीवन को शत-प्रतिशत ईश्वरधीन मानता है, अन्त में ऐसा वक्त आयेगा ही आयेगा जब प्रतीत होगा कि संसार और ईश्वर में फाँक है और उसमें निराशा ध्यायेगी। शृष्ण भगवान की मृत्यु हुई तो मानना होता है कि यादवों की जीवन-प्रक्रिया देखकर उनमें शायद मृत्यु के वरण की इच्छा हो जनमी थी। जो है रहा था उस सबके प्रति उनमें वितृष्णा हुई कि क्या मैं आता है कि पैर में ध्या का तीर लगा और उन्हें देह का अन्त प्राप्त हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि तीर लगने की घटना ही उनकी भावना में से फलित हुई थी। मृत्यु उन्हें अनुकूलता

मिली। मैं मानता हूँ कि अवश्यम्भावी यह प्रक्रिया है जिसमें सम्पूर्ण आस्था के रहते भी परमेश्वर में और संसार में व्यवधान दीखता है। परमेश्वर की प्रकृति में अनुराग के कारण ही संसार के प्रति एक वितृष्णा का क्षण आता है। इसमें एक अवश्यम्भाविता है और कोई तर्क-विमुखता नहीं है। आपकी बात सही है कि कांग्रेस में अधिक लोग खुलकर हिंसा के समर्थन को तैयार नहीं थे, लेकिन सहानुभूति थी और वैसे कामों में वे मदद देते थे। मानता होगा कि इसके कारण दोनों आन्दोलनों में कमजोरी आई, कांग्रेस के अहिंसक आन्दोलन में और हिंसक क्रान्तिकारी आन्दोलन में भी। कुछ लोग थे जो पूरे योग से इसमें साथ नहीं दे सकते थे, कारण जो हो। उधर कांग्रेस आन्दोलन में वे साथ थे, काम करते थे, लेकिन आधा मन उनका हिंसक नीति की तरफ भी रहता था। इसी का परिणाम था कि गांधी जी ने लाहौर कांग्रेस में बम विस्फोट पर वाइसराय के बच जाने पर बघाई दी थी और बम काण्ड की निन्दा की थी। वह प्रस्ताव कांग्रेस में बहुमत से पास हुआ था, सर्वसम्मति से नहीं। काफी बड़ा भाग कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं का था जिनके मन में उस विस्फोट के प्रति निन्दा का भाव नहीं था, कोई विरोध नहीं था। बल्कि किञ्चित् महमति थी और समर्थन था। कांग्रेस समर्थन में समर्थन गांधी की नीति अथवा गांधी की अहिंसा का नहीं था, वह समर्थन था तो गांधी की राजनीति अनिवार्यता के कारण था। देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन के लिए गांधी का नेतृत्व कांग्रेस को अनिवार्य था। इसलिए बहुतेरे लोग उस संघटन में थे जो अहिंसा मन में नहीं मानते थे बल्कि मन-ही-मन हिंसक माधनों की आवश्यकता के सम्बन्ध में सहमत थे।

### दिल्ली के नेता और राजनीति

—‘गन् 1930 के आन्दोलन में दिल्ली में जिन लोगों ने भाग लिया, सात-कर प्रमुख कार्यकर्त्ता जो इस आन्दोलन में थे, उनके नाम और उनके बारे में कुछ आप बता सकेंगे?’

—‘डॉक्टर अमारी तो थे ही। आमफअली थे, देनवन्तु गुप्त थे, इन्द्रजी (विद्या वाष्पगति) थे। आरिफ हमदी भी थे जो उन दिनों जिला कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यहाँ के पत्रकार जे० एन० साहनी थे। मत्ववनी जी थी। ये सब लोग उस समय, उस आन्दोलन में थे और आज के स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वों में भी काफी लोग थे। मुन्शीर गिहू थे, राधास्वामि थे। याद आना है, मुन्शीर गिहू और राधास्वामि स्वेजल जेल में नहीं थे, या तो उन्हें बन्नाग नहीं मिली थी, या क्या बात थी। डा० अमारी, आगच्छरमी तो थे वहाँ। डा० अमारी के गुप्ताच पर, स्वेजल जेल में ही इग मुन्शीर के कारण, यहाँ एक नागियामेट मुक्त थी

गयी। एक घटना याद आती है। मैं चुपचुपाना रहता था। आगे आने की मुझमें सिकत नहीं थी। लेकिन एक बार पार्लियामेंट में जाने क्या चर्चा आई, खादी के बारे में या किस बारे में, तो अचरज हुआ कि मैं बोल पड़ा। थोड़ा ही बोला। अगले दिन देखता हूँ कि आसफ साहब 'सेल' में पधारे हैं। विस्मय हुआ, क्योंकि मैं सदा का बहुत नगण्य व्यक्ति था। जेल के गणनीयों में मैं किसी ओर से नहीं आ सकता था। आसफ साहब ने कहा कि जनेन्द्र, तुम कल बोले थे और मेरे मन में हुआ कि तुमसे बातचीत की जाय। मैं तुमसे यह कहने के लिए आया हूँ कि तुम्हें राजनीति में सक्रिय भाग लेना चाहिए। मैंने कहा कि मुझमें तो इससे उल्टा निर्णय बन चुका है। यह कि मुझे राजनीति में सक्रिय भाग नहीं लेना है। वे समझाने लगे कि यह बहुत गलत फैसला है तुम्हारा। कहा कि राजनीति में काम करने वाले बहुत हैं सोचने वालों की कमी है। जो गहराई में जाएं ऐसों की जरूरत है। तुम कभी इस मैदान से किनारा मत करना। मैंने कहा कि यह सब चीज अपने बस की मालूम नहीं होती है। फिर सबसे अहम यह है कि मैंने पा लिया है कि भीतर मेरे भय बँठा है। भय रखकर मैं शामिल हुआ तो उस अहिंसक आन्दोलन के साथ न्याय नहीं कर सकूंगा। हिंसक पराक्रम में तो भीतर भय रह भी सकता है। उसमें सेनापति पीछे रहे तो कोई कठिनाई नहीं। सेनापति आदेश देता है, उसमें हो सकता है कि लड़ें सिपाही, जानें तो उनकी जायें, और 'चीफ' पीछे सन्तुष्ट रहे। लेकिन अहिंसक आन्दोलन में, उसके सत्याग्रह में, इसका बिल्कुल अवकाश नहीं है। अहिंसक आन्दोलनमें तो सेनापति को, या जो भी हो, उसके सामने आकर छाती पर धार लेना चाहिए। अन्यथा अहिंसा खरी अहिंसा नहीं है। जब आपने दिल्ली के लोगों की बात कही तो मुझे यह घटना याद आ गयी।

'पंजाब के सभी प्रमुख नेता वहाँ थे। डाक्टर गोपीचन्द थे, सत्यपाल थे, किचलू थे। जफरअली खाँ थे जो कि बाद में मुस्लिम लीगी बन गये, लेकिन उन दिनों बहुत सरगर्म 'नेशनलिस्ट' थे। मुहम्मद आलम थे। फ्रंटियर के अब्दुल गफ्फार खाँ और उनके साथी थे।'

— 'दिल्ली में नमक सत्याग्रह कैसे चला था ?'

— एक कम्प लगा था जमुना पर और वहाँ से बाद में जत्था भेजा गया। पहला जत्था पाँच आदमियों का था। मैंने आपसे कहा कि उस जत्थे का नेता बनाकर मुझे भेजे जाने का निर्णय था और क्यों मैंने असहमति जताई थी। लेकिन जत्था गया और कोई जाने-माने कांग्रेसी नेता उसके नेता नहीं थे। स्वयंसेवकों में से ही वह जत्था तैयार किया गया था। शाहदरा में जाकर उसने नमक तैयार

किया। नमक तैयार करना माने बड़ी कड़ाही में पानी डाला गया, उसको पकाया गया, उसमें से मिट्टी निकाली गयी इत्यादि-इत्यादि। जब पहला नमक बना तो लोग एक-एक चुटकी लेने झपटे और उस नमक को बड़ा पवित्र भमका गया। बराबर जत्थे जाते थे और नमक तैयार होता था और वे गिरफ्तार किये जाते थे।'

### जेलों में वर्गीकरण

—'आपने 1920 का और 1930 का भी आन्दोलन देखा। इन दोनों आन्दोलनों में जो लोग सम्मिलित हुए थे उसमें आपको कुछ फर्क मजर आया? 1920 और 1930 के आन्दोलनों में किन-किन तबकों के लोग ज्यादा थे?

—'अन्तर था। मैं अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहूंगा कि सन् 1920 के आन्दोलन में औसतन जो गये वे कार्यकर्त्ता जन थे। यानी सारे देश भर में एक प्रकार की जागृति पैदा हुई थी। नेता-जनता का भेद उतना न था। लेकिन सन् 1930 के आन्दोलन में शहरो में से लोग सामने आये। वे शुद्ध कर्त्तव्य और त्याग के नाते नहीं उठे थे, बल्कि एक वृत्ति होती है सब तरह के सार्वजनिक कामों में आगे दिवने की। वह वृत्ति उभर चली थी। सन् 1930 के आन्दोलन में इस ढंग के लोग ज्यादा थे। सन् 1920 में भावनाशील अधिक थे।'

—'सन् 1930 के आन्दोलन में, जो कि जन-आन्दोलन था, ज्यादा आम लोग ही शामिल थे, जो कि निचले तबकों के थे जैसे कि किसान, या शहर के मजदूर और छोटे काम करने वाले, या बड़े लोगों को भी ज्यादा 'पाटिसिपेशन' था?'

—'हां, सन् 1920 और 1930 के आन्दोलन में यह अन्तर कहा जा सकता है। सन् 1920 के आन्दोलन में जन-वर्ग और नेतृ-वर्ग, इनमें विशेष अन्तर बना था, लेकिन 1930 के आन्दोलन में नेतृ-वर्ग आगे आने वाला प्रमुख

थोड़ी पैदा हुई।'

—'जेलों में सरकार ने जो वर्गीकरण किया, अर्थात् जो पढ़े-लिखे और प्रतिष्ठित लोग थे, उनको एक वर्ग में और दूसरों को दूसरे वर्ग में, इससे क्या आप ऐसा मानते हैं कि उसने जो आगे आने वाले जन-आन्दोलन थे उनको कुछ हद तक कमजोर किया और कार्यकर्ता आपस में मिल-जुल नहीं सके?'

—'हां, मैं मानता हूँ कि इससे नुकसान हुआ, आन्दोलनों में डील आई, लोगों में फर्क आया। मैं अपनी ही बात कहता हूँ। यह शायद सन् 1930 की बात नहीं, सन् 1932 के आन्दोलन की बात है। मेरा 'केस' अगली तारीख को था। उससे पहले एक दिन एक अधिकारी कांग्रेस नेता का 'केस' था। मैंने उनसे पूछा कि आपके 'केस' में कुछ 'बलास' की चर्चा आई थी? उन्होंने कहा, 'हां, पूछा था कि आपकी आमदनी क्या है?' तब मैंने पूछा, 'आपने क्या उत्तर दिया?' उन्होंने कहा कि मैंने बताया, 'जितना एक आई० सी० एस० का वेतन होता है वह मेरा एक मास का खर्च है।' सुनकर मन को बहुत धक्का लगा। मैंने सोचा कि अगर हमारे नेता खर्च के बारे में गर्व के साथ इस प्रकार की बात कह सकते हैं कि आई० सी० एस० की तनखाह क्या चीज है, उतना मेरा खर्च है; तो यह तो आन्दोलन की कमजोरी हुई! अगले दिन मेरा 'केस' था। 'केस ट्राई' करने वाला मैजिस्ट्रेट अंग्रेज था। इसलिए अंग्रेजी में ही बातचीत हुई थी। अन्त में उन्होंने पूछा : 'आप कहां वकालत करते हैं, दिल्ली में?' मुझमें गुस्सा था, कहा, 'आप क्या कह रहे हैं, वकालत? वकालत से मेरा क्या ताल्लुक है?' कहने लगे, 'फिर आप कहीं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होंगे?' मैंने कहा, 'क्या आप मेरा मजाक उड़ाना चाहते हैं? मैं मैट्रिक तक पढा आदमी हूँ। वकालत और प्रोफेसरी की बात आप क्या करते हैं?' कहने लगे, 'तो-तो' और वे उलझन में दिसे। मैंने कहा, 'साहब, क्या आप मेरी आमदनी पूछते हैं? मेरी आमदनी का कुछ ठीक ठिकाना नहीं है। यानी 'इट इज मीगर इनफ, एण्ड एट दि टोप आफ इट, इट'स क्वाइट प्रिकेरियम।' अब वे मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे, 'येन आई कैन नाट गिव यू ए बलास?' मैंने कहा, 'यू कैन नाट गिव मी इवन थो? यू आर जस्ट नाट एन्टाइटल्ड टु गिव मी इवन बी बलास?' यानी मुझे चिढ़ थी पिछले दिन की बात की। जब मैं सौटकर आया तो मातूम हुआ कि मुझको 'बी बलास' दिया गया है। मैंने 'प्रोटेस्ट' करना चाहा, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा मुझे जबरदस्ती उस बैरक से हटा दिया गया। यह तो मन की कमजोरी है कि अपने को विशिष्ट ऊंचा बताया या दिखाया जाये। यह कमजोरी व्याप्त हो रही थी। कई लोग मैं ऐसे जानता हूँ जिनको 'मी बलाम' मिली क्योंकि वे इतने जाने-माने आदमी नहीं थे। लेकिन उन्होंने अपने 'इनकम टैक्स' के 'सर्टिफिकेट' बगैरह 'कोर्ट' में वेग बिचे कि हम वैसे बाने आदमी हैं। अगर यह बात आ गयी

किया। नमक तैयार करना माने बड़ी कड़ाही में पानी डाला गया, उसको पकाया गया, उसमें से मिट्टी निकाली गयी इत्यादि-इत्यादि। जब पहला नमक बना तो लोग एक-एक चुटकी लेने झपटे और उस नमक को बड़ा पवित्र समझा गया। बराबर जल्ये जाते थे और नमक तैयार होता था और वे गिरफ्तार किये जाते थे।'

### जेलों में वर्गीकरण

—'आपने 1920 का और 1930 का भी आन्दोलन देखा। इन दोनों आन्दोलनों में जो लोग सम्मिलित हुए थे उसमें आपको कुछ फर्क नजर आया? 1920 और 1930 के आन्दोलनों में किन-किन तबकों के लोग ज्यादा थे?'

—'अन्तर था। मैं अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहूंगा कि सन् 1920 के आन्दोलन में औसतन जो गये वे कार्यकर्ता जन थे। यानी सारे देश भर में एक प्रकार की जागृति पैदा हुई थी। नेता-जनता का भेद उतना न था। लेकिन सन् 1930 के आन्दोलन में शहरो में से लोग सामने आये। वे शुद्ध कर्त्तव्य और त्याग के नाते नहीं उठे थे, बल्कि एक वृत्ति होती है सब तरह के सार्वजनिक कामों में आगे दिखने की। वह वृत्ति उभर चली थी। सन् 1930 के आन्दोलन में इस ढंग के लोग ज्यादा थे। सन् 1920 में भावनाशील अधिक थे।'

—'सन् 1930 के आन्दोलन में, जो कि जन-आन्दोलन था, ज्यादा आम लोग ही शामिल थे, जो कि निचले तबकों के थे जैसे कि किसान, या शहर के मजदूर और छोटे काम करने वाले, या बड़े लोगों को भी ज्यादा 'पार्टिसिपेशन' था?'

—'हां, सन् 1920 और 1930 के आन्दोलन में यह अन्तर कहा जा सकता है। सन् 1920 के आन्दोलन में जन-वर्ग और नेतृ-वर्ग, इनमें विशेष अन्तर नहीं बना था, लेकिन 1930 के आन्दोलन में नेतृ-वर्ग आगे आने वाला प्रमुख वर्ग अलग दीखता था और जन-वर्ग कुछ थोड़ा अलग था। सन् 1920 से सन् '30 में अपेक्षाकृत यह भेद अधिक था। क्लॉसिज ए, बी, सी सन् 1920 के आन्दोलन में लगभग नहीं थी, इससे बड़े-छोटे में एक तरह का आपसीपन रहता था। ए, बी, सी क्लॉसिज सन् 1930 के आन्दोलन में पैदा हुईं और इमने थोड़ा-सा इस आन्दोलन पर भी प्रभाव डाला। अन्तर बढ़ता गया लगातार। नेतृ-वर्ग एक हो गया और जन वर्ग अर्थात् मिपाही अलग-भा छूटा रह गया। यह कम-बढ़ की भावना

थोड़ी पैदा हुई।'

—'जेलों में सरकार ने जो वर्गीकरण किया, अर्थात् जो पढ़-लिखे और प्रतिष्ठित लोग थे, उनको एक वर्ग में और दूसरों को दूसरे वर्ग में, इससे क्या आप ऐसा मानते हैं कि उसने जो आगे आने वाले जन-आन्दोलन थे उनको कुछ हद तक कमजोर किया और कार्यकर्ता आपस में मिल-जुल नहीं सके?'

—'हां, मैं मानता हूँ कि इससे नुकसान हुआ, आन्दोलनों में ढील आई, लोगों में फर्क आया। मैं अपनी ही बात कहता हूँ। यह शायद सन् 1930 की बात नहीं, सन् 1932 के आन्दोलन की बात है। मेरा 'केस' अगली तारीख को था। उससे पहले एक दिन एक अधिकारी कांग्रेस नेता का 'केस' था। मैंने उनसे पूछा कि आपके 'केस' में कुछ 'बलास' की चर्चा आई थी? उन्होंने कहा, 'हां, पूछा था कि आपकी आमदनी क्या है?' तब मैंने पूछा, 'आपने क्या उत्तर दिया?' उन्होंने कहा कि मैंने बताया, 'जितना एक आई० सी० एस० का वेतन होता है वह मेरा एक मास का खर्च है।' सुनकर मन को बहुत धक्का लगा। मैंने सोचा कि अगर हमारे नेता खर्च के बारे में गर्व के साथ इस प्रकार की बात कह सकते हैं कि आई० सी० एस० की तनखाह क्या चीज है, उतना मेरा खर्च है; तो यह तो आन्दोलन की कमजोरी हुई! अगले दिन मेरा 'केस' था। 'केस ट्राई' करने वाला मैजिस्ट्रेट अंग्रेज था। इसलिए अंग्रेजी में ही बातचीत हुई थी। अन्त में उन्होंने पूछा : 'आप कहां वकालत करते हैं, दिल्ली में?' मुझमें गुस्ता था, कहा, 'आप क्या कह रहे हैं, वकालत? वकालत से मेरा क्या ताल्लुक है?' कहने लगे, 'फिर आप कहीं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होंगे?' मैंने कहा, 'क्या आप मेरा मजाक उड़ाना चाहते हैं? मैं मैट्रिक तक पढा आदमी हूँ। वकालत और प्रोफेसरी की बात आप क्या करते हैं?' कहने लगे, 'तो-तो' और वे उलझन में दिखे। मैंने कहा, 'साहब, क्या आप मेरी आमदनी पूछते हैं? मेरी आमदनी का कुछ ठीक ठिकाना नहीं है। यानी 'इट इज मीगर इनफ, एण्ड एट दि टोप आफ इट, इट 'स क्वाइट प्रिकेरियस।' अब वे मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे, 'देन आई कैन नाट गिव यू ए बलास?' मैंने कहा, 'यू कैन नाट गिव मी इवन बी? यू आर जस्ट नाट एन्टाइटल्ड टु गिव मी इवन बी बलास?' यानी मुझे चिढ़ थी पिछले दिन की बात की। जब मैं लौटकर आया तो भालूम हुआ कि मुझको 'बी बलास' दिया गया है। मैंने 'प्रोटेस्ट' करना चाहा, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा मुझे जबरदस्ती उस बैरक से हटा दिया गया। यह तो मन की कमजोरी है कि अपने को विशिष्ट ऊंचा बताया या दिखाया जाये। यह कमजोरी व्याप्त हो रही थी। कई लोग भी ऐसे जानता हूँ जिनकी 'सी बलास' मिली क्योंकि वे इतने जाने-माने आदमी नहीं थे। लेकिन उन्होंने अपने 'इनकम टैक्स' के 'सर्टिफिकेट' वगैरह 'कोर्ट' में पेश किये कि हम पैसे वाले आदमी हैं। अगर यह बात आ



तो जिस आन्दोलन में अपने आत्मोत्सर्ग की बात है, बलिदान की बात है, साधारण से साधारण जनता से एकीभाव में मिल जाने की बात है, उस आन्दोलन की रीढ़ कच्ची तो रह ही जायेगी। और यह हुआ। लेकिन गांधी का प्रभाव गहरा था और पूरा राष्ट्र एक उत्सर्ग और बलिदान के भाव से उबल पड़ा था।

—“क्या आप इससे यह अन्दाजा लगा सकते हैं कि जो सन् 1920 का आन्दोलन था उसका नैतिक स्तर सन् 1930 के आन्दोलन से काफी ऊँचा था यद्यपि ‘भास पार्टिसिपेशन’ के मुकते निगाह से चाहे वह कुछ कम रहा हो?”

—“हां, मैं तो ऐसा कहूंगा। किन्तु नैतिक शब्द जरा विवादपूर्ण भी हो जाता है। कारण, मैं मानता हूँ कि अहिंसा के फलितार्थ का उस समय भी पूरा बोध नहीं था। इसलिए चरित्रबल उसे कहिए, नैतिक बल न कहिए। क्योंकि चोरी-चौरा कांड हो गया। सन् 1930 में ऐसी किसी चोरी-चौरा के होने की बात नहीं थी। इसलिए चरित्रबल तो शायद कह दिया जाये, अहिंसक शब्द थोड़ा विवाद-ग्रस्त हो सकता है।”

‘जैनेन्द्र जी, जब आप राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने लगे तो आपकी साहित्य की तरफ रुचि कैसे हुई?’

— ‘मैं जो राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने लगा, वह किसी अपनी विशेष प्रेरणा या रुचि-विवेक के कारण नहीं, संयोग ऐसा हुआ कि महात्मा भगवानदीन जी मेरे सम्बन्धी थे और मध्य प्रान्त के आन्दोलन में एक प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में उनको जेल जाना पड़ा। इस कारण मेरा राष्ट्रीय क्षेत्र से सम्पर्क हुआ। अन्यथा मैं यह अनुभव करता था कि राजनीति के लिए जितना दवंगपना आवश्यक है, वह मुझमें नहीं है। मैं बहुत चुप-चुपाना, राकोची ढंग का आदमी था। मुझे लगता है कि मेरा ही प्रश्न होता तो शायद मैं इस क्षेत्र में न आता। चूंकि मैं राकोची, दब्लू-भा आदमी था इसलिए भी शायद मेरा मन खुलकर सफलता के क्षेत्र की ओर नहीं जा सका, या उस सम्बन्ध में नहीं सोच सका। कुछ अन्दर ही अन्दर घुमड़ता रहता था और प्रवल-कर्म में फूट नहीं पाता था। इससे हो सकता है कि आन्तरिकता साधन बनी हो और शब्द में प्रगट होने पर मैं साहित्यिक-समझ लिया गया हूँ।

‘सन् 1922 में मैं नागपुर में था और वहां फिर मध्य प्रदेश में, मैंने कांग्रेस के कार्य में योग दिया। यही में गया कांग्रेस में प्रतिनिधि बनकर गया। इन सम्पर्कों के कारण सन् 1923 में मुझे भण्डा मत्याग्रह में शामिल होना पड़ा। उसके बाद, भण्डा मत्याग्रह था जब अन्त हुआ तो दिल्ली में कांग्रेस का ‘स्वयंसेवा संगठन’ हुआ। उसके बाद बाकीनादा कांग्रेस हुई थी, त्रिगये मौजाना मुहम्मद अली अध्यक्ष थे।

उस समय प्रश्न गर्म था कि कौंसिल प्रवेश खुले या निषिद्ध ही रहे। यह कांटे का प्रश्न बना और उस पर कांग्रेस में भेद भी पड़ गया। काकीनाडा कांग्रेस में यह अपने उत्तरुप पर था। तो इस रासर्ग में मैं राजनीति के क्षेत्र में कहिए, विवश और अनायास भाव से आ गया। गुण-कर्म-स्वभाव से मैं शायद उसके योग्य नहीं था। राजनीति का पहला ही एक सट्टा अनुभव जैसे जीवन भर के लिए मुझे काफी हुआ।

—‘उस वक़्त जो ‘कौंसिल एट्री’ का सवाल पंदा हुआ, उसमें महात्मा भगवानदीन की क्या राय थी और वे किस पक्ष में थे?’

—‘महात्मा भगवानदीन और पंडित सुन्दरलाल—इन दोनों की लगभग अभिन्न जोड़ी थी और ये दोनों ही कौंसिल प्रवेश के कट्टर विरोध में थे। जिसको ‘नो-वेंजर’ कहते थे उन दिनों में दोनों ही उस ग्रुप में थे और बहुत सख्ती और कट्टरपन के साथ।

—‘आप 1930 में कैद हुए। 1930 के आन्दोलन के बारे में ऐसा अफसर कहा जाता है कि जो हिन्दुस्तानी अफसर थे वे इस आन्दोलन के प्रति कुछ सद्भावना रखते थे और इस कारण से जब कभी वारंट ‘इश्यू’ हो जाते थे तो लोगों को गिरफ्तार करने में देर कर देते थे और किसी प्रकार की सुविधाएँ लोगों को दे देते थे; आपकी इस बारे में क्या राय है?’

—‘यह बात सही है कि अधिकांश हिन्दुस्तानी अफसर मन ही मन सद्भावना और सहानुभूति भी रखते थे। लेकिन मैंने आपको कहा कि सन् 1920 के आन्दोलन में शायद चरित्रबल था और 1930 के आन्दोलन की अपेक्षा दृढ़ता विशेष थी। उसका उदाहरण मैं दे सकता हूँ। नागपुर झण्डा सत्याग्रह के सम्बन्ध में जब मेरे नाम सम्मन आया, गिरफ्तारी कहिए, तो उसी पर मैंने लिख दिया कि यदि आपत्ति न हो तो सम्मन में लिखे समय के बजाय अमुक समय में उपस्थित हो सकूंगा। मैजिस्ट्रेट अग्नेज मि० स्लेनी थे। यह मैंने लिख दिया और नागपुर से वर्धा चला गया। किसी तरह की कोई कानूनी कार्यवाही मेरे खिलाफ नहीं की गई। लिखा था उसके हिसाब से मैं तीन बजे निश्चित दिन जा पहुंचा और मि० स्लेनी ने अभिवादनपूर्वक मेरा स्वागत किया। मजा तो भुझे दी। लेकिन ‘एक्यूज्ड’ और ‘मैजिस्ट्रेट’ के बीच इंसानी रिश्ता बन सका। गुलजिम के प्रति न्यायाधीश का इस तरह का व्यवहार क्या सम्भव हो सकता है? पर सम्भव हुआ, यहाँ तक कि अभियुक्त अपनी उपस्थिति का समय स्वयं नियत करता है और बावजूद इसके कि यह कानून की अवज्ञा है कोई दुष्परिणाम नहीं होता! आप देखें कि वह आफिसर अग्नेज था। हिन्दुस्तानी अफसरों में सन् 1930 के आन्दोलन में अवश्य सद्भाव रहा, सहानुभूति रही अपने सत्याग्रही भाइयों के प्रति। लेकिन

मुझे लगता है कि स्वयं अंग्रेज में उस तरह का जो समझौते का भाव था, एक लिहाज था वह शायद उतना ही नहीं था 'जितना सन् 20 आदि के आन्दोलन में था। कारण, तब चरित्र पर चल था।'

—'अंग्रेज का जो दृष्टिकोण बदला इसके आप क्या कारण समझते हैं ? क्या इसलिए वह बदला कि सन् '30 का आन्दोलन ज्यादा तेज था और वे यह समझ रहे थे कि इससे उनका खतरा पैदा हो सकता है और सन् '20 का आन्दोलन उतना प्रबल नहीं था ?'

'ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि सन् '30 के आन्दोलन के रूप को उन्होंने अधिक राजनीतिक माना, जिसमें चालाकी और चालवाजी बगैरह की भी गुंजाइश हो सकती है। सन्, 20 का आन्दोलन स्पष्टता से भावनात्मक और आदर्शात्मक विशेष था। इसलिए अंग्रेज को शको-सुबह की जरूरत कम मालूम होती थी। विरोध तो जरूर करते थे, जुल्म भी करते थे, लेकिन शक कम और भरोसा अधिक था। सन्, 30 के आन्दोलन में मुझे लगता है कि वह बात नहीं रही, उनको शक हो गया कि ये चालवाजी से भी काम ले सकते हैं। मुझे अपनी याद है सन्, 30 के आन्दोलन की। एक गांधी विचारधारा में पगे भाई ने कहा, 'देखो यह झण्डा लो और इसको जेब में रखो। यह डंडी है, इसे इस तरह से लेकर जाओ जैसे कि तुमको छड़ी रखने की आदत है। इस डंडी को झण्डे पर चढ़ाना घटाघर पहुंचकर। वहाँ सत्याग्रह करना है।' मैंने कहा कि डंडे को छिपाकर ले जाना पड़ेगा ? तो कहने लगे, 'हां-हां' सत्याग्रह तो उस जगह पर पहुंचकर करना है।' सन् 1930 में यह बात हुई। मुझे लगता है कि सन् '20 में यह होशियारी शायद किसी को नहीं सूझती। नागपुर में झण्डा सत्याग्रह हुआ। उस वक्त इस तरह की बात किसी के मन में नहीं आती कि वहां तक छिपकर ले जाना है और इसउस तरह से करना है। ऐसा मालूम होता था तब कि विद्रोह है तो खुला है, खुली अवज्ञा है। इस तरह मुझे लगता है कि दोनों स्थितियों में तनिक अन्तर था।'

—'अगर गांधीजी का अभय का विचार लोगों में अच्छी तरह से फैल जाता जो सन् '20 के आन्दोलन का मूल सूत्र था तो सन् '30 का आन्दोलन और मजबूत होता परन्तु वह नहीं हुआ। इसके क्या कारण थे ?'

—'यह जो आपने 'अगर' की बात कही, यह बहुत बड़ा अगर है। राजनीतिक आजादी हासिल करने की आतुरता भी इसमें कारण हो सकती है। नीति-अनीति क्या होती है ? यह सब 'क्या झमेला है ? आजादी हमकी लेती है कि नहीं ? लड़ाई आजादी की है न ? तो क्या इन छोटी-मोटी बातों पर बटक कर रह आया जाय ? सचमुच आगे चलकर गांधी के सिद्धान्तों के फलित

क्या है, चरितार्थ क्या है, उस सम्बन्ध में उतनी सावधानी नहीं रही। जैसे आन्दोलन की क्षमता बढ़ी, साधन शुद्धि का ध्यान कम होता गया। और तो और, तन् 42 के आन्दोलन को आप लीजिए। सबसे बड़े और प्रामाणिक गांधी-वाद के, गांधी विचारधारा के व्याख्याता मशरूवाला माने जाते हैं। गांधी जी तो जेल में थे। मशरूवाला ने तोड़-फोड़, रेल गिराना, पटरी उखाड़ना, इन सबका उन्हीं के पत्र के सम्पादकीय में समर्थन कर डाला। अब मशरूवाला जैसा व्यक्ति भी अहिंसा के गर्भित अर्थ क्या है, उसकी चरितार्थता क्या है, इस सम्बन्ध में चूक कर सकता है, तो साधारण आदमियों से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? मशरूवाला के मन में कोई किसी प्रकार की आसक्ति नहीं थी, लोभ नहीं था। वे सत्ता नहीं चाहते थे। वे तो शुद्ध तत्व-विचार के व्यक्ति थे। लेकिन फिर भी वे अहिंसा को समझने में चूक कर गये। गांधी जी को जब मालूम हुआ तो उन्होंने उसका खण्डन किया और मशरूवाला से पूछा कि यह क्या? तो मशरूवाला ने माना कि हो, उनके समझने में गलती हुई। आपने जो 'अगर' कहा है, वह बहुत बड़ा अगर है। मैं मानता हूँ कि अगर देश जितनी एक व्यापक इकाई पर अहिंसा का प्रयोग किया जायेगा, तो उसमें इस तरह की त्रुटियां होना तो थोड़ा सम्भव रहेगा ही।'

### गांधी इविन पैक्ट

—'1930 के आन्दोलन के बाद जो 'गांधी-इविन पैक्ट' हुआ, उसको कांग्रेस के तरुण दल ने पसन्द नहीं किया, जिसके नेता जवाहरलाल और सुभाष बाबू थे। क्या आपके विचार में इतने बड़े जन-आन्दोलन का यह जो अन्त हुआ, क्या यह राजनीतिक दृष्टिकोण से सही था?'

—'उन्होंने 'गांधी-इविन पैक्ट' को मूलतः नहीं माना, या नहीं मानना चाहा, ऐसी तो मेरी धारणा नहीं है। मैं मानता हूँ कि 'गांधी-इविन पैक्ट' की कुछ बातें ऐसी थीं, जिनसे उनकी असंतोष था। लेकिन कुल मिलाकर ये सोग, नेहरू वर्ग-रह, जड़ में ही 'गांधी-इविन पैक्ट' के खिलाफ थे, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन आप जानते हैं कि 'गांधी-इविन पैक्ट' के बाद कराची में कांग्रेस हुई थी और वहाँ पर गांधी जी को काले ऋण्डे दिखाये गये थे, काले फूल पेश किये गये थे। हाँ, एक वर्ग या जो पैक्ट के तो इतना विरुद्ध था नहीं, जितना कि 'पैक्ट' में भगत सिंह को छुड़ाने की शर्त न रहे जाने पर क्रुद्ध था। इन लोगों की धारणा थी कि 'पैक्ट' में एक शर्त भगत सिंह को फाँसी से छुड़ाने की लाजमी होनी चाहिए थी। वह शर्त उभमें नहीं थी, इस पर लोगों में ध्यारक और गहरा असंतोष था। यह माना जा सकता है, लेकिन जवाहरलाल जी उसके मूलतः विरोध में थे, ऐसी तो मेरी धारणा नहीं है।'

—'मैं आपसे पूछ रहा था कि इतने बड़े जन-आन्दोलन का अन्त जिस 'गांधी इविन पैक्ट' में हुआ, उसकी जो शर्तें थीं व कहां तक राष्ट्रीय हित में थी और 1930 के आन्दोलन के जो मूल लक्ष्य थे, वे कहां तक पूरे हुए, इसके बारे में आपकी क्या राय है ?'

—'हमें याद रखना होगा कि गांधी राजनीति से अधिक धर्म-नीति के पुरुष थे। उनकी युद्ध-नीति को समझने के लिए यह स्मृति बहुत आवश्यक है। लड़ाई अवश्य स्वराज्य की थी। पर सत्याग्रह, सन् '30 का नमक कानून की अनैतिकता के मुद्दे पर केन्द्रित था। लोगों को अचरज था कि स्वराज्य जैसे बड़े प्रयोजन के बीच इस नमक के मुद्दे की क्या हैसियत है ? पर गांधी के दांडी-कूच ने देश भर में अद्भुत जान फूंक डाली। राज्य सत्ता के विरोध में एक सामान्य आदमी के अधिकार की उससे प्रतिष्ठा हुई। राष्ट्र से भी अधिक मानव-अधिकार का प्रतीक बना वह आन्दोलन। अर्थात् राजनीति के ऊपर मानव-नीति की उसने जय साधी। 'गांधी-इविन संधि' में से यह फल मिलता हमें प्रत्यक्ष नहीं होता है, इसीलिए आपका सवाल है। इसलिए वह फल अपर्याप्त-सा प्रतीत हो सकता है। पर मैं मानता हूं कि उसमें एक गहरी और बुनियादी विजय गभित है।'

'देश का मानस भगत सिंह आदि क्रांतिकारियों को लेकर उस समय बहुत उद्विग्न और उद्दीप्त था। सधि-पत्र में गांधी ने उस तक की चिन्ता और रक्षा नहीं की और उन देश भक्तों को फांसी लग जाने दी। इस पर सच ही देश बहुत क्षुब्ध था। पर गांधी ने उन क्रांतिकारियों को फांसी के दंड से बचाने का प्रयत्न भरपूर किया। सिर्फ संधि की एक शर्त के तौर से उस पर नहीं अड़ सके। क्या उनकी इस असमर्थता में भी आप एक गहरा सत् सिद्धान्त नहीं देख सकते हैं ? क्या आप राज्य को बदलने या पलटने के उपाय के रूप में राजनीतिक हत्या का समर्थन कर सकेंगे ? क्या यह आवश्यक नहीं माना जायेगा कि समाज में परस्पर हिंसा का अधिकार सर्वथा निषिद्ध और अवैध रहे, और केवल वैध रूप में उस प्रकार के दमन या दंड का अधिकार राज्य के पास ही सुरक्षित रहे ? इसको अमान्य करना समूची सभ्यता के विरुद्ध जाना ही जायेगा।

'गांधी-इविन समझौता चाहे अब ठंडा-मा प्रतीत हो सकता हो, पर वह आन्दोलन था, और उसमें पाई गयी विजय थी, जिसने हिन्द-स्वराज्य को दूर से पास किया और जिसने विदेशी साम्राज्य की नींव को ढीला कर दिया।

'एक ओर बात ध्यान देने की है। गांधी का मानना था कि आन्दोलन की जीत में भी उसके मूल मुद्दों को फँलाना अनैतिक होगा। यह प्रतिपक्ष की कमजोरी का साध उठाना हो जायेगा। राजनीति में इस चतुराई का जितना भी चलन हो,

गांधी-नीति में इसका अवकाश किंचित् भी नहीं है।'

जैनेन्द्र जी, जेल से छूटने के बाद जब आप दूसरी बार सन् 1932 में जेल गये, इस दौरान में आपका राजनीति में कौन-सा क्षेत्र रहा ?'

—'सन् 1930 के आन्दोलन के बाद स्थितियां कुछ थोड़ी उलझ गयी थी। कारण, नौजवान भारत सेना के नाम से पंजाब में एक आन्दोलन चला और वे युवजन गांधी जी के शान्तिमय आन्दोलन की प्रकृति एवं प्रवृत्ति से संतुष्ट नहीं थे। समझौता हुआ 'गांधी-इविन पैक्ट'। लेकिन उससे वे लोग बहुत असंतुष्ट थे। यहां तक कि कराची कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी को काले भण्डे दिखाये गये। और भी कांग्रेस में कुछ तत्व थे जो उससे संतुष्ट नहीं थे।'

### राऊण्ड टेबिल कांफ्रेंस सन् '30

बाद में गांधी जी जब 'राऊण्ड टेबिल कांफ्रेंस' में गये और लौटे, तब तक फिर एक संधर्ष उपस्थित हो गया था। संयुक्त प्रदेश में उस समय वहां किसानों के प्रश्न को लेकर जवाहरलाल जी खड़े हुए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गांधीजी लौटकर बम्बई में उतरे तो उनको यह समाचार मिला। उनके लिए तब दूसरा रास्ता था ही नहीं। और फिर युद्ध छेड़ देना पड़ा। जहां तक मेरा प्रश्न है, मेरे साथ एक अजीब घटना हुई। सन् 1930 में नमक सत्याग्रह के लिये यहां अभियान आरम्भ हुआ तो उसमें पहला जत्था बना सत्याग्रह करने के लिए। और उसका नेता मुझे बना दिया गया। मैं तो कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता था नहीं। इसलिए यह अपना अधिकार नहीं मानता था। कह दिया कि जत्थे में एक सामान्य स्वयं सेवक तो रह सकता हूं, लेकिन उमका नेता बनने का मेरा अधिकार नहीं है, कोई जनता के समक्ष जाने-माने व्यक्ति का ही यह अधिकार हो सकता है। तत्कालीन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नीति शापद यह थी कि युद्ध लम्बा चलेगा, इसलिए प्रमुख तत्वों को पीछे से काम करना चाहिये, समक्ष आने को नये स्वयंसेवक इत्यादि रहें। ऐसी मान्यता मेरी नहीं थी। मैं समझता हू कि अहिंसक युद्ध तो श्रद्धा के आधार पर चलता है। हम पीछे रहेंगे और ऐसे उमे सफल बनायेंगे, यह मानकर दूररे तो चलाये जा सकते हैं, अहिंसक युद्ध नहीं चलाया जा सकता। उसमें तो नेता को मामने और पहले होना चाहिये। अतः मैं पद स्वीकार नहीं कर सका। मैंने कहा कि किसी प्रकार की बाधा मैं पैदा नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मुझे आप अलग हो जाने दें। तो मैं तिवर में चला आया। कार्यकर्तागण मेरे साथ थे। उन पर यह प्रभाव पड़ा कि नेता लोग अपने को पीछे रखना चाहते हैं, युद्ध में मामने नहीं आना चाहते हैं। उस समय एक आन्दोलन नौजवान भारत सेना का चलता। एक छापी ने कहा कि कुछ बगुनों की सभा हो रही है, मुझे उममें आना है।

मुझे उगवा कोई पता न था। हुआ यह कि नौजवान सेना बनी और पाया कि मैं प्रधान हूँ।

‘मन् 1930 के आन्दोलन में लौटने के बाद पब्लिसि में कराधी गया था और घोड़ा-बटुन राजनीतिक गतिविधियों की दिशा में अपने को अवगत भी रखा था, लेकिन मन् 1932 का जब आन्दोलन आया तो मैं किसी प्रकार के राजनीतिक दम का सामान्य महसूस भी नहीं था। मेरी इतर गति नहीं थी। हिन्दु जब आन्दोलन आरम्भ हुआ तभी प्रेमचन्द की पिछ्ठी भागी, तार भाये दो कि हमारे विरोधात् के सिधे सुगन्ध और आरम्भक रचना भेजो। लेकिन देखा, मैं निगम नहीं था रहा हूँ, पाठना हूँ तो भी नहीं। मुझे दम बेवगी का रज रहा था। दो-तीन सौ से ही जब उनका एक दूसरा तार आया और मैं नहीं लिख सका तो अगले में कागज का टुकड़ा लिया और उस पर एक पत्रि पत्रिग इन्ट विद्यावाचस्पति की पमीट भेजी। वे तब यहाँ की कांग्रेस के प्रधान थे। लिख दिया कि आर स्वयंसेवकों की सूची में मेरा नाम डरें कर दें, समुक्त निधि में आरही छात्रा पर हूँ। दम यह निगना था कि देगा, अब मन में किसी तरह का डर नहीं है। तभी तब नरानी भी निगम गयी और प्रेमचन्द जी को भेज दी गयी। तो मेरे मन में घोड़ी-बटुन उपभवन धारण रही होती कि इतर लो लोव उपभवन के मार्ग पर जा रहे हैं, देग में उपन-गुपन हो रही है, गुप विगना निर बँडे हो। इती तरह की दुविधा रही होती किमे रचना लाकर न हूँ। इन्ट जी को पत्र लिखने के दो ही सौद बाद मेरे पत्र यहाँ के कुछ उच्च पब्लिसि आर और उचित मुझे पत्रिग जी के हाथ का लिखा पत्र दिया। आरम्भ था कि मुझको यहाँ का ‘विद्योत्तर’ बनना था। उस मुझ का। तब इन्ट विद्योत्तर पत्रिग का मार्ग-कार हुआ था। मुझको बहुत विभव हुआ, बहुत मुझ भी का-पुत्र हुआ। बहुत कि दो-तीन सौ सौद की सूची में का-पुत्रिग का। बहुत विभव-पत्र बनने की सन्द-बान गयी थी। मेरी यह पत्रिग गयी है। तब तक वह समय नरबही है। तब उर लो लो लो देकर बहुत विभव-पत्रिग बन रहे हैं और मुझको उरर रही तब का-पुत्रिग गयी है। ही-पत्रिग जी का विभव यहाँ कि मुझे का-पुत्रिग बनने में पत्र लिख गयी, वा-पत्रिग

तैयार हैं ना ? एक-एक से पूछा। आसफ अली साहब से पूछा, देशबन्धु जी से भी पूछा और-और लोगो से भी। तो मुझे लगा कि शायद मैं गलती कर रहा हूं, क्योंकि उन लोगो की कार्यपद्धति एक 'शंडो कॅबिनेट' बनाकर पीछे से मुहिम चलाने की थी। लेकिन मैंने कहा कि हमारे नगर के मानस पर जब तक कोई अच्छा परिचित व्यक्ति जो बहुत दिनों से नगर का नेतृत्व और उसकी सेवा करता रहा हो और नगर उनको पहचानता हो, ऐसा व्यक्ति सामने न आयेगा और अपनी कुर्बानी नहीं देगा, जेल नहीं जायेगा, तब तक जन-मानस पर सही प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए एक प्रमुख मोर्चा हमको बनाना चाहिये। छोटे-मोटे प्रदर्शन से नहीं चलेगा। इस तरह कार्यक्रम निश्चित हुआ कि कम-से-कम सौ सेवक उस रोज नगर के घण्टाघर पर गिरफ्तार होंगे। उनमें अमुक-अमुक तीन जाने-माने व्यक्ति होंगे। साथ मुझ 'डिक्टेटर' को तो होना ही है। कार्यक्रम सारा बन गया। लेकिन जब एन वक्त पर यह कल्पना थी कि इधर से एक जत्था आयेगा इतने लोगों का अमुक के नेतृत्व में, उधर से दूसरे व्यक्तियों का अमुक नेता के साथ और उस दिशा से तीसरे नेता अपनी टुकड़ी लायेंगे। पर वैसे कुछ भी हुआ नहीं। मेरे पास एक दिन पूर्व कतिपय विदेशी सम्वाददाता आये थे और कार्यक्रम जानना चाहते थे। पहले तो मैंने उनसे कहा कि जनाब आप क्या कीजियेगा ? लोग आयेंगे, लाठियां चलेंगी, लोगों के सिर फूटेंगे। यही देखने में आप दिलचस्पी रखते हैं, उसी को देखना है ना ? और इसमें से आपका संवाद बनेगा। मैंने ध्यंग्यपूर्वक कहा था। और उस पर वे खिन्न दीखे थे और खिन्न मैं भी हुआ था। पर अगले दिन घण्टाघर पर होने वाली प्रमुख मुठभेड़ का कार्यक्रम उन्हें बता दिया था। पर समय पर वैसे कुछ भी न हुआ। तीनों नेताओं में से वहां एक भी आविर्भूत न हुए, न उनकी टुकड़ियां। आखिर मैं ही जितना मेरे पास स्वयंसेवकों का जत्था था, उसको लेकर आगे बढ़ा और जैसा सविनय अवज्ञा का तरीका था, झण्डा ऊंचा करके और कुछ बोलकर मैं गिरफ्तार हो गया। यह सन् 1932 के सत्याग्रह की गिरफ्तारी थी। खैर, जेल हुई और वहां मेरे मन पर और भी यह बात प्रत्यक्ष होती गयी। जेल में अपने सत्याग्रही भाइयों के तौर-तरीकों से मेरे मन पर छाप पड़ी कि गांधी जी के आन्दोलन को, गांधी जी के मार्ग को, कांग्रेस अपनाती तो है लेकिन उसकी श्रद्धा, मान्यता तदनुसार नहीं है। आगे जाकर हो सकता है कि ये दो सर्वथा अलग-अलग मार्ग हो जायें। एक, जिसमें नैतिकता प्रधान हो; दूसरा, जिसमें राजनीतिक आकांक्षा प्रमुख हो। ऐसा मेरे मन में घटित हुआ। तब से, सन् 1932 के बाद फिर मैं किसी भी सक्रिय आन्दोलन में गया नहीं।'







### इन्द्र विद्यावाचस्पति के संस्मरण

— 'जैसा अभी आपने कहा कि दिल्ली के जो दूसरे नेतागण थे, आसफ अली और डा० अंसारी वगैरह ये खुद जेल में उस समय नहीं जाना चाहते थे तो डा० अंसारी के बारे में ऐसा क्या था ?'

— 'डा० अंसारी मैंने नहीं कहा ! मैंने देशबन्धु गुप्त कहा ।'

— 'तो ये लोग सिर्फ एक 'टैंडिक्स' की वजह से नहीं जाना चाहते थे, या कुछ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में दलबन्दी के कारण ?'

— 'दलबन्दी के सम्बन्ध में मेरा विशेष कुछ गहरा परिचय था नहीं। इस लिये मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मेरी धारणा है कि युद्ध चलाने की उनकी अपनी जो कल्पना थी वह थी कि पीछे अगर कुछ जिम्मेदार लोग सम्भालने वाले रहेंगे तो देर तक युद्ध चलाया जा सकेगा, धन और जन-संग्रह का काम ठीक से चलता रह सकेगा, इसमें निरन्तरता रहेगी। ऐसी धारणा रही होगी। अपने को बचाने की बात तो शायद इतनी नहीं होगी। इस दृष्टि में डा० अंसारी को मैं शामिल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि डा० अंसारी का स्थान दिल्ली की प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी से कुछ ऊपर था। वे प्रदेश की राजनीति में उतने नहीं थे। देश की राजनीति में हा, थोड़ा-बहुत मतभेद था। पर वह अलग बात है। पंडित इन्द्र विद्या वाचस्पति गिरफ्तार हुए, यह सन् 1932 की बात मैं कह रहा हूँ, तो जेल में साथ ही थे। दिल्ली जेल में उन्होंने जो अपनी कहानी सुनाई उससे मेरे मन को कुछ अच्छा नहीं लगा था। वे जेल में गये तो थे, लेकिन बतला रहे थे कि किम प्रकार की विवशता थी। वे यद्यपि अध्यक्ष थे, पर जेल जो गये, विवशता के नाते गये, किसी हताशा में गये। प्रसन्नता या उत्साह की प्रेरणा नहीं थी।'

— 'जेल में पंडित जी इन्द्र विद्या वाचस्पति से जो बात हुई थी, उसको जरा तफसील में आप बताइये ?'

— 'मैं समझता हूँ ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यही कहा कि जिन हालातों में मुझे सत्याग्रह करना पड़ा जत्थे के साथ, मेरी अभी वह कल्पना नहीं थी। लेकिन मैं विवश हो गया। कांग्रेस का पद मेरे पास था, लेकिन कांग्रेस की धन-जन शक्ति पर जिनका नियंत्रण था वे दूसरे ही व्यक्ति थे। और एक अनिश्चित प्रकार का खिन्न-भाव उनमें था। और इधर हमारे राजनीतिक सत्याग्रहियों में 'क्लासिज' हो गयी थी।'

— 'उस समय दिल्ली प्रदेश कांग्रेस में जैसे अभी आपने कहा कि इन्द्र जी ने कहा कि जो सत्ता है वह किन्हीं और लोगों के हाथ में है तो इन्द्र जी का इशारा देशबन्धु गुप्त की तरफ तो नहीं था ?'

— 'हां, माना जा सकता है, लेकिन नेता और भी थे। यहां से फिर हम

लोग मुलतान जेल में भेजे गये थे। और मुलतान जेल में आसफ़ साहेब तो नहीं आये लेकिन इन्द्र जी गये ही थे। देशबन्धु जी भी मुलतान में थे और उन्हें 'ए ब्लास' दी गयी थी। मैं पंडित जी से जिन्न करता तो साफ़ दीख आता कि उनके मन में बड़ा क्षोभ-सा रहता था इस ए-बी ब्लास की बात को लेकर। यह सम्भव हो सकता है, बल्कि शायद सही होगा कि सूत्र, संचालन के ओर सत्ता के, जहाँ तक कि दिल्ली की कांग्रेस की राजनीति का सम्बन्ध था, देशबन्धु जी के हाथ में विशेष थे।

—'तो इन लोगों के आपस में प्रदेशीय कांग्रेस कमेटी के अन्दर जो फर्क थे वे ज्यादा आदर्शों पर निर्धारित थे या व्यक्तिगत थे?'

—'आदर्शों का तो मैं समझता हूँ विशेष प्रश्न था नहीं। कांग्रेस की नीति एक थी और इन दोनों की, देशबन्धु जी और इन्द्र जी की पृष्ठ-भूमि आर्य समाज की थी। इसलिए कोई विशेष आदर्शों का या नीतियों का भेद तो मैं नहीं मानता हूँ। व्यक्तित्व में विविध तत्व रहते ही हैं। उनमें स्पर्धा देखी जाती है। व्यक्तित्व का प्रश्न ही अधिकांश कहिए। थोड़ा-बहुत यह प्रति-योगिता का भाव भीतर रह ही जाता है।'

—'सन् 1932 के आन्दोलन की ओर पिछले आन्दोलनों की बनिस्बत क्या कोई नये लोभ, नवयुवक आदि आकर्षित हुए या नहीं?'

—'मुझे लगता है कि सन् 1930 और सन् 1932 के आन्दोलनों के स्तर में कुछ अन्तर था। जो उत्कटता, प्रखरता थी सन् 1930 में, और जो आकर्षण था नवयुवकों के लिए, सन् 1932 में मैं मानता हूँ कि शायद उतना नहीं था। सन् 1932 के बाद जो एक 'वीरिगड' आया, एक ढलाव आया सारे आन्दोलन में, वह लगभग इस बात को सिद्ध कर सकता है कि हम जिस उत्कर्ष-बिन्दु पर पहुँचे थे सन् 1930 में, तो उसके बाद वह 'ग्राफ' कुछ नीचे की ओर सरक चला था।'

### गांधी जी और भगत सिंह की फांसी

—'इसका कारण क्या हो सकता है? यह हो सकता है कि गांधी जी भगत सिंह को फांसी से मुक्त नहीं करवा सके इसलिए जो नवयुवक थे वे गांधी जी से क्षुब्ध थे और इस आन्दोलन में नहीं आना चाहते थे और दूसरी तरफ जा रहे हों, या इसका और कोई कारण था?'

—'यह तो कारण नहीं रहा होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। हम लोग गांधी जी का जो उग्र मोर्चा का रूप था, जिससे सैकड़ों जोश से भर आते थे, उसमें तो हम विश्वास करते थे। लेकिन उनका जो बुनियादी सात्विक रूप था उसका वह भाव था कि उनके

## इन्द्र विद्यावाचस्पति के संस्मरण

—'जैसा अभी आपने कहा कि दिल्ली के जो दूसरे नेतागण थे, भासफ अली और डा० अंसारी वगैरह ये खुद जेल में उस समय नहीं जाना चाहते थे तो डा० अंसारी के बारे में ऐसा क्या था ?'

—'डा० अंसारी मैंने नहीं कहा। मैंने देशबन्धु गुप्त कहा।'

—'तो ये लोग सिर्फ एक 'टैंबिटक्स' की वजह से नहीं जाना चाहते थे, या कुछ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में दलबन्दी के कारण ?'

—'दलबन्दी के सम्बन्ध में मेरा विशेष कुछ गहरा परिचय था नहीं। इस लिये मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मेरी धारणा है कि युद्ध चलाने की उनकी अपनी जो कल्पना थी वह थी कि पीछे अगर कुछ जिम्मेदार लोग सम्भालने वाले रहेंगे तो देर तक युद्ध चलाया जा सकेगा, धन और जन-संग्रह का काम ठीक से चलता रह सकेगा, इसमें निरन्तरता रहेगी। ऐसी धारणा रही होगी। अपने को बचाने की बात तो शायद इतनी नहीं होगी। इस दृष्टि में डा० अंसारी को मैं शामिल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि डा० अंसारी का स्थान दिल्ली की प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी से कुछ ऊपर था। वे प्रदेश की राजनीति में उतने नहीं थे। देश की राजनीति में हाँ, थोड़ा-बहुत मतभेद था। पर वह अलग बात है। पंडित इन्द्र विद्या वाचस्पति गिरफ्तार हुए, यह सन् 1932 की बात मैं कह रहा हूँ, तो जेल में साथ ही थे। दिल्ली जेल में उन्होंने जो अपनी कहानी सुनाई उससे मेरे मन को कुछ अच्छा नहीं लगा था। वे जेल में गये तो थे, लेकिन बतला रहे थे कि किस प्रकार की विवशता थी। वे यद्यपि अध्यक्ष थे, पर जेल में गये, विवशता के नाते गये, किसी हुताशा में गये। प्रसन्नता या उत्साह की प्रेरणा नहीं थी।'

—'जेल में पंडित जी इन्द्र विद्या वाचस्पति से जो बात हुई थी, उसको जरा तफसील में आप बताइये ?'

—'मैं समझता हूँ ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यही कहा कि जिन हालतों में मुझे सत्याग्रह करना पड़ा जत्थे के साथ, मेरी अभी वह कल्पना नहीं थी। लेकिन मैं विवश हो गया। कांग्रेस का पद मेरे पास था, लेकिन कांग्रेस की धन-जन शक्ति पर जिनका नियंत्रण था वे दूसरे ही व्यक्ति थे। और एक अनिश्चित प्रकार का खिन्न-भाव उनमें था। और इधर हमारे राजनीतिक सत्याग्रहियों में 'बलासिज' हो गयी थी।'

—'उस समय दिल्ली प्रदेश कांग्रेस में जैसे अभी आपने कहा कि इन्द्र जी ने कहा कि जो सत्ता है वह किन्हीं और लोगों के हाथ में है तो इन्द्र जी का इशारा देशबन्धु गुप्त की तरफ तो नहीं था ?'

—'हां, माना जा सकता है, लेकिन नेता और भी थे। यहां से फिर हम

लाय मुलतान जल म भज गय थ। आर मुलतान जल में आसफ साहब तो नहीं आये लेकिन इन्द्र जी गये ही थे। देशबन्धु जी भी मुलतान में थे और उन्हें 'ए बलास' दी गयी थी। मैं पंडित जी से जिक्र करता तो साफ दीख आता कि उनके मन में बड़ा धोभ-सा रहता था इस ए-बी बलास की बात को लेकर। यह सम्भव हो सकता है, बल्कि शायद सही होगा कि मूत्र, संचालन के और सत्ता के, जहां तक कि दिल्ली की कांग्रेस की राजनीति का सम्बन्ध था, देशबन्धु जी के हाथ में विशेष थे।'

—'तो इन लोगों के आपस में प्रदेशीय कांग्रेस कमेटी के अन्दर जो फर्क थे वे ज्यादा आदर्शों पर निर्धारित थे या व्यक्तिगत थे?'

—'आदर्शों का तो मैं समझता हूँ विशेष प्रश्न था नहीं। कांग्रेस की नीति एक थी और इन दोनों की, देशबन्धु जी और इन्द्र जी की पृष्ठ-भूमि आर्य समाज की थी। इसलिए कोई विशेष आदर्शों का या नीतियों का भेद तो मैं नहीं मानता हूँ। व्यक्तित्व में विविध तत्व रहते ही हैं। उनमें स्पर्धा देखी जाती है। व्यक्तित्व का प्रश्न ही अधिकांश कहिए। थोड़ा-बहुत यह प्रति-योगिता का भाव भीतर रह ही जाता है।'

—'सन् 1932 के आन्दोलन की ओर पिछले आन्दोलनों की बनिस्बत क्या कोई नये लोग, नवयुवक आदि आकर्षित हुए या नहीं?'

—'मुझे लगता है कि सन् 1930 और सन् 1932 के आन्दोलनों के स्तर में कुछ अन्तर था। जो उत्कटता, प्रखरता थी सन् 1930 में, और जो आकर्षण था नवयुवकों के लिए, सन् 1932 में मैं मानता हूँ कि शायद उतना नहीं था। सन् 1932 के बाद जो एक 'पीरियड' आया, एक ढलाव आया सारे आन्दोलन में, वह लगभग इस बात को सिद्ध कर सकता है कि हम जिस उत्कर्ष-बिन्दु पर पहुंचे थे सन् 1930 में, तो उसके बाद वह 'ग्राफ' कुछ नीचे की ओर सरक चला था।'

### गांधी जी और भगत सिंह की फांसी

—'इसका कारण क्या हो सकता है? यह हो सकता है कि गांधी जी भगत सिंह को फांसी से मुक्त नहीं करवा सके इसलिए जो नवयुवक थे वे गांधी जी से क्षुब्ध थे और इस आन्दोलन में नहीं आना चाहते थे और दूसरी तरफ जा रहे हों, या इसका और कोई कारण था?'

—'यह तो कारण नहीं रहा होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। हम लोग गांधी जी का जो उग्र योद्धा का रूप था, जिससे संकड़ों जोश से भर आते थे, उसमें तो हम विश्वास करते थे। लेकिन उनका जो बुनियादी सात्विक रूप था उसका जब-जब आग्रह समक्ष आता था तो मालूम होता था कि उसके

प्रति हममें आकर्षण उतना नहीं है। गांधी जी के आन्दोलन में उत्सर्ग की सार्थकता स्वयं में ही थी, उसके फल में नहीं थी। अर्थात् उत्सर्ग एक स्वयं-सिद्ध मूल्य था। लेकिन जो लोग सामने आये वे इतने गहरे उस चीज में नहीं उतरे थे। उनकी कुछ आसवितया थी और जब फल आसवित की दृष्टि में देखा गया तो पर्याप्त नहीं प्रतीत हुआ। तो उनमें थोड़े से निराशा के भाव आये।

‘गांधी जी भगत सिंह को नहीं छोड़ा मके, उन्होंने उनको छोड़ाने के मुद्दे को अपनी सधि-वार्ता में धर्म के तौर पर रखा भी नहीं। सिर्फ साग्रह अनुरोध किया कि वे यह चाहेंगे और ऐसा होना चाहिए; लेकिन उसकी धर्म के रूप में उस पर हठ नहीं बांधा। इस कारण कुछ लोगों में असंतोष रहा। लेकिन मैं मानता हूँ कि गांधी जी में अंग्रेजी साम्राज्य को एक भौंक्षण न-सह-सकने की जो उत्कट आकुलता थी, उससे देश आश्वस्त था। देश में उस चीज को, उनके अहिंसा के आग्रह को लेकर मेरे खयाल में उतनी शिकायत नहीं थी, क्योंकि इसकी ओट में उनमें किसी प्रकार की दुर्बलता नहीं देखी जाती थी। अगर ऐसा न होता और उस दशा में हिंसक आन्दोलन ही प्रखर होता, तो भी समझ में आ सकता था। लेकिन वह खाम प्रबल हुआ नहीं।’

### अर्जुनलाल सेठी के संस्मरण

—‘आप अर्जुनलाल जी सेठी के सम्पर्क में आये थे। क्या आप बता सकते हैं कि उनका कांग्रेस की ओर रुख और उनके विचारों में तबदीली क्यों आई?’

—‘अर्जुनलाल जी के माथ का सम्पर्क काफी पहले का कहा जा सकता है। वे एक आदर्शवादी पुरुष थे और कांग्रेस संगठनात्मक राजनीति में सही-सही ‘फिट’ नहीं हो पाते थे। अजमेर के कांग्रेस तंत्र के साथ उनकी पटरी बैठती नहीं थी। इसलिए वहाँ दो कांग्रेस कमेटियाँ बन गई थी। कांग्रेस की उच्च कमान ने अजमेर की प्रतिस्पर्धी शाखा को स्वीकार किया तो उनको बहुत शोभ हुआ, गहरी निराशा हुई। कानपुर के कांग्रेस अधिवेशन में तो मैं साक्षी था कि किस तरह वे ‘सत्याग्रह’ में कांग्रेस के पंढाल के बाहर जमीन पर लोट गये थे और उनको खाठी की चोटें आई थीं। उन्होंने प्रतिरोध किया था और उन पर चालंटियरो की मार पड़ी थी। जवाहरलाल जी अनुशासक थे। वे नहीं बरदाश्त कर सकते थे कि कांग्रेस का कोई भी आदर्मी अनुशासन भंग करे। यो मिजाज-पुर्सी के लिये वे बाद में उनके पास गए थे। अनंतर सेठी जी के पास गांधी जी गये। पर वित्त उनका क्षुब्ध ही रहा, संवेदनापूर्वक गांधीजी के उनके साथ बातचीत करने के बावजूद।

अजमेर में, जमनालाल की सहायता और समर्थन जिनको प्राप्त था, ऐसे

बिल्कुल चेत न था। हो सकता है कि मैं जिस बेवाकी से चलता चला आया, उसमें किमी के लिए राक की गुंजाइश न हुई हो। शायद मेरे अन्दर दहशत रही होती तो किसी को वार करने की उकसाहट भी मिल सकती थी।

इस सम्मेलन के काम में हाथ बंटाने वाली श्रीमती सत्यवती मलिक कनाट-प्लेस में रहती थीं। उनके घर के जीने से उतरता हू कि क्या देखता हूँ कि एक-आध भादमी सड़क पर बिछा पड़ा है और कुछ लोग बगल में जिस-तिस चीज को दबाए इधर-उधर भागे जा रहे हैं। दो दुकानें लूटी जा रही थीं और इसमें कुछेक जन जरूरी भी हुए थे। कह नहीं सकता कि अभी अगस्त महीना शुरू हो ही गया था। ऐसे काण्ड शायद जाते जून से ही शुरू हो गए थे।

हमारे पड़ोस में एक मुस्लिम परिवार रहता था। लगी हुई इससे घटा-मस्जिद है और वहां भी कुछ मुस्लिम बन्धु रह-सह लेते होंगे। परिवार की बड़ी 'बी' को हम मुमानी कहते थे। शायद मैं ही एक था, जिसकी राय थी कि वह धराएँ नहीं और उनका यहां कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन उनके मन में दहशत थी और दूसरे लोगों से उस दहशत को बढ़ावा ही पहुंचता था। कुछ दिन बाद अपने बोरिया-बिस्तर बांधकर वे सब जन पुराना किला पहुंच गए; जहां शरणार्थियों का कैंप था। और वहां से फिर पाकिस्तान।

आप चाहते हैं कि उस समय के अपनी साहित्यिक-गतिविधियों का हाल भी आपको बताऊँ। असल में लेखन को किसी दायित्व भावना के साथ मैंने कभी नहीं अपनाया। लिखने लिख गया और उसका पैसा मिलने लग गया, यह दूसरी बात है। खाली जिन्दगी और इसमें ऊल-जलूल सब कुछ मैं सोचा करता था। सोचते-सोचते मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कमाई-भूठा शब्द है। इस शब्द के शूठ के सहारे घोर विषमता समाज में छाई हुई है। एक भूसा मर रहा है, दूसरा ऐश कर रहा है। क्योंकि एक की कमाई सिफर है, दूसरे की कमाई बेतहाशा है। कमाई का यह भेद और यह जाल समाज की श्रेणियों को धामे हुए है और इस श्रेणी-बद्ध व्यवस्था को सभ्यता कहकर हम गौरव से जीए चले जाते हैं। अर्थात् लेखन व्यवसाय बने यह भूके मान्य नहीं हो पाता था। पर जीने के लिए पैसे की जरूरत होती है। सो वह पैसा कहां से आए! मेरे जैसे के पास कोई उपाय था ही नहीं, जो मुझ तक पैसा खींच ला सके। पर दिमाग ने कहा कि कमाई अगर भूठ है तो लिखकर कमा नहीं सकते हो। सच यह है कि लिखाई मेरे लिए कमाई का साधन थी। ऊपरी तौर पर नहीं, भीतर की प्रेरणा के नाते भी! बस, दिमाग की इस



प्रति हममें आकर्षण उतना नहीं है। गांधी जी के सार्थकता स्वयं मे ही थी, उसके फल मे नहीं थी। सिद्ध मूल्य था। लेकिन जो लोग सामने आये वे इतने उतरे थे। उनकी कुछ आसक्तिया थी और जब फल देखा गया तो पर्याप्त नहीं प्रतीत हुआ। तो उनमें घ आये।

‘गांधी जी भगत सिंह को नहीं छोड़ा सके, उन्होंने ३ अपनी सधि-वार्ता में शर्त के तौर पर रखा भी नहीं। किया कि वे यह चाहेंगे और ऐसा होना चाहिए; लेकिन उन पर हठ नहीं बांधा। इस कारण कुछ लोगों में असंतोष रह हूँ कि गांधी जी मे अंग्रेजी साम्राज्य को एक भौं क्षण न-सह आकुलता थी, उससे देश आश्वस्त था। देश मे उस ची के आग्रह को लेकर मेरे खयाल मे उतनी शिकायत नहीं थी, में उनमें किसी प्रकार की दुर्बलता नहीं देखी जाती थी। अगर उस दशा मे हिंसक आन्दोलन ही प्रखर होता, तो भी समर लेकिन वह खास प्रबल हुआ नहीं।’

### अर्जुनलाल सेठी के संस्मरण

—‘आप अर्जुनलाल जी सेठी के सम्पर्क में आये थे। क्या कि उनका कांग्रेस की ओर रुख और उनके विचारों में तब —‘अर्जुनलाल जी के साथ का सम्पर्क काफी पहले का है वे एक आदर्शवादी पुरुष थे और कांग्रेस संगठनात्मक राजन ‘फिट’ नहीं हो पाते थे। अजमेर के कांग्रेस तंत्र के साथ उनकी थी। इसलिए वहा दो कांग्रेस कमेटियां बन गई थी। कांग्रेस व अजमेर की प्रतिस्पर्धी शाखा को स्वीकार किया तो उनको व गहरी निराशा हुई। फानपुर के कांग्रेस अधिवेशन मे तो मैं साह तरह वे ‘सत्याग्रह’ में कांग्रेस के पंडाल के बाहर जमीन पर उनको लाठी की चोटें आई थी। उन्होंने प्रतिरोध किया था बालंटियरों की मार पड़ी थी। जवाहरलाल जी अनुशासक थे। कर सकते थे कि कांग्रेस का कोई भी आदमी अनुशासन भंग करे, पुर्सी के लिये वे बाद में उनके पास गए थे। अनंतर सेठी जी के गये। पर चित्त उनका क्षुब्ध ही रहा, संवेदनापूर्वक गांधीजी के उनके करने के बावजूद।

अजमेर में, जमनालाल की सहायता और समर्थन जिनको





सम्भालते थे। उनकी और औरों की राय थी कि जो भी हो इतनी तैयारी है तो अब कुछ कर ही डालना चाहिए। लेकिन कत्ल होने लगे और 'अत्लाहो अकबर' और 'हनुमानवली की जय' के तारों का शोर गूँजने लगा। काफ़्रोंस एक तरफ हुई और जुनून दूसरा सिर पर सवार हो गया। हँसी आती है अब सोचकर, लेकिन तब मेरे ही साथ यह गुजरा कि हम दण-वारह जन सिर पर मोटा साफा बाँधकर रात के दस बजे हाथ में लाठी लिए छत पर जमा हो बँठे हैं कि हमला होगा तो हम भी देख लेंगे। पक्की खबर दी गई है कि कुछ लोग अभी घटा-मस्जिद में जमा हैं और बाकी रात को जामा-मस्जिद से हजूम आएगा और सब मिलकर दरियागंज पर धावा बोलेंगे। सो जवाब में हम लोगो ने रतजगा किया। पर दूर से हो-हल्ले की गूँज कभी-कभाम सुनाई दी, उससे ज्यादा कुछ न हुआ। उस वक़्त शूरवीर और कायर की एक ही पहचान थी कि वह दूसरे पक्ष के लिए अपने अन्दर कितनी नफरत भरी रख सकता है!

लेखक होने के नाते मैं अपने अन्दर नफरत जमा करके नहीं रख सकता था, इसलिए मानता हूँ कि मैं सही अर्थों में शूरवीर नहीं, कायर सिद्ध हुआ। आँखों देखी तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सीधी सुनी कई बखानों की बात अवश्य जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ। कड़ियों ने सुनाया कि कैसे उन्होंने और उनके साथियों ने तपते तेल के कड़ाहों में जीते-जागते बच्चों को फेंककर भून डाला। कैसे औरतों की बेइज्जती की। बाद में हत्या कर डाली। अनेकों को कैसे मौत के घाट उतारा गया। कहने वाले दर्शाक नहीं, सहयोगी ही थे। अनेकों में वे भी थे जो दया-माया के लिए विख्यात तक माने जा सकते थे। कई जैन थे, जो हिंसा की बात सुन तक नहीं सकते थे। क्या वे मानते थे कि उनके ये कृत्य उधर पंजाब और दूसरी जगहों में लोमहर्षक और जघन्य गाथाओ का उत्तर दे रहे हैं? क्या सचगुच हत्या का उत्तर हत्या हो सकता है? लेकिन मानव प्रकृति की सम्भावनाएँ अगम हैं और निर्व्यक्तिक कुछ ऐसी अन्धी प्रेरणाएँ हो सकती हैं जो मनुष्य को दानव बना दें या दूसरी ओर उसे देवता बना डालें!

राजनीतिक वातावरण दिन-दिन घोर बिषम होता जा रहा था। अंग्रेज जाँते-जाते भी मानो कूटनीति का पल्ला नहीं छोड़ सके। मालूम हुआ कि स्थितियाँ उत्कट हो गई हैं और देश का बँटवारा माने बिना मति नहीं है। एक आदमी था जो परिस्थिति के कारण कोई बेवमो स्वीकार नहीं कर सकता था—वह था गांधी। उसकी आस्था डिगने वाली न थी और वह मानता था कि हर परिस्थितियों का माधना यदि मरने का भय न हो तो अपनी मानवता को अक्षुण्ण बनाए रखकर

जिद में लिखना मैं छोड़ बैठा। इस सिलसिले में यह इसलिए याद आ रहा है कि उन्ही दिनों मैंने एक कहानी लिखी थी 'चोर'। उसमें मुमानी वी का नाम आता था और उनके घर के दो-एक और भी आ जाने थे और अचरज यह कि कहानी में तब के हिन्दू-मुस्लिम तनाव के वातावरण की तनिक गन्ध नहीं थी और जाने कैसे वह कहानी बंगला के विमल मिश्र के पढ़ने में आ गई। मैं उन्हें एकदम नहीं जानता था और पटना में सांवांजनिक रूप से जब उन्होंने उस कहानी का जिक्र किया तो मुझे विस्मय हुआ कि तत्काल के वातावरण से कंटी और अयथायुक्त कहानी भी गहराई तक प्रभावित कर सकती है! शायद उस कहानी के बाद 12 वर्षों तक जिद में आकर मैंने कुछ नहीं लिखा। '47 का वर्ष इसी न लिखने के दौर का था। लेकिन जिस खुराफात को अपने लिखने में फँककर मैं बरी हो जाता था, उससे ऐसी आसानी से तो छुटकारा नहीं मिल सकता था। यानी जमीन छोड़ आसमान की बातें मुझमें उठती और मुझे सताती ही रहती थी। अचरज होगा आपको इस बीच मेरा गुजारा कैसे हुआ? अचरज मुझे भी है। लेकिन करिश्मा यह कि कोई दिक्कत पेश नहीं आई। लिखा शब्द छूटा कि बोला शब्द पल्ले पड़ गया। यह शब्द मंच का होता है और जल्दी ही ग्राह्य बन जाता है। इसमें खर्च हुए पैसे से ज्यादा ही मुझे मिलता गया और मुझे मौका नहीं कि मैं उसे अपनी कमाई मानूँ।

फिर लिखना क्यों सिर आया? इसकी दूसरी कहानी है। जो यहाँ सगत नहीं है। सार-मक्षेप यह कि खामख्यालियों से मेरा पिण्ड नहीं छूटा था। न अब छूटा है। न शायद कभी छूटेगा। देश की और समाज की और दुनिया की बातें सोचूंगा। यही नहीं सोच पाऊंगा कि घर की आमदनी कैसे बढ़े और रहने के लिए ठीक मकान कैसे प्राप्त हो? वही बात थी कि सन् '47 में 'भारतीय साहित्य सम्मेलन' के अधिवेशन की धुन में मैं पड़ा था। कई ममभ्रदार लोग साथ हो गए थे। जिनमें प्रो० गुरुमुख निहाल सिंह की याद इसलिए आती है कि वह एकदम अलग किस्म के आदमी थे। पीछे वह मुख्य-मंत्री हुए जो उनके साथक चीज थी। तो साहब, इस सम्मेलन की तैयारी जोर-शोर से चल रही थी कि अगस्त महीना आ गया। यहाँ और जहाँ-सहाँ उप-द्रव फूट पड़े। सम्मेलन के लिए यहाँ-वहाँ से खपया वरस चला था और कमी नहीं थी। लेकिन अगस्त आते-आते डाक में गड़बड़ हो चली थी! मनीआर्डर चलते और पहुँच न पाते। एक बार सात रोज तक कोई चिट्ठी नहीं आई। हमी को ही नहीं, किसी को भी नहीं मिली। परेशान होकर गोल डाकखाने पहुँचे तो वहाँ डाक के ढेर लगे थे। कोई देखने-पूछने वाला न था। क्या किया जाता? मैंने कहा सम्मेलन अब नहीं हो सकता है। 'यशपाल' जैन दफ्तर

सम्भालते थे। उनकी और औरों की राय थी कि जो भी हो इतनी तैयारी है तो अब कुछ कर ही डालना चाहिए। लेकिन कत्ल होने लगे और 'अल्लाहो अकबर' और 'हनुमानवली की जय' के नारों का शोर गूँजने लगा। कान्फ्रेंस एक तरफ हुई और जुनून दूसरा सिर पर सवार हो गया। हँसी आती है अब सोचकर, लेकिन तब मेरे ही साथ यह गुजरा कि हम दण-वारह जन सिर पर मोटा साफा बाँधकर रात के दस बजे हाथ में लाठी लिए छत पर जमा हो बैठे हैं कि हमला होगा तो हम भी देख लेंगे। पक्की खबर दी गई है कि कुछ लोग अभी घटा-मस्जिद में जमा हैं और बाकी रात को जामा-मस्जिद से हज़ूम आएगा और सब मिलकर दरियागंज पर घावा बोलेंगे। सो जवाब में हम लोगों ने रतजगा किया। पर दूर से हो-हत्ले की गूँज कभी-कभार सुनाई दी, उससे ज्यादा कुछ न हुआ। उस वक़्त शूरवीर और कायर की एक ही पहचान थी कि वह दूसरे पक्ष के लिए अपने अन्दर कितनी नफरत भरी रख सकता है!

लेखक होने के नाते मैं अपने अन्दर नफरत जमा करके नहीं रख सकता था, इसलिए मानता हूँ कि मैं सही अर्थों में शूरवीर नहीं, कायर सिद्ध हुआ। आँखों देखी तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सीधी सुनी कई बखानों की बात अवश्य जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ। कइयों ने सुनाया कि कैसे उन्होंने और उनके साथियों ने तपते तेल के कड़ाहों में जीते-जागते बच्चों को फेंककर भून डाला। कैसे औरतों की वेदज्जती की। बाद में हत्या कर डाली। अनेकों को कैसे मौत के घाट उतारा गया। कहने वाले दशक नहीं, सहयोगी ही थे। अनेकों में वे भी थे जो दया-भाया के लिए विख्यात तक माने जा सकते थे। कई जैन थे, जो हिमा की बात सुन तक नहीं सकते थे। क्या वे मानते थे कि उनके ये कृत्य उधर पंजाब और दूसरी जगहों में सोमहर्षक और जघन्य गाथाओं का उत्तर दे रहे हैं? क्या मचगुच हत्या का उत्तर हत्या हो सकता है? लेकिन मानव प्रकृति की सम्भावनाएँ अगम हैं और निर्व्यभिक्त कुछ ऐसी अन्धी प्रेरणाएँ हो सकती हैं जो मनुष्य को दानव बना दें या दूसरी ओर उसे देवता बना डालें!

राजनीतिक वातावरण दिन-दिन घोर विषम होता जा रहा था। अंग्रेज जाते-जाते भी मानो कूटनीति का पत्ला नहीं छोड़ सके। मालूम हुआ कि स्थितियाँ उत्कट हो गई हैं और देश का बंटवारा माने बिना गति नहीं है। एक आदमी था जो परिस्थिति के कारण कोई बेबसी स्वीकार नहीं कर सकता था—वह था गांधी। उसकी आस्था डिगने वाली नहीं थी और वह मानता था कि हर परिस्थितियों का सामना यदि मरने का भय न हो तो अपनी मानवता को अक्षुण्ण बनाए रखकर

किया जा सकता है और स्थिति के ऊपर मनुष्यता की प्रभुता की प्रतिक्रिया असंभव सकती है। पर वह आदमी तो निपट बन रहा ! कांग्रेस-संगठन के हड़दट बैठन के नही, सदस्यता तक से विहीन। फिर राजनीतिज्ञों के समक्ष ठहरा वह वीकार कर आदर्शवादी। इसलिए कांग्रेस के व्यवहार-कुशल नेताओं ने लार्ड मार आशा रही साथ मिलकर विभाजन को कांग्रेस की ओर से अधिकृत रूप से रन्त में मान्य लिया। बाद में यह खबर हो सकी गांधी को। देश विचलित हुआ, परान स्वीकार्य कि आखिर कांग्रेस की वकिंग कमेटी का किया हुआ आएका तो अ गलती को बनने के लिये 'आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी' के समक्ष। जिनको विभाजन विभाजन न था, उन्हें पूरा भरोसा था कि 'अखिल भारतीय कांग्रेस' की बैठक पीछे किए सुधार देगी और विभाजन मान्य न हो पायेगा। आखिर गांधी मौजूद हैं के बारे में उनका वचन राष्ट्र को मिल ही चुका है। उनके रहते पीए, गए कांग्रेसी नेताओं के समझौते का मूल्य ही क्या है ? 47 को हुई

तो 'आल इण्डिया कमेटी' की वह बैठक 14-15 जून सन् 1947 को हुई थी। अपने साथ दिल्ली में। पास ही मेरे कामर्स कालेज के हाल में वह अधिवेशन हुआ कि उसे अब कहते हैं कि उनके बड़े भाई दिलीप तब वॉलियण्टर थे और उसे भी उस सभा में ले गए थे। पटेल, नेहरू, गांधी को मंच पर बैठे देखने तक याद है। नरेन्द्रदेव, बैठा था। मैं

बताते हैं सरोजिनी नायडू, अमृतकौर, कृपलानी, जयप्रकाश कोई न कोई मौलाना आजाद आदि भी वहाँ थे। मैं बड़े भरोसे के साथ दर्शकों में। की हार की मानता था कि अंग्रेज की कूटनीति अन्त तक नहीं चल पायेगी और वही तरह मैं उपाय विभाजन को टालने का निकल आया। भारत की और गांधी की नहीं जा मैं या मेरे जैसे अन्य बहुत से लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। सवकता है। भी इस बात को मानता था कि कांग्रेस की सत्ता गांधी जी से बा सही परि-सकती, और न ही गांधी जी का जनता को दिया गया कोल झूठा हो सी उतरना

लेकिन जो हुआ वह अघटनीय घटना है। शायद ही कोई उसकी की सीधी प्रेक्ष्य में रखकर समझ पाये। गौडसे को इसी कारण गांधी की हत्या तो भी क्या पडा। उसने माना और बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि बंटबा की सलाह जिम्मेदारी गांधी पर है। नेहरू, पटेल, आजाद ने मान ही लिया था जो किया गांधी के बस का यह न था कि कांग्रेस को उस माने हुए को रद्द करने को कि वह देते और नेतृत्व को सीधे अपने हाथ में लेने को तैयार हो जाते। प कोशिश न गांधी ने वह उससे विलकुल उल्टा ही था। उसने सलाह दी कांग्रेस अपने नेताओं का सम्मान रखें और उनके किए को अनकिया करने की

करें।

मैं साक्षी था। जो उस समय देख और अनुभव कर रहा था उसके आधार पर कह सकता हूँ, यदि गांधी का सहारा न होता, सिफारिश न होती, तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों का बहुमत नेताओं के निर्णय को मान्य करने वाला न था। उसका पूरा भरोसा इस अर्थ में गांधी पर था कि कायदे आजम जिन्ना की मुस्लिम लीग की धमकी और तशद्दुत के डर से गांधी डिगने वाले नहीं हैं। मई के महीने में उन्होंने बंगाल के सैदपुर में सलाह दी भारत के लोगों को कि वे अन्याय और अत्याचार के नीचे न झुकें। दिल्ली में फिर उन्होंने साफ कहा था कि अगर उनका बस चला तो शान्ति स्थापना से पहले पाकिस्तान कभी न बन सकेगा और अंग्रेज के भाँकत तो हरगिज नहीं। दोनों पंजाब, सीमा प्रान्त, बंगाल, बिहार में से, कलोगारत की दास्तानें आती और सबके कानों पर पडती थीं, लेकिन गांधी का कहना था कि हिंसा से डरकर—जो गलत है असत् है उसको मान लेना हमेशा हमेशा के लिए हिंसा को बढ़ावा देना हो जायेगा। जिन्ना और लीग वाले हिंसा में विश्वास करते हों तो उस विश्वास को अपना समर्थन हमें अपनी ओर से बिलकुल नहीं देना है। बल्कि अपने व्यवहार से यह बताना है कि हिंसा का भरोसा बाँधना अपनी और दूसरे की मानवता के अपमान से अलग कुछ नहीं है। अर्थात् भूल जाओ कि हिंसा के उत्पन्न से कुछ सधने वाला है।

यह सब कुछ जानकर देश और कांग्रेस का बहुजन समुदाय आश्वस्त था कि देश कटे और टूटेगा नहीं। प्रस्ताव का बैठक में घोर विरोध भी हुआ। कहा गया कि यह तो जिन्ना के 'दो राष्ट्र सिद्धान्त' के आगे आत्म-समर्पण करना हो गया। न इसमें साम्प्रदायिक समस्या का कोई समाधान ही दीखता है।

सरदार पटेल ने अपने भाषण में बलपूर्वक कहा कि कार्य समिति ने विभाजन की योजना किसी डर से स्वीकार नहीं की है। डर वे जानते ही नहीं हैं। जो बड़े पैमाने पर सूनहवारी बरती गई है, इस पर वह क्या कहें? तीस आर्दामियों के एक कुटुम्ब में सिर्फ दो बच्चे, बाकी सबके सब मार डाले गए। इस प्रलय में से हम गुजरे हैं। लेकिन भय एक ही है कि इन बहुत से वर्षों में जो कुछ हमने कड़ी मेहनत से किया और बनाया है, वह सब उड़ न जाए!

हमने स्वतन्त्रता के लिए काम किया था और इस देश को जितना सम्भव हो सके उतने बड़े भाग को मुक्त और मजबूत हम देखना चाहते हैं। यह मौका है कि भारत स्वतन्त्र रूप से उठे और अपना निर्माण करे। तीन-चौपाई से अधिक देश हमारे आगे है और यह चुनौती है हमारे लिए कि हम उसे सम्पन्न और हर तरह



से समृद्ध करके दिखाएँ। हम इस चुनौती से पीछे नहीं हट सकते!

अध्यक्ष उम समय आचार्य कृपलानी थे। उन्होंने कहा, 'मैं-तीन साल से गांधी जी के साथ चम्पारन के समय से चल रहा हूँ। उनके प्रति अपनी बफादारी मे कभी नहीं ड़िगा हूँ। मतभेद के समय भी मैंने माना है कि मेरे सारे तर्कों के सामने उनकी सहज सूझ कहीं विश्वसनीय है। आज भी मैं मानता हूँ कि अपनी अनुपम निर्भयता में सही वह है और मैं अपनी गलती पर हूँ, लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ अहिंसक अमहयोग का उपाय हमें उन्होंने बताया तो विशाल पैमाने पर उसे सार्यक करके भी दिखा दिया। ऊपरी ही-सही, पर हमने उन्हे माना है और हम सफलता तक पहुँचे है। लेकिन अब तो वही अनिश्चय में पड़े दीखते है। नोआखाली और बिहार में जो उन्होंने किया, वह करिश्मा हो सकता है। यह कहते है कि यहाँ से भारत की समस्या का हल होगा, पर वसा होता हमें नहीं दीखता है। ऐसी परिस्थिति में बेहद धया के साथ विभाजन का समर्थन करता हूँ।'

बैठक के शुरू में गांधी का सापण भाषिक था। उन्होंने कहा, 'मेरे विचार इस विषय में सबको मालूम हैं। सभा को कार्य समिति के निर्णय को मानने और न मानने का अधिकार है। लेकिन याद रखना होगा कि कार्य-समिति उनके प्रति-निधि की हैसियत से जो करती है, उसको मान्य रखना, इस ए० आई० सी०सी० का सामान्य कर्त्तव्य है। हाँ, अगर वे उत्कटता के साथ मानते हैं कि इममें देश का अनिष्ट है तो वह प्रस्ताव गिरा सकते है। लेकिन उसे गिराने का अर्थ होगा कि उन्हें अपने बीच नए नेता खड़े कर लेने हैं, जो न केवल कार्य-समिति बनाए बल्कि सरकार चलाने का भार भी अपने ऊपर लें। कार्य-समिति के सदस्य परखे हुए नेताजन है और वही काँग्रेस की रीढ हैं। आज की घड़ी में उनको हटाना असभव नहीं तो अबुद्धिमानों का काम तो होगा ही। काँग्रेस पाकिस्तान के विरुद्ध रही और वह खुद भारत-विभाजन के सख्त खिलाफ हैं। फिर भी ए० आई० सी०सी० के सामने वह उपस्थित हुए हैं यह कहने के लिए कि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाए। कभी-कभी बड़े कड़वे और अनहोने निर्णय भी करने या स्वीकार करने पड़ जाया करते हैं।'

मैं उस क्षण का साक्षी था। गांधी के शब्दों में संदिग्धता तनिक भी नहीं थी। पर एक ऐसी प्रशान्त वेदना उनमें ध्याप्त थी कि किसी को छुए बिना उस समय न रह सकी। प्रस्ताव, जिस विमूढ और स्तब्ध वातावरण में स्वीकृत हुआ उसको मैं आज भी अपनी आँसों के सामने उसी तरह स्पष्ट देख सकता हूँ।

महाभारत में श्रीकृष्ण ने पितामह भीष्म से पूछा कि आपकी मृत्यु चाहिए!

इसका उपाय बनाइए। यहाँ गांधी ने पूछा नहीं गया। पर नेहरू, पटेल ने जैसे उनके अममान में माऊण्ट बैटन के गाए कापिंग की ओर में अपना फँगला करके उन्होंने मानो मौनपूर्वक उनकी मोत की माँग ही लिया और गांधी ने आशीर्वाद-पूर्वक कहा तपास्तु ! गुम गण्डित भारत के राज्य ना मुकुट अपने गिर के लिए चाहते हो तो सो और गुग में राज्य करो। मेरिन इतिहास सदेह में है कि वह राज्य एक क्षण के लिए भी अब तक गुगपूर्वक किया जा गया है !

□



